अध्याय VI

सहकारी बैंकिंग गतिविधियां

प्रायः नाजुक वित्तीय स्थिति से ग्रस्त रहने वाले सहकारी संस्थाओं के विगत वर्ष के वित्तीय परिणामों में समग्र रूप से एक आशावादी तस्वीर नजर आई है। समेकन के अनवरत प्रयासों के चलते शहरी सहकारी बैंकों के तुलन-पत्र के आकार में वृद्धि और लाभप्रदता में सुधार दर्ज किया गया है। ग्रामीण सहकारी क्षेत्र में विकास से दीर्घावधि ग्रामीण ऋण सहकारी शीर्ष संस्थाओं के निष्पादन में प्रतिवर्तन सुनिश्चित हुआ है जबकि अल्पावधि ग्रामीण ऋण सहकारी संस्थाओं के निष्पादन में सुधार लगातार जारी रहा।

1. परिचय

VI.1 सहकारी संस्थाओं का गठन भारत के गांवों और छोटे कस्बों में औपचारिक वित्तीय सुविधाओं के विस्तार में शामिल विकासात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विशिष्ट संस्थानों के रूप में किया गया था जिसमें शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) और ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाएं शामिल है। उनकी भौगोलिक और जनसांख्यकी पहुंच ऋण वितरण और वित्तीय प्रणाली में समावेश के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। फिर भी, बैंकों के प्रभुत्व वाली भारतीय वित्तीय प्रणाली में उनका हिस्सा तुलनात्मक रूप से कम है। मार्च 2016 की समाप्ति की स्थिति के अनुसार ग्रामीण और शहरी सहकारी बैंकों की कुल आस्तियां एससीबी[1] की कुल आस्तियों का 10.6 प्रतिशत थी। मार्च 2017 की समाप्ति की स्थिति के अनुसार 1562 शहरी सहकारी बैंक और 94,384 ग्रामीण सहकारी संस्थाएं थी जिसमें दीर्घावधि और अल्पावधि सहकारी संस्थाएं भी शामिल है (चार्ट VI.1) । सहकारी क्षेत्र की आस्तियों में ग्रामीण सहकारी संस्थाओं का बड़ा हिस्सा था (चार्ट VI.2)

चार्ट VI.1 : भारत में सहकारी ऋण संस्थानों का ढांचा
(मार्च 2017 के अंत की स्थिति)

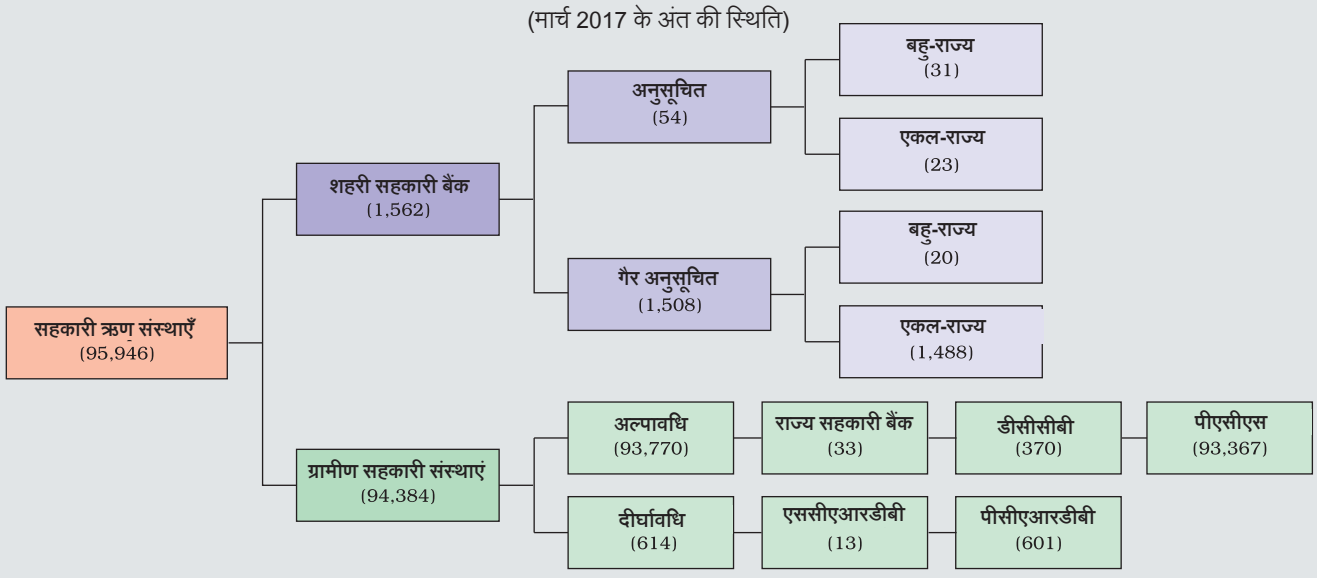

एससीबी - राज्य सहकारी बैंक, डीसीसीबी : जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, पीएसीएस : प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी, एससीएआरडीबी : राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, पीसीएआरडीबी : प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

नोट: 1 कोष्ठक में दिए गए आंकड़े शहरी सहकारी बैंकों के लिए मार्च 2017 के अंत और ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के संबंध में मार्च 2016 के अंत के अनुसार संस्थानों की संख्या दर्शाते हैं।
2 ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के लिए सहकारी संस्थाओं की संख्या सहकारी की रिपोर्ट के संदर्भ में हैं।

[1] ग्रामीण सहकारी संस्थाओं का आंकड़ा एकवर्ष के विलंब से उपलब्ध है इसलिए नवीनतम स्थिति मार्च 2016 तक की ही है।

चार्ट VI.2 : आस्ति के आकार के आधार पर सहकारी संस्थाओं का ढांचा

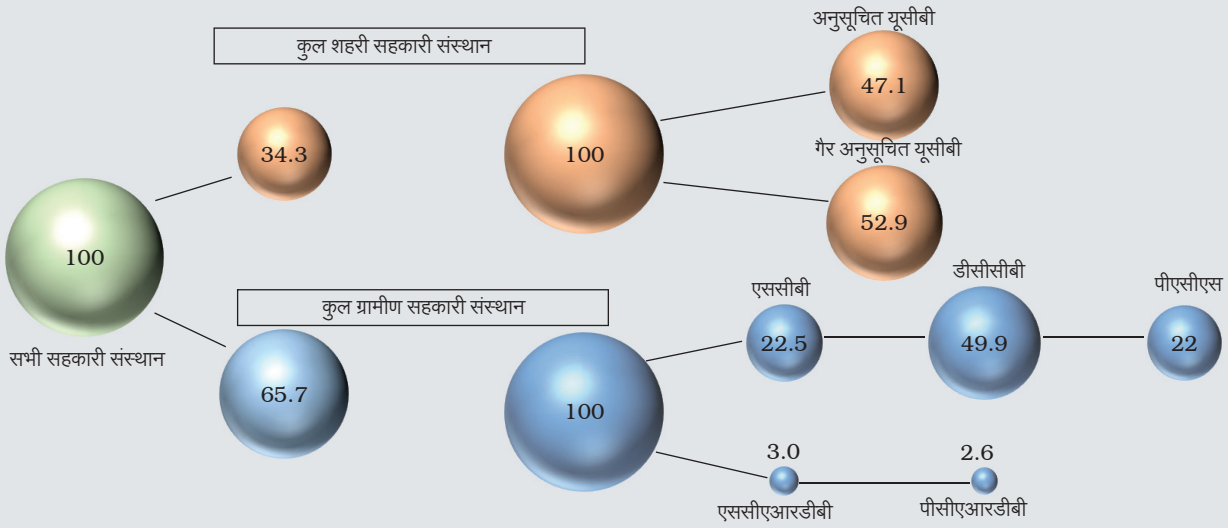

नोट: 1. आंकड़े प्रतिशत में हैं।
2. बबल का आकार आस्ति के आकार के अनुसार प्रवर्धित है।

VI.2 परिचालनगत और अभिशासन संबंधी[2] मामलों से उत्पन्न नाजुक वित्तीय स्थिति ने सहकारी संस्थाओं को पंगु बना दिया है। समय-समय पर सुधारात्मक उपायों का कार्यान्वयन किया गया है, जिससे एकीकृत और आघात-सहनीय शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के उदय में सहायता मिली है। तथापि, ग्रामीण सहकारी संस्थाओं और विशेषतः दीर्घावधि संस्थानों के मामलों में अभी भी वित्तीय अशक्तता मौजूद हैं।

VI.3 इस पृष्ठभूमि में, यह अध्याय वर्ष 2016-17 के लिए सहकारी संस्थाओं के कार्य-निष्पादन का विश्लेषण करता है। शेष अध्याय को चार खंडों में बांटा गया है। खंड II में वित्तीय और सुदृढता संकेतकों के आधार पर यूसीबी के निष्पादन की समीक्षा की गई है। खंड III अल्पावधि और दीर्घावधि ग्रामीण सहकारी ऋण अवसंरचना का आकलन करता है। खंड IV में अल्पावधि और दीर्घावधि ग्रामीण सहकारी संस्थाओं का तुलनात्मंक आकलन बताया गया है। खंड V में समग्र आकलन किया गया है।

II. शहरी सहकारी बैंक

VI.4 मराठे समिति (1992) की सिफारिशों के अनुसरण में रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए क्षेत्र विशेष से जमा संग्रहण और ऋण समावेश संभावना के कारण एक सक्रिय लाइसेंस नीति का पालन किया। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1993-2004 की अवधि के दौरान यूसीबी की संख्या में स्वतः बढ़ाव देखा गया। उनकी कमजोर वित्तीय स्थिति ने रिज़र्व बैंक को वर्ष 2005 में एक विजन दस्तावेज तैयार करने के लिए प्रेरित किया जिसमें उनकी व्यवहार्यता को प्रोत्साहित करने के लिए एक बहु-स्तरीय विनियामकीय और पर्यवेक्षी कार्यनीति की परिकल्पना की गई है। आगामी विलय / समामेलन / निकास से यूसीबी की संख्या में कमी देखी गई है (चार्ट VI.3)। वर्ष 2004-05 से लेकर मार्च 2017 तक यूसीबी क्षेत्र में 128 विलय हुए है जो सबसे अधिक संख्या में महाराष्ट्र में हुए है, उसके बाद गुजरात और आंध्रप्रदेश का स्थान आता है (चार्ट VI.4)।

[2] इन विषयों की भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा और यूसीबी के पूंजी संवर्धन, 2006 संबंधी मामलों की जांच के लिए गठित कार्यबल समूह द्वारा शहरी सहकारी बैंकों के लिए अपने विजन दस्तावेज में 2005 में समीक्षा की गई है (अध्यक्ष: श्री एन एस विश्वनाथन)।

चार्ट VI.3: वर्ष 2005 से शहरी सहकारी बैंक

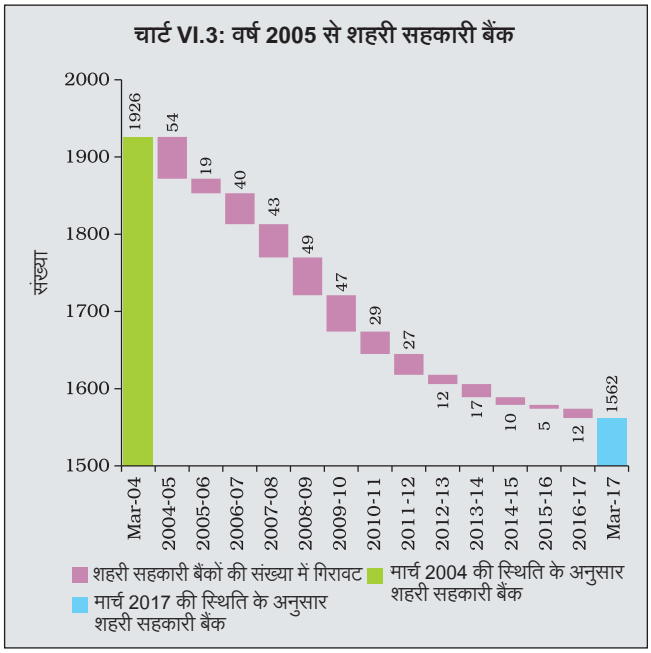

चार्ट VI.5: यूसीबी की आस्तियों में वृद्धि

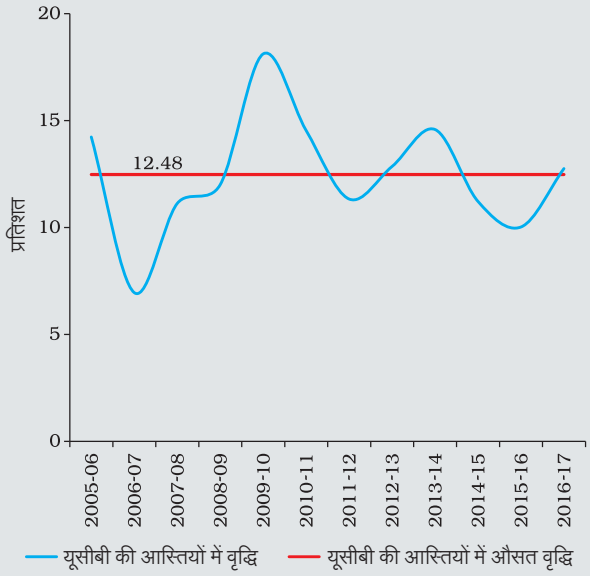

VI.5 यूसीबी की संख्या में तेजी से आई कमी के बावजूद उनके तुलनपत्रों में अत्यधिक वृद्धि हुई है जो समेकन अभियान की प्रभावकारिता को अधोरेखित करता है। हालांकि, हाल के वर्षों में शहरी सहकारी बैंकों की आस्तियों की वृद्धि में अवमन्दन से यह इसके दीर्घ अवधि औसत के आस-पास है (चार्ट VI.5)।

चार्ट VI. 4: यूसीबी विलय का भौगोलिक वितरण
(मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार संचयी आधार पर)

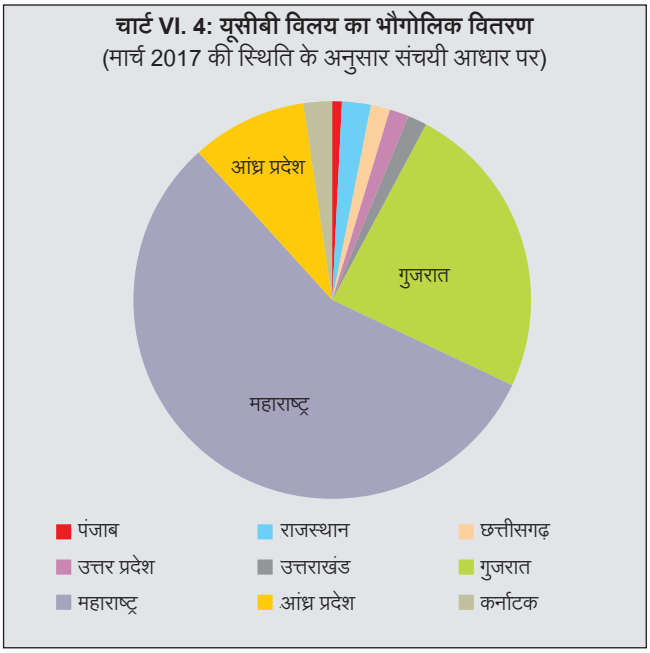

VI.6 शहरी सहकारी बैंकों के समेकन की सफलता अन्य मानदंड़ों में भी देखी जा सकती है । टियर II शहरी सहकारी बैंकों[3] के शेयर में संख्या और आस्ति दोनों स्तर पर पिछले कुछ समय में अत्यधिक वृद्धि हुई है। (चार्ट VI.6 एवं सारणी VI.1)

VI.7 समेकन के साथ-साथ यूसीबी के कुल जमाओं के वितरण के तरीकों का बड़े आकार के बैकेट के प्रति झुकाव भी एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। यह उनके ग्राहक आधार में विस्तार और विविधीकरण को दर्शाता है। (सारणी VI.2 और चार्ट VI.7)

[3] यूसीबी टियर-I की परिभाषित किया जा सकता है:

- किसी एक जिले में परिचालन के लिए रू.1 बिलियन से कम जमा आधार।
- एक से अधिक जिलों में परिचालन के लिए रू.1 बिलियन से कम जमा आधार बशर्ते कि शाखाएं समीपस्थ जिलों में हो और किसी जिलें में स्थित बैंक की शाखाओं के जमा और अग्रिम बैंक की क्रमशः कुल जमा और अग्रिमों का अलग से 95 प्रतिशत हो।
- ₹1 बिलियन से कम जमा आधार जिसकी शाखाएं मूलतः एक जिले में हो जो जिले की पुनर्गठन के परिणामस्वरूप कई जिलें बन गए हो।

अन्य सभी शहरी सहकारी बैंकों को टियर-II यूसीबी के रूप में परिभाषित किया जाता है।

चार्ट VI.6: टिअर II यूसीबी का उत्थान

(मार्च अंत की स्थिति)

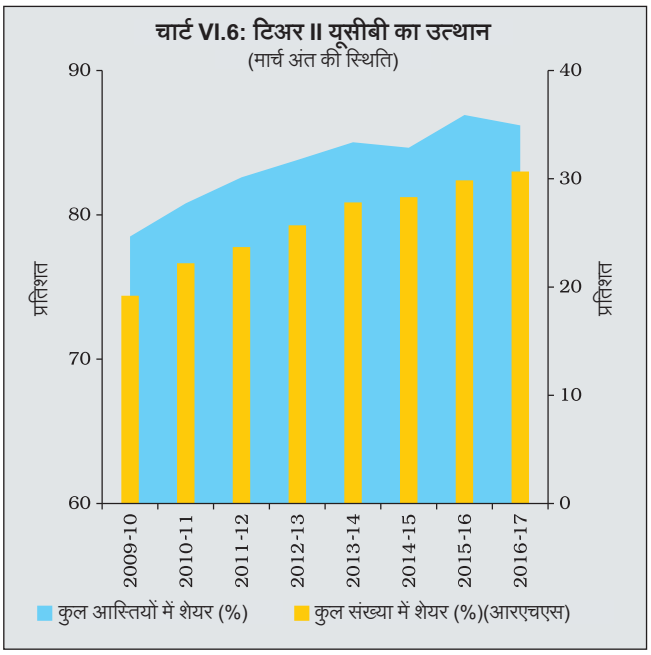

चार्ट VI.7: जमाराशियों का परिवर्तनशील वितरण

(मार्च अंत की स्थिति)

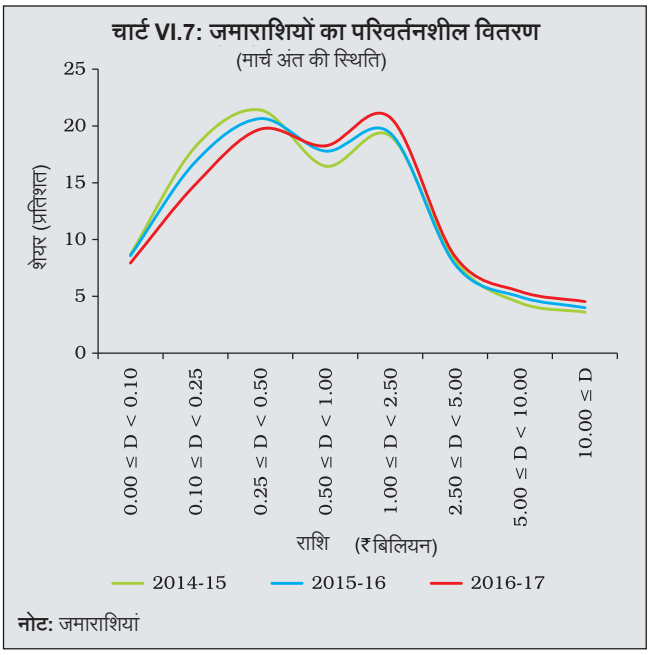

नोट: जमाराशियां

VI.8 वर्ष 2016-17 में बड़े बकेट के प्रति अग्रिमों के वितरण में शिफ्ट, जमाओं के वितरण में शिफ्ट की तुलना में कम दृष्टिगोचर हुआ। (चार्ट VI.8)

सारणी VI.1: शहरी सहकारी बैंकों के स्तर-वार वितरण

(मार्च 2017 के अंत की स्थिति)

(राशि बिलियन ₹ में)

टिअर प्रकार	बैंकों की संख्या		जमा		अग्रिम		आस्तियां	
	संख्या	कुल में %	राशि	कुल में %	राशि	कुल में %	राशि	कुल में %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
टिअर I यूसीबी	1,083	69.3	603.3	13.6	317.8	12.2	745.0	13.8
टिअर II यूसीबी	479	30.7	3,831.4	86.4	2,294.4	87.8	4,654.1	86.2
सभी यूसीबी	**1,562**	**100.0**	**4,434.7**	**100.0**	**2,612.2**	**100.0**	**5,399.1**	**100.0**

नोट : सभी आंकड़े अनंतिम हैं।

सारणी VI.2 : जमा और अग्रिमों द्वारा यूसीबी का वितरण

(मार्च 2017 के अंत की स्थिति)

Deposits (₹ billion)	यूसीबी की संख्या		जमाराशि परिमाण		अग्रिम (₹ बिलियन)	यूसीबी की संख्या		अग्रिमों की राशि	
	सं	% शेयर	राशि	% शेयर		सं	% शेयर	राशि	% शेयर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.0 - 0.10	124	7.9	7.5	0.2	0.00 - 0.10	287	18.4	16.1	0.6
0.10 - 0.25	232	14.9	41.7	0.9	0.10 - 0.25	361	23.1	62.0	2.4
0.25 - 0.50	308	19.7	118.4	2.7	0.25 - 0.50	290	18.6	105.3	4.0
0.50 - 1.00	285	18.2	210.2	4.7	0.50 - 1.00	245	15.7	181.3	6.9
1.00 - 2.50	324	20.7	537.7	12.1	1.00 - 2.50	197	12.6	315.4	12.1
2.50 - 5.00	133	8.5	506.8	11.4	2.50 - 5.00	92	5.9	331.0	12.7
5.00 - 10.00	85	5.4	627.5	14.1	5.00 - 10.00	52	3.3	363.4	13.9
10.00 और अधिक	71	4.5	2,385.0	53.8	10.00 and above	38	2.4	1,237.8	47.4
कुल	**1,562**	**100.0**	**4,434.7**	**100.0**	**Total**	**1,562**	**100.0**	**2,612.3**	**100.0**

नोट : 1. आंकड़े अनंतिम हैं।
2. पूर्णांक बनाने के कारण घटक कुल में नहीं जोड़े जा सके

चार्ट VI.8: जमा बनाम अग्रिम के आधार पर यूसीबी का वितरण:
(मार्च 2017 के अंत की स्थिति)

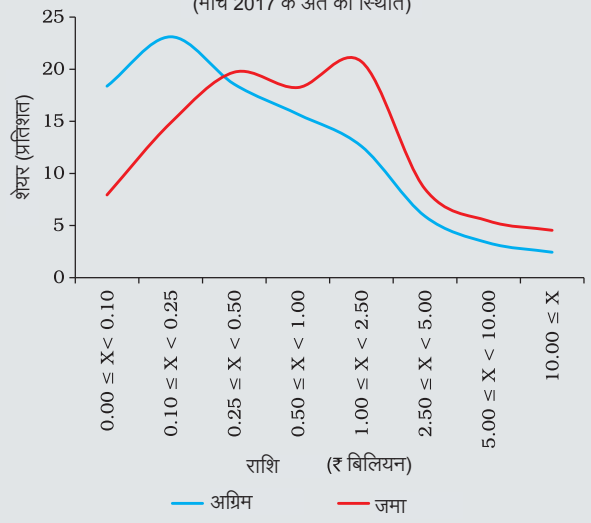

नोट: एक्स - जमा/अग्रिम

चार्ट VI.9: आस्ति के आकार अनुसार यूसीबी का वितरण
(मार्च समाप्ति की स्थिति)

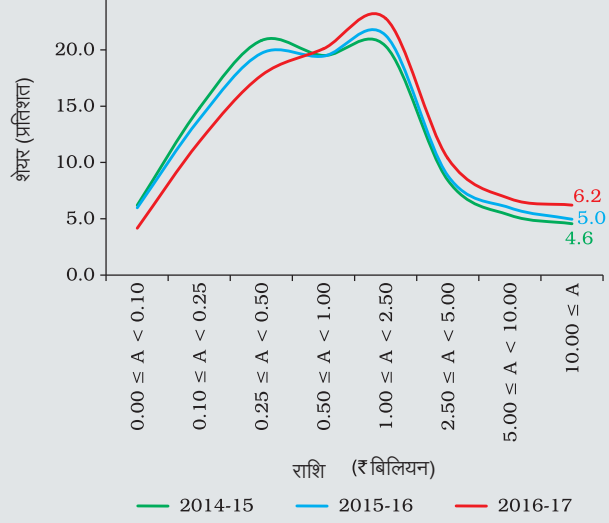

नोट: ए - आस्तियां

VI.9 यूसीबी क्षेत्र में उच्च स्तर का आस्ति संकेंद्रण भी देखा गया है। वर्ष 2014-15 में आस्ति-वर्ग वितरण की द्वि-प्रणाली उच्चतर आकार आस्ति वर्ग की एक एकल-मॉडल पद्धति में परिवर्तित हो गई है। 10 बिलियन रू. से अधिक की आस्ति आकार वाले शहरी सहकारी बैंकों का शेयर वर्ष 2014-15 के 4.6 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2016-17 में 6.2 प्रतिशत हो गया है (चार्ट VI.9)। अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की संख्या वर्ष 2014-15 के 50 की तुलना में वर्ष 2016-17 में बढ़कर 54 हो गई हालांकि वर्ष 2016-17 में अनुसूचित यूसीबी (एसयूसीबी) के आस्ति शेयर में वृद्धि में कमी दर्ज की गई है (चार्ट VI.10)[4]

तुलन-पत्र

VI.10 देयता पक्ष में निवल मालियत (पूंजी और आरक्षित निधि) और जमा में संवर्धित वृद्धि के कारण वर्ष 2016-17 में यूसीबी के तुलन-पत्र में विस्तार हुआ है। निवेश और अन्य आस्तियों में वृद्धि का भी तुलन-पत्र विस्तार में योगदान रहा है। यूसीबी के ऋणों एवं अग्रिमों में मंदित वृद्धि देखी गई जो अर्थव्यवस्था में मांग में गिरावट की स्थिति को दर्शाती है। अर्थव्यवस्था में मांग में गिरावट की स्थिति से अन्य चीजों के साथ-साथ छोटे आकार के खुदरा ऋणों और आवास ऋण खंड जो मुख्यतः शहर-केंद्रित शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्रदान किया जाता है, की वृद्धि में कमी देखी गई। (सारणी VI.3)

चार्ट VI.10 : अनुसूचित यूसीबी का आस्ति शेयर
(मार्च के अंत की स्थिति)

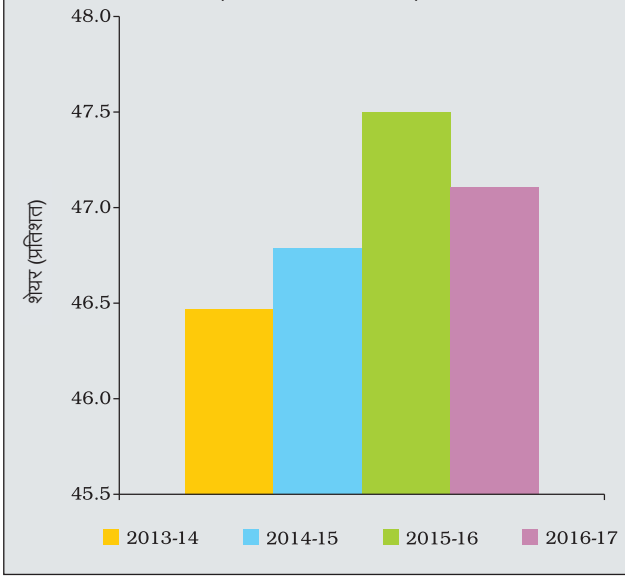

[4] अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल यूसीबी है और इसमें वे यूसीबी शामिल है जिनकी प्रदत्त पूंजी और आरक्षित निधि ₹0.5 मिलियन से कम नहीं है और मांग और समय देयताएं ₹7.5 बिलियन से कम नहींहै और जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप अपना कारोबार करते हैं।

सारणी VI.3: शहरी सहकारी बैंकों की देयताएं एवं आस्तियां
(मार्च समाप्ति की स्थिति)

(राशि बिलियन ₹ में)

आस्तियां / देयताएं	अनुसूचित यूसीबी		गैर-अनुसूचित यूसीबी		सभी यूसीबी		वृद्धि की दर (%) में (सभी यूसीबी)	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2015-16	2016-17
1	2	3	4	5	6	7	8	9
देयताएं								
1. पूंजी	36	40	74	82	110	122	10.6	10.5
	(1.6)	(1.6)	(3.0)	(2.9)	(2.3)	(2.3)		
2. आरक्षित निधियां	142	158	154	177	296	335	8.1	13.3
	(6.3)	(6.2)	(6.1)	(6.2)	(6.2)	(6.2)		
3. जमा	1,844	2,073	2,078	2,362	3,922	4,435	10.4	13.1
	(81.1)	(81.5)	(82.6)	(82.7)	(81.9)	(82.1)		
4. उधार	24	31	2	3	26	34	16.5	29.8
	(1.1)	(1.2)	(0.1)	(0.1)	(0.5)	(0.6)		
5. अन्य देयताएं	228	242	209	232	437	474	7.8	8.5
	(10.0)	(9.5)	(8.3)	(8.1)	(9.1)	(8.8)		
आस्तियां								
1. हाथ में नकदी	12	15	30	30	42	45	12.1	6.0
	(0.5)	(0.6)	(1.2)	(1.0)	(0.9)	(0.8)		
2. आरबीआई के पास शेष	87	99	15	15	102	115	4.5	12.8
	(3.8)	(3.9)	(0.6)	(0.5)	(2.1)	(2.1)		
3. मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	18	39	14	12	33	51	56.0	55.1
	(0.8)	(1.5)	(0.6)	(0.4)	(0.7)	(0.9)		
4. निवेश	585	662	624	759	1,209	1,420	63.9	17.5
	(25.7)	(26.0)	(24.8)	(26.6)	(25.3)	(26.3)		
5. ऋण एवं अग्रिम	1,187	1,292	1,262	1,320	2,449	2,612	9.2	6.7
	(52.2)	(50.8)	(50.2)	(46.2)	(51.2)	(48.4)		
6. अन्य आस्तियां	235	259	159	290	394	549	8.0	39.5
	(10.3)	(10.2)	(6.3)	(10.1)	(8.2)	(10.2)		
कुल देयताएं / आस्तियां	**2,274**	**2,543**	**2,514**	**2,856**	**4,788**	**5,399**	**10.0**	**12.8**
	(100)	**(100)**	**(100)**	**(100)**	**(100)**	**(100)**		

नोट : 1. वर्ष 2017 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं / आस्तियों का प्रतिशत हैं।
3. पूर्णांक के कारण घटक समग्र में नहीं जोड़े गए हैं।
4. वर्ष से वर्ष विचलन कुछ हद तक भिन्न हो सकता है क्योंकि सारणी में पूर्ण संख्याओं को रू.1 बिलियन तक पूर्णांकित कर दिया गया है।

VI.11 ऐतिहासिक रूप से निवेश शहरी सहकारी बैंकों के बीच निधि का अधिमान्य उपयोग होता है जो कम ऋण-जमा अनुपात में परिणत होता है। 2016-17 को दौरान यूसीबी का वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात एससीबी की तुलना में अधिक था (चार्ट VI.11)। यूसीबी का निवेश की तुलना में जमा अनुपात वर्ष 2015-16 में पहली बार एससीबी के अनुपात से कम था क्योंकि 01 अप्रैल 2015 से मध्यवर्ती / राज्य सहकारी बैंको में बकाया को एसएलआर निवेश मानना बंद कर दिया गया। एससीबी और यूसीबी के निवेश की तुलना में जमा अनुपात के बीच अंतर में वर्ष 2016-17 में कमी आई है (चार्ट VI.12)।

चार्ट VI.11 : ऋण-जमा अनुपात
(मार्च के अंत की स्थिति)

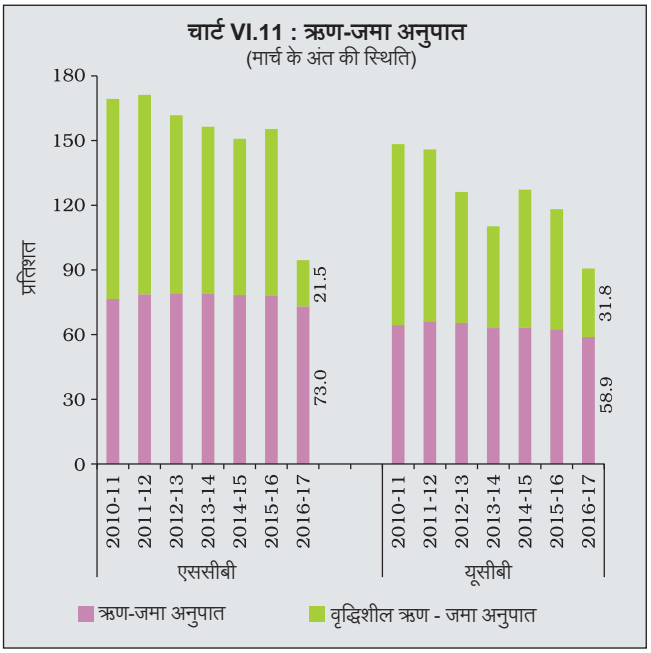

VI.12 यूएसबी के एसएलआर निवेशों की वृद्धि में बदलाव देखा गया जिसमें एक वर्ष पहले गिरावट दर्ज की गई थी और साथ ही गैर-एसएलआर निवेशों की वृद्धि में वर्ष 2016-17 में तेजी देखी गई। (चार्ट VI.13 और सारणी VI.4)।

चार्ट VI.12 : निवेश – जमा अनुपात
(मार्च के अंत की स्थिति)

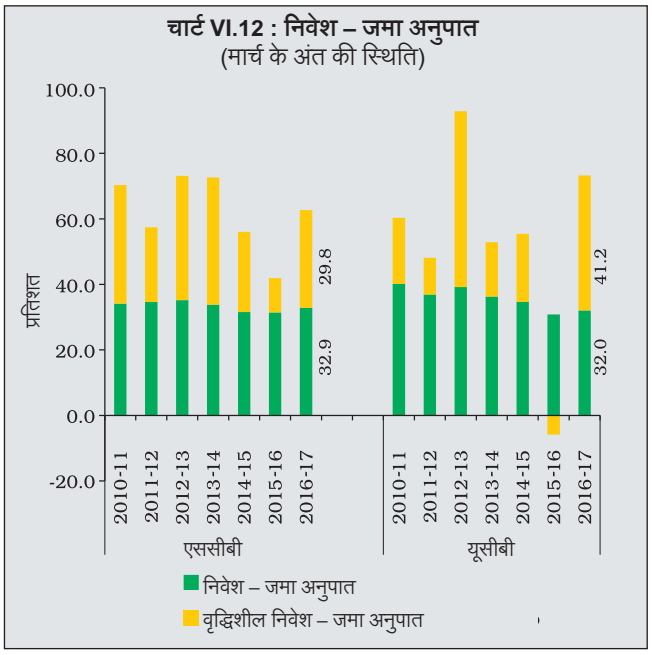

चार्ट VI.13: यूसीबी के एसएलआर और गैर-एसएलआर निवेश
(वर्ष दर वर्ष प्रतिशत विचलन)

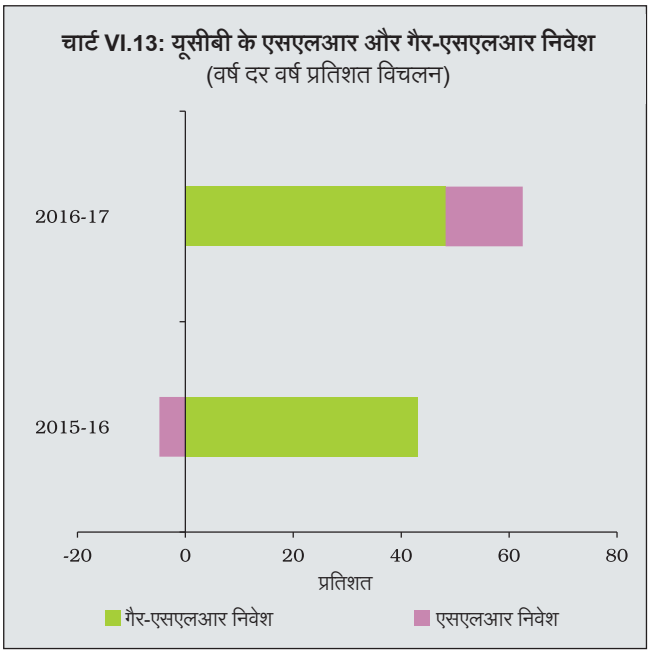

VI.13 विनियामकीय आवश्यकताओं को सुगम बनाने के बावजूद एसएलआर निवेशों में तेजी केंद्रीय और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश की तीव्र वृद्धि को दर्शाती है।[5]

सारणी VI.4: शहरी सहकारी बैंकों द्वारा निवेश

(राशि बिलियन ₹ में)

Item	मार्च समाप्ति			विचलन (%)	
	2015	2016	2017	2015-16	2016-17
1	2	3	4	5	6
कुल निवेश (ए+बी)	**1,231 (100.0)**	**1,209 (100.0)**	**1,420 (100.0)**	**-1.8**	**17.5**
ए. एसएलआर निवेश (I से iii)	**1,152 (93.6)**	**1,096 (90.7)**	**1,253 (88.2)**	**-4.8**	**14.3**
(i) केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां	792 (68.7)	878 (80.1)	954 (76.2)	11.0	8.7
(ii) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	175 (15.2)	215 (19.6)	293 (23.4)	22.9	36.7
(iii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	4 (0.4)	3 (0.3)	5 (0.4)	-20.4	61.5
(iv) केंद्रीय / राज्य सहकारी बैंकों के पास शेष	181 (15.7)				
बी. गैर-एसएलआर निवेश	**79 (6.4)**	**113 (9.3)**	**167 (11.8)**	**43.0**	**48.2**

नोट : 1. वर्ष 2017 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े निवेश के संबंधित प्रकार का शेयर है।
3. पूर्णांक के कारण घटक कुल योग में नहीं जोड़े गए हैं।
4. 01 अप्रैल 2015 से केंद्रीय / राज्य सहकारी बैंकों के पास शेष को एसएलआर में शामिल करने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है।
5. वर्ष दर वर्ष विचलन कुछ हद तक भिन्न हो सकता है क्योंकि सारणी में पूर्ण संख्याओं को रुपये 1 बिलियन में पूर्णांकित कर दिया गया है।

[5] यूसीबी के लिए एसएलआर को अप्रैल 2016 में उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं के 21.5 प्रतिशत से घटाकर 21.25 प्रतिशत कर दिया गया और फिर जुलाई 2016 में इसे 21 प्रतिशत कर दिया गया। शहरी सहकारी बैंकों को 01 अक्तूबर 2016 से एसएलआर को 20.75 प्रतिशत और 07 जनवरी 2017 से 20.50 प्रतिशत के स्तर पर रखना था

चार्ट VI.14: यूसीबी की संख्या और कारोबार का वितरण – रेटिंग श्रेणियों द्वारा

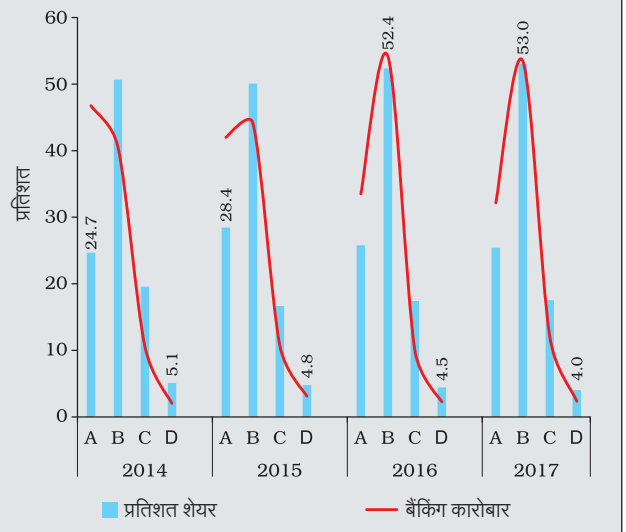

नोट: बैंकिंग कारोबार: जमाराशियों और अग्रिमों का योग

सुदृढ़ता

VI.14 किसी शहरी सहकारी बैंक की वित्तीय सामर्थ्य का अधिनिर्णय उसको प्रदान की गई कैमल्स रेटिंग द्वारा किया जाता है।[6] वर्ष 2013-14 से कैमल्स की न्यूनतम रेटिंग श्रेणी 'डी' में आने वाले यूएसबी के शेयर में लगातार कमी आई है। "डी" से इतर अन्य रेटिंग श्रेणियों में यूसीबी के वितरण में मार्च 2016 और मार्च 2017 के बीच कोई स्पष्ट परिवर्तन नहीं देखा गया। (चार्ट VI.14 एवं सारणी VI.5)।

सारणी VI.5 : रेटिंग-वार यूसीबी का वितरण

(मार्च 2017 समाप्ति की स्थिति के अनुसार)

(राशि बिलियन ₹ में)

Ratings	संख्या		जमा		अग्रिम	
	बैंक	कुल में % शेयर	राशि	कुल में % शेयर	राशि	कुल में % शेयर
1	2	3	4	5	6	7
ए	397	25.4	1,443	32.5	824	31.6
बी	828	53.0	2,356	53.1	1,411	54.0
सी	274	17.6	528	12.0	319	12.1
डी	63	4.0	108	2.4	59	2.3
कुल	**1,562**	**100.0**	**4,435**	**100.0**	**2,613**	**100.0**

नोट: 1. आंकड़े अनंतिम हैं।
2. पूर्णांक के कारण घटक कुल योग में नहीं जोड़े गए हैं।
3. रेटिंग वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान किए गए निरीक्षण की रिपोर्टों पर आधारित है।

पूंजी पर्याप्तता

VI.15 यूसीबी की अनुमेय गतिविधियों को ध्यान में रखकर उनका कारोबार मॉडल निर्धारित करने के लिए पूंजी एक महत्वपूर्ण मानदंड है। कैमल्स रेटिंग में भी यह एक महत्वपूर्ण मानदंड होता है। यूसीबी के लिए सीआरएआर की 9 प्रतिशत की न्यूनतम सांविधिक आवश्यकता की तुलना में वर्ष 2016-17 में 82 प्रतिशत गैर-अनुसूचित यूसीबी ने 12 प्रतिशत से अधिक सीआरएआर बनाए रखी। (सारणी VI.6)।

VI.16 गैर-अनुसूचित यूसीबी (एनएसयूसीबी), छोटा कारोबारी आकार जिनकी विशेषता है, उनकी पूंजी स्थिति अनुसूचित यूसीबी (एसयूसीबी) की तुलना में अधिक सुदृढ़ थी। वर्ष 2016-17 में एसयूसीबी की पूंजी स्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है जैसा कि 9 प्रतिशत से अधिक सीआरएआर वाले एसयूसीबी के शेयर में वृद्धि से पता चलता है (चार्ट VI.15)। यद्यपि 90 प्रतिशत एसयूसीबी ने सीआरएआर की न्यूनतम निर्धारित सीमा को पूरा किया है, वहीं वर्ष 2016-17 में चार ने ऋणात्मक पूंजी पर्याप्तता अनुपात दर्ज किया है। वर्ष 2016-17 में गैर- अनुसूचित यूसीबी के निवल मूल्य (पूंजी सहित आरक्षित निधि) में वृद्धि आस्तियों में उच्चतर वृद्धि के रूप में परिणत हुई है (चार्ट VI.16)।

आस्ति गुणवत्ता

VI.17 वर्ष 2015-16 से यूसीबी का एनपीए अनुपात एससीबी के अनुपात से कम हो गया है (चार्ट VI.17)। इस विचलन का

सारणी VI.6 : सीआरएआर-वार यूसीबी का वितरण

(मार्च 2017 समाप्ति की स्थिति के अनुसार)

सीआरएआर (प्रतिशत में)	अनुसूचित यूसीबी	गैर-अनुसूचित यूसीबी	सभी यूसीबी
1	2	3	4
सीआरएआर < 3	4	110	114
3 <= सीआरएआर < 6	0	9	9
6 <= सीआरएआर < 9	1	8	9
9 <= सीआरएआर < 12	4	150	154
12 <= सीआरएआर	45	1,231	1,276
कुल	**54**	**1,508**	**1,562**

नोट : आंकड़े अनंतिम हैं।

[6] कैमल्स (पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन, अर्जन, चलनिधि, और प्रणाली और नियंत्रण) रेटिंग मॉडल्स को इनके वर्तमान रूप में अप्रैल 2008 से यूएसबी के लिए भी लागू कर दिया गया। यह मॉडल किसी बैंक को कैमल्स के एकल अवयवों की भारित औसत रेटिंग के आधार पर ए/बी/सी / डी की एक समग्र रेटिंग (निष्पादन के घटते अनुक्रम में) प्रदान करता है।

चार्ट VI.15: 9 प्रतिशत से अधिक सीआरएआर वाले यूसीबी

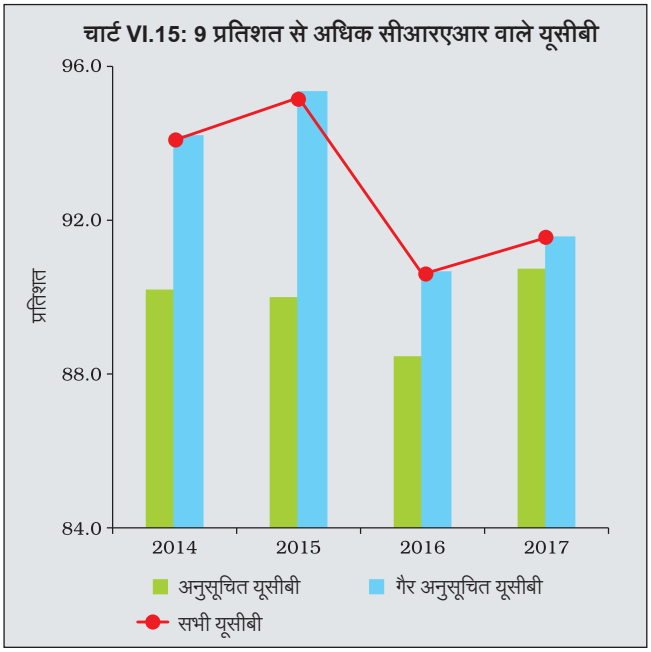

चार्ट VI.17: अनर्जक आस्तियां : यूसीबी बनाम एससीबी

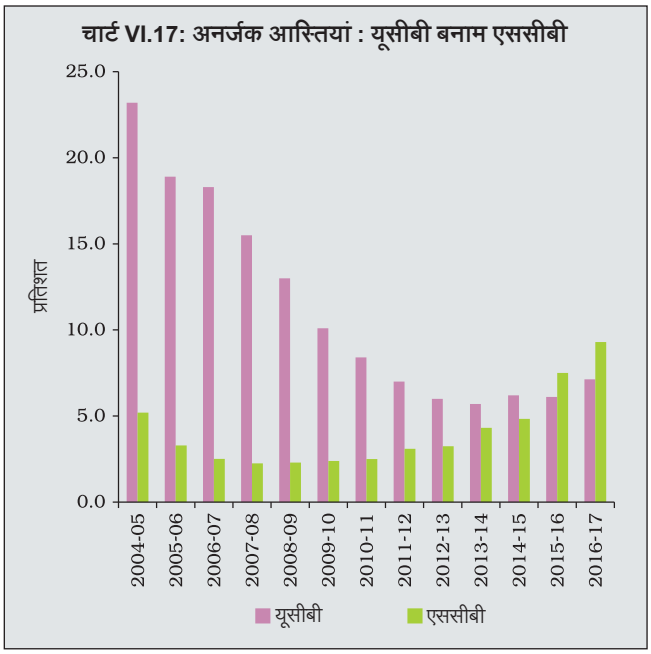

कारण बड़ी अवसंरचनात्मक और औद्योगिक परियोजनाओं में बाधा आना हो सकता है जिनको परंपरागत रूप से एससीबी द्वारा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं वहीं इससे इतर यूसीबी द्वारा खुदरा और लघु उद्योग श्रेणी को सुविधाएं प्रदान की जाती है।

VI.18 वर्ष के दौरान यूसीबी के प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) में गिरावट देखी गई। हाल के वर्षों में सकल अनर्जक आस्तियों (जीएनपीए) और पीसीआर का संचलन 2016-17 में अनर्जक आस्तियों में बढ़ोतरी के विरुद्ध बफर तैयार करने में यूसीबी की विलंबित प्रतिक्रिया को दर्शाता है। (चार्ट VI.18)

VI.19 इससे पता चलता है कि वर्ष 2016-17 में जीएनपीए अनुपात में वृद्धि के कारण भविष्य में उच्चतर प्रावधानीकरण की आवश्यकता होगी। (सारणी VI.7)।

VI.20 यूसीबी की ऋण शोधन क्षमता की बिगड़ती स्थिति – जिसका आकलन कुल पूंजी सहित बैंकों के तुलन-पत्र में

चार्ट VI.16: निवल मालियत वृद्धि बनाम आस्ति वृद्धि

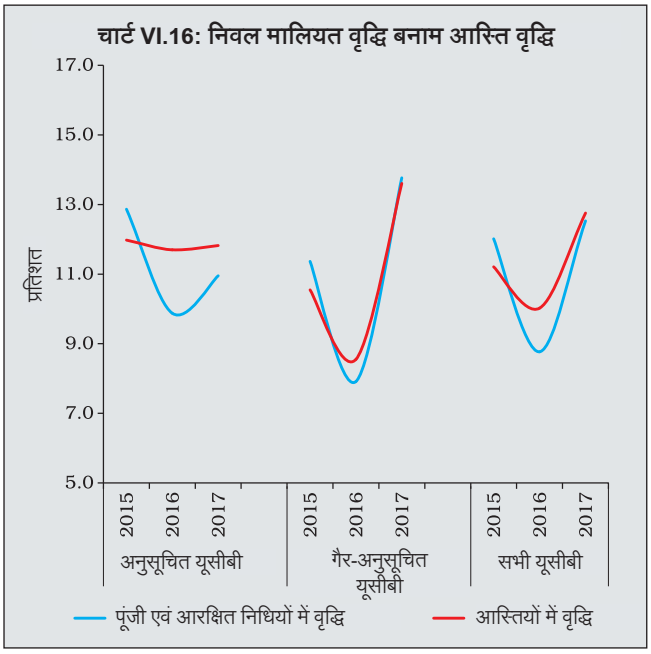

चार्ट VI.18: एनपीए और पीसीआर - यूसीबी

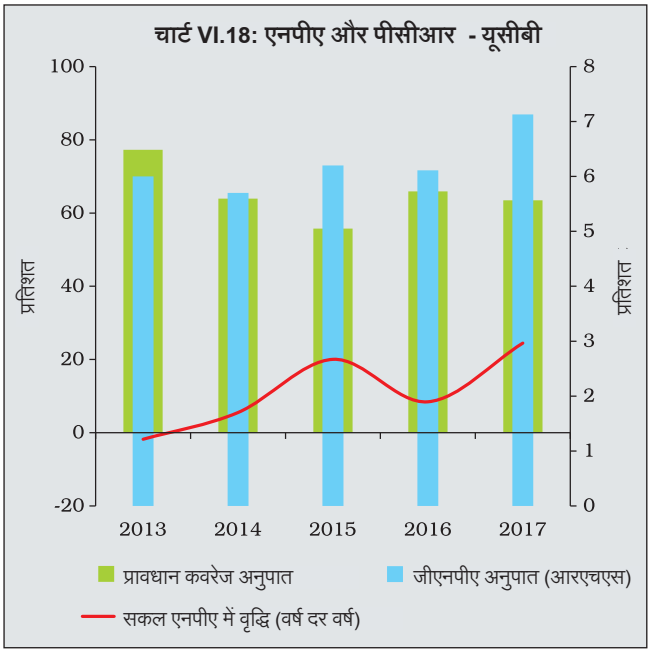

अनुपात अथवा इक्विटी गुणांक में ऋण-इक्विटी संघटना का एक संकेतक भी है। इसके विपरीत आरओए बैंकों के आस्ति उपयोग की गुणवत्ता और लागत प्रबंधन का कुल जमा है। ये दोनों डू पांट आईडेंटिटी के आधार की संरचना करते हैं।

डू पांट आईडेंटिटी:

$$Return\ on\ Equity \equiv Return\ on\ Assets * Leverage$$

अपघटन 1:

$$Return\ on\ Equity \equiv Return\ on\ Assets * Leverage$$

अपघटन 2:

$$\frac{Net\ Profit}{Average\ Assets} = \frac{Net\ Income - Provisions\ and\ Contingencies}{Average\ Assets} - \frac{Operating\ Expenses}{Average\ Assets}$$

अपघटन 2 में पहली और दूसरी टर्म क्रमशः प्रभावी आस्ति उपयोग और लागत प्रबंधन का प्रतीक है। विश्लेषण के पूरा करने हेतु आरओई के प्रत्येक घटक के एकल योगदान को समझने के लिए अपघटन 1 में प्राप्त गुणनफल को इसके घटकों के जोड़ को लॉग में परिवर्तित किया गया है और घटकों की वृद्धि दरों की संपूर्ण की वृद्धि दर के साथ तुलना की गई है । इसी प्रकार का विश्लेषण दूसरे अपघटन के लिए किया गया है परन्तु ऐसा बिना लॉग परिवर्तन के किया गया है।

यदि उच्चतर आरओई इक्विटी पूंजी को कम लागत के दीर्घावधि ऋण द्वारा स्थानापन्न के माध्यम से संचालित किया जाता है तो यह भविष्य में सामने आने वाले दबाव का संकेत है। उदाहरण के लिए वर्ष 2013 और 2015 के बीच गैर-अनुसूचित यूसीबी (एनएसयूसीबी) ने अपनी लाभप्रदता में वृद्धि दर्ज की जबकि आरओई में वृद्धि लीवरेज में बढ़ोतरी द्वारा संचालित थी यद्यपि इस दौरान आरओए में गिरावट दर्ज की गई थी (चार्ट सी) । इस चरण के दौरान आस्तियों में अत्यधिक प्रसरण देखा गया जो आंतरिक निधियों के बजाय उधार द्वारा संचालित था।

वर्ष 2016-17 के दौरान एसयूसीबी की आरओई में सुधार में आरओए की तुलना में लीवरेज ने एक बड़ी भूमिका अदा की। यद्यपि एसयूसीबी की आस्ति वृद्धि औसत स्तर पर रही है परन्तु उधार की वृद्धि दोगुनी हो गई है (संदर्भ सारणी VI.3) । बाजार से पूंजी जुटाने की सुविधा देने के बावजूद एसयूसीबी ने महंगी इक्विटी का सस्ते ऋण द्वारा स्थानापन्न कर लिया है।[8] एनएसयूबी की लीवरेज में भी वर्ष 2016-17 में वृद्धि हुई है हालांकि इसकी दर कम रही है, परन्तु आस्तियों में उच्च वृद्धि से उच्च प्रतिलाभ प्राप्त नहीं हुआ (चार्ट 1 डी) ।

चार्ट 1.सी : गैर-अनुसूचित यूसीबी की लाभप्रदता में वृद्धि का अपघटन (2013-15)

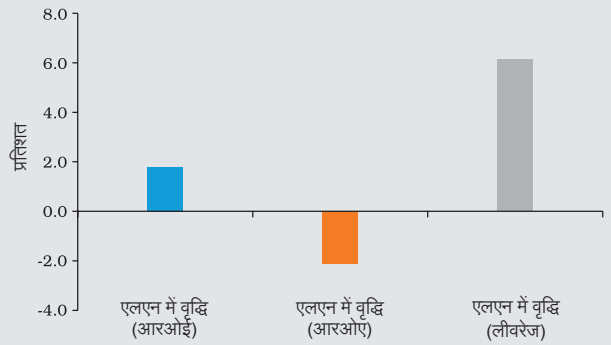

चार्ट 1.डी: आरओई में वृद्धि का अपघटन – दो समय बिंदुओं के बीच तुलना

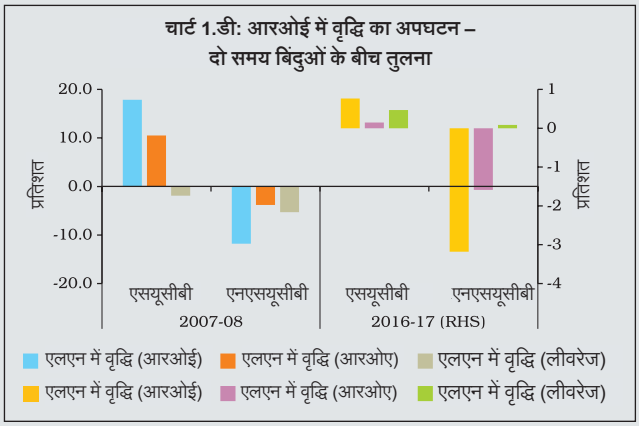

वर्ष 2016-17 में बेहतर आस्ति उपयोग के बजाय कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीसी) जैसी प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर अधिक बल के कारण बेहतर लागत प्रबंधन से एसयूसीबी की आस्तियों पर संवर्धित प्रतिलाभ लाभ प्राप्त हुआ है। वर्ष 2016-17 में एनएसयूसीबी द्वारा आस्तियों का अप्रभावी उपयोग किया गया है। (चार्ट 1 ई)

चार्ट 1.ई: आरओए में वृद्धि का अपघटन – दो समय बिंदुओं के बीच तुलना

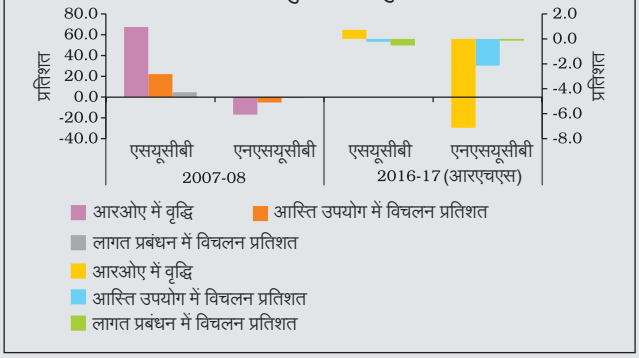

संक्षेप में, समेकन के आरंभिक चरण के दौरान एसयूसीबी की लाभप्रदता में वृद्धि केवल उनकी आस्तियों से उच्चतर आय के कारण हुई थी जबकि दूसरे चरण के दौरान उनकी लाभप्रदता में वृद्धि बेहतर लागत प्रबंधन से हुई चूंकि उच्चतर लीवरेज से आस्तियों में विस्तार के कारण पर्याप्त प्रतिलाभ प्राप्त नहीं हो सका। दूसरी ओर एनएसयूसीबी की लाभप्रदता समेकन के चरण से निरपेक्ष आस्तियों के अप्रभावी उपयोग से ग्रसित रही।

[8] जुलाई 2008 में यूसीबी को बेमियादी असंचयी अधिमान शेयर (पीएनसीपीएस) और दीर्घावधि (गौण) जमा (एलटीडी) के माध्यम से पूंजी जुटाने की अनुमति प्रदान की गई थी। जुलाई 2016 में वित्तीय रूप से सुदृढ़ यूसीबी को एलटीडी के माध्यम निश्चित मात्रा तक पूंजी जुटाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त करने से छूट प्रदान की गई थी। इसलिए, सफलतापूर्वक पूंजी जुटाने के संबंध में यूसीबी के लिए जो लाभप्रदता मेट्रिक सबसे महत्वपूर्ण है वह इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) है।

चार्ट VI.20: यूसीबी का गैर-ब्याज आय शेयर

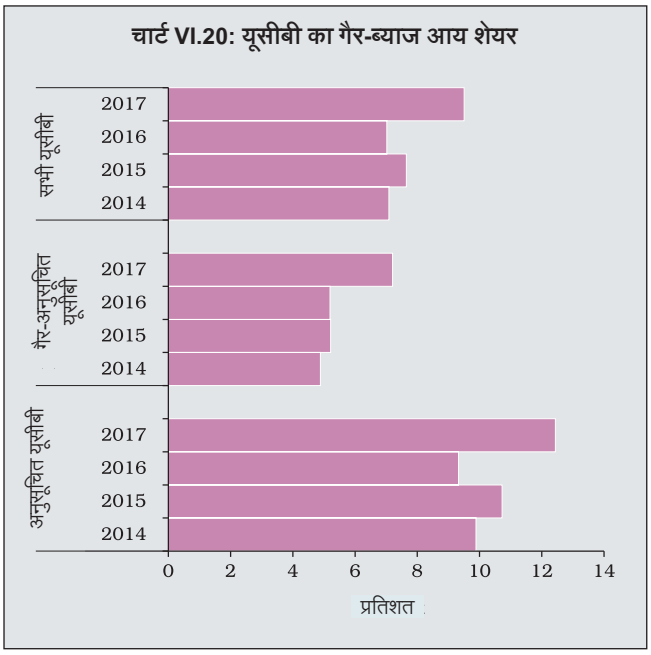

चार्ट VI.21: गैर ब्याज आय बनाम पूंजी बफर का शेयर – अनुसूचित यूसीबी

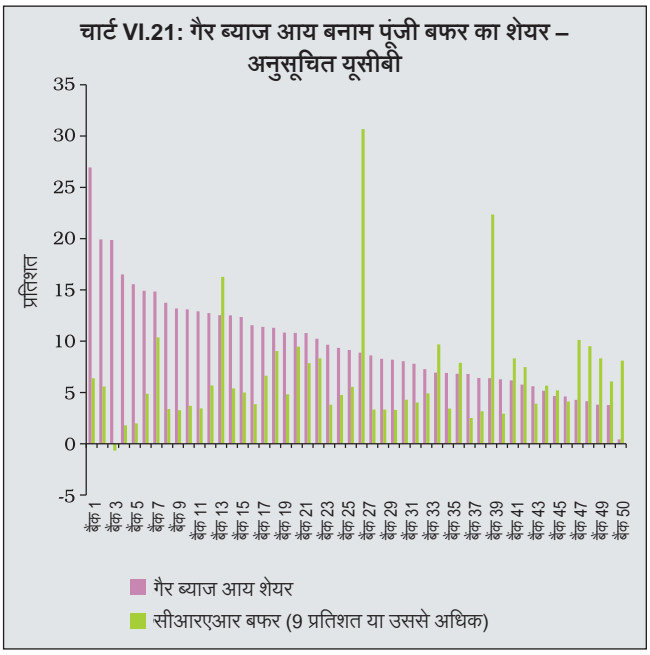

VI.22 वर्ष 2016-17 के दौरान यूसीबी की कुल आय में गैर-ब्याज से आय के शेयर में सुस्पष्ट वृद्धि देखी गई है जो परम्परागत वित्तीय मध्यस्था से शिफ्ट और घटते ब्याज मार्जिन के समायोजन के लिए आय ढांचे के विविधीकरण को दर्शाता है (चार्ट VI.20)। गैर-ब्याज आय सृजित करने वाली गतिविधियों की ओर शिफ्ट गैर-ब्याज आय के उच्चतर लीवरेज और अस्थिरता के कारण अधिक पूंजी बफर को अपरिहार्य बना देता है।

VI.23 एसयूसीबी का विश्लेषण यह दर्शाता है कि कुल आय में गैर-ब्याज से आय के उच्चतर शेयर द्वारा प्रतिबिंबित यूसीबी के विविधीकरण के अनुपूरक के तौर पर उच्चतर पूंजी बफर नहीं रखा गया है। (चार्ट VI.21)[7]

VI.24 वर्ष 2016-17 में शहरी सहकारी बैंकों के आस्ति पर प्रतिलाभ (आरओए) और इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) दोनों में कमी आई है (चार्ट VI.22)। परन्तु शहरी सहकारी बैंकों के भीतर भी अनुसूचित यूसीबी के साथ-साथ गैर-अनुसूचित यूसीबी के लाभप्रदता संकेतकों में सुधार देखा गया है (चार्ट VI.23)।

VI.25 अनसूचित यूसीबी ने वर्ष 2016-17 में न केवल उच्चतर लाभप्रदता दर्ज की है अपितु उनकी दक्षता में भी सुधार देखा गया है क्योंकि उनके निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) में कमी आई है जो वित्तीय मध्यस्था की लागत में

चार्ट VI.22: लाभप्रदता संकेतक – यूसीबी

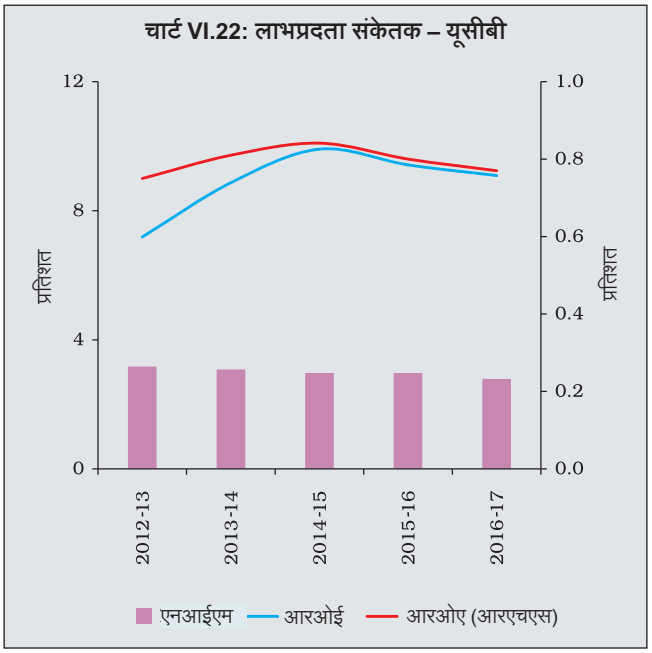

[7] नकारात्मक पूंजी पर्याप्तता अनुपात वाले चार अनुसूचित बैंकों को इस विश्लेषण में शामिल नहीं किया गया है।

चार्ट VI.23: लाभप्रदता संकेतक – एसयूसीबी बनाम एनएसयूसीबी

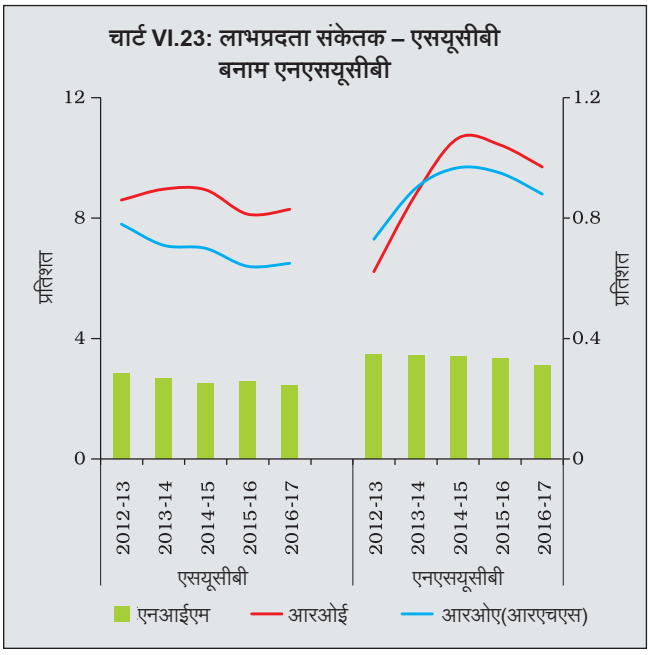

गिरावट को इंगित करता है। गैर-अनुसूचित यूसीबी के लाभप्रदता संकेतक उच्चतर स्तर पर रहे परन्तु अनुसूचित यूसीबी के संकेतकों की तुलना में अधिक परिवर्तनशील थे। (सारणी VI.9)।

सारणी VI.9: यूसीबी के चयनित लाभप्रदता संकेतक

(प्रतिशत)

संकेतक	अनुसूचित यूसीबी		गैर-अनुसूचित यूसीबी		सभी यूसीबी	
	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17
1	2	3	4	5	6	7
आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.64	0.65	0.95	0.88	0.80	0.77
इक्विटी पर प्रतिलाभ	8.13	8.29	10.43	9.70	9.42	9.09
निवल ब्याज मार्जिन	2.57	2.43	3.33	3.11	2.97	2.79

नोट: वर्ष 2016-17 के आंकड़े अनंतिम हैं।

VI.26 भिन्न-भिन्न स्तर पर अनुसूचित और गैर-अनुसूचित यूसीबी के लाभप्रदता संकेतकों में अलग-अलग विचलन देखा गया। समेकन और सुधार के विभिन्न चरणों के दौरान शहरी सहकारी बैंकों के इन दो समूहों की लाभप्रदता के संचालकों का डू पांट विश्लेषण आस्तियों के प्रभावी उपयोग और मितव्ययी लागत प्रबंधन को दर्शाता है (बॉक्स VI.1)

बॉक्स VI.1: अनुसूचित और गैर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की लाभप्रदता को क्या संचालित करता है? : एक डू पांट विश्लेषण

यूसीबी के पुनर्द्धार के लिए विजन दस्तावेज 2005 में तैयार की गई बहु-स्तरीय कार्यनीति का सक्रिय तौर पर अनुपालन किया जा रहा है। इसका परिणाम संवर्धित वित्तीय शक्ति के साथ एक सुदृढ़ और व्यवहार्य शहरी सहकारी बैंकिंग सेक्टर के उत्थान के रूप में सामने आया है। यूसीबी के पुनर्द्धार के इस चरण के विश्लेषण से कई रोचक विशेषताएं प्रकट होती है। विलय और समामेलन के माध्यम से सेक्टर में समेकन और अव्यवहार्य संस्थाओं के निकास ने 2009-10 तक इस कार्यनीति का आधार तैयार किया। वर्ष 2012-13 से फोकस यूसीबी को परिचालन की दृष्टि से अधिक दक्ष बनाने पर शिफ्ट हो गया। समेकन के दो चरणों , 2006-09 तक एक – (आरंभिक चरण) और 2012-17 – (बाद के चरण) को इस प्रकार चिह्नित किया जा सकता है। इन दो चरणों के दौरान लाभप्रदता संकेतक इस अवधि के दौरान यूसीबी सेक्टर के वित्तीय निष्पादन में सुधार को दर्शाते हैं। (चार्ट 1 ए और चार्ट 1 बी)

एक डू पांट विश्लेषण लाभप्रदता के संचालकों को दक्षता और संवर्धित लीवरेज के बीच अपघटित करता है । इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) का लाभप्रदता मेट्रिक आस्ति पर प्रतिलाभ (आरओए) (वित्तीय निष्पादन का एक विशेषक भी है) का एक घटक और बैंकों के निधीयन ढांचे – लीवरेज

चार्ट 1.ए : लाभप्रदता आंकड़े – समेकन का आरंभिक और पिछला चरण

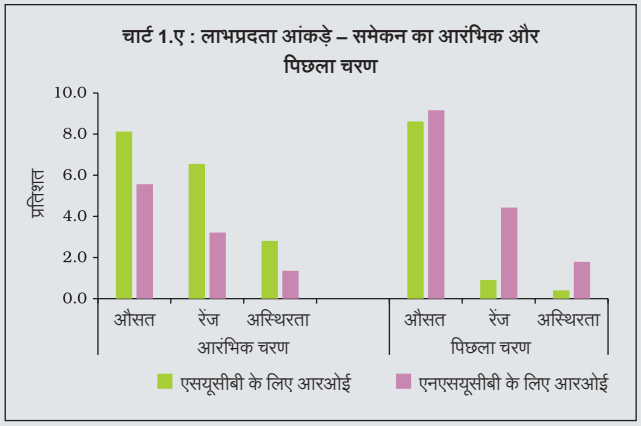

चार्ट 1.बी : आरओई में वृद्धि (वर्ष दर वर्ष) – समेकन का आरंभिक और पिछला चरण

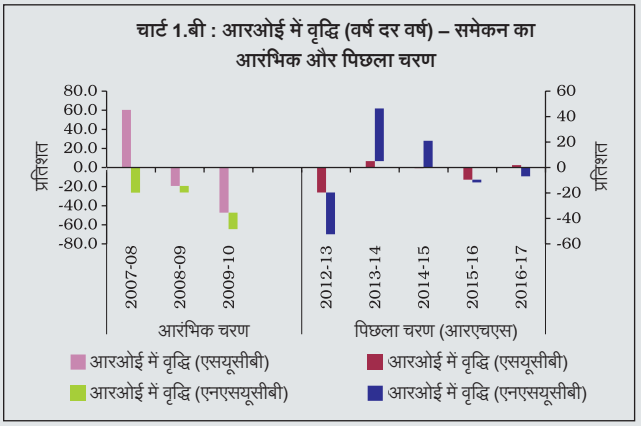

(जारी...)

अनुपात अथवा इक्विटी गुणांक में ऋण-इक्विटी संघटना का एक संकेतक भी है। इसके विपरीत आरओए बैंकों के आस्ति उपयोग की गुणवत्ता और लागत प्रबंधन का कुल जमा है। ये दोनों डू पांट आईडेंटिटी के आधार की संरचना करते हैं।

डू पांट आईडेंटिटी:

$$Return\ on\ Equity \equiv Return\ on\ Assets * Leverage$$

अपघटन 1:

$$Return\ on\ Equity \equiv Return\ on\ Assets * Leverage$$

अपघटन 2:

$$\frac{Net\ Profit}{Average\ Assets} = \frac{Net\ Income - Provisions\ and\ Contingencies}{Average\ Assets} - \frac{Operating\ Expenses}{Average\ Assets}$$

अपघटन 2 में पहली और दूसरी टर्म क्रमशः प्रभावी आस्ति उपयोग और लागत प्रबंधन का प्रतीक है। विश्लेषण के पूरा करने हेतु आरओई के प्रत्येक घटक के एकल योगदान को समझने के लिए अपघटन 1 में प्राप्त गुणनफल को इसके घटकों के जोड़ को लॉग में परिवर्तित किया गया है और घटकों की वृद्धि दरों की संपूर्ण की वृद्धि दर के साथ तुलना की गई है । इसी प्रकार का विश्लेषण दूसरे अपघटन के लिए किया गया है परन्तु ऐसा बिना लॉग परिवर्तन के किया गया है।

यदि उच्चतर आरओई इक्विटी पूंजी को कम लागत के दीर्घावधि ऋण द्वारा स्थानापन्न के माध्यम से संचालित किया जाता है तो यह भविष्य में सामने आने वाले दबाव का संकेत है। उदाहरण के लिए वर्ष 2013 और 2015 के बीच गैर-अनुसूचित यूसीबी (एनएसयूसीबी) ने अपनी लाभप्रदता में वृद्धि दर्ज की जबकि आरओई में वृद्धि लीवरेज में बढ़ोतरी द्वारा संचालित थी यद्यपि इस दौरान आरओए में गिरावट दर्ज की गई थी (चार्ट सी) । इस चरण के दौरान आस्तियों में अत्यधिक प्रसरण देखा गया जो आंतरिक निधियों के बजाय उधार द्वारा संचालित था।

वर्ष 2016-17 के दौरान एसयूसीबी की आरओई में सुधार में आरओए की तुलना में लीवरेज ने एक बड़ी भूमिका अदा की। यद्यपि एसयूसीबी की आस्ति वृद्धि औसत स्तर पर रही है परन्तु उधार की वृद्धि दोगुनी हो गई है (संदर्भ सारणी VI.3) । बाजार से पूंजी जुटाने की सुविधा देने के बावजूद एसयूसीबी ने महंगी इक्विटी का सस्ते ऋण द्वारा स्थानापन्न कर लिया है।[8] एनएसयूबी की लीवरेज में भी वर्ष 2016-17 में वृद्धि हुई है हालांकि इसकी दर कम रही है, परन्तु आस्तियों में उच्च वृद्धि से उच्च प्रतिलाभ प्राप्त नहीं हुआ (चार्ट 1 डी) ।

चार्ट 1.सी : गैर-अनुसूचित यूसीबी की लाभप्रदता में वृद्धि का अपघटन (2013-15)

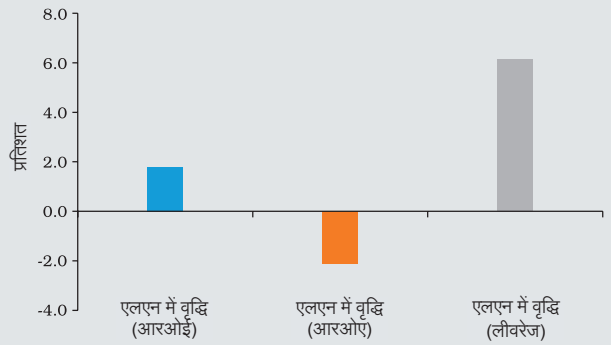

चार्ट 1.डी: आरओई में वृद्धि का अपघटन – दो समय बिंदुओं के बीच तुलना

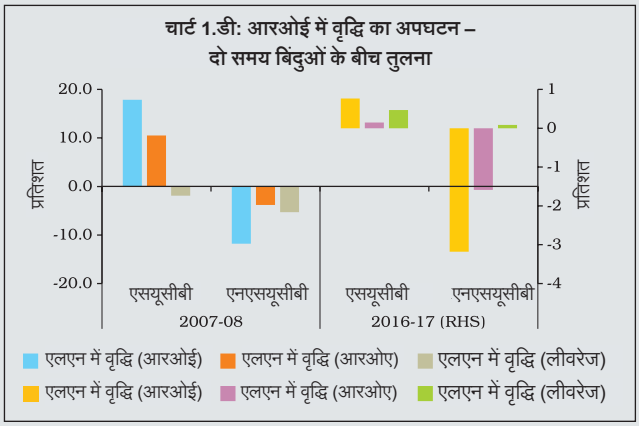

वर्ष 2016-17 में बेहतर आस्ति उपयोग के बजाय कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीसी) जैसी प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर अधिक बल के कारण बेहतर लागत प्रबंधन से एसयूसीबी की आस्तियों पर संवर्धित प्रतिलाभ लाभ प्राप्त हुआ है। वर्ष 2016-17 में एनएसयूसीबी द्वारा आस्तियों का अप्रभावी उपयोग किया गया है। (चार्ट 1 ई)

चार्ट 1.ई: आरओए में वृद्धि का अपघटन – दो समय बिंदुओं के बीच तुलना

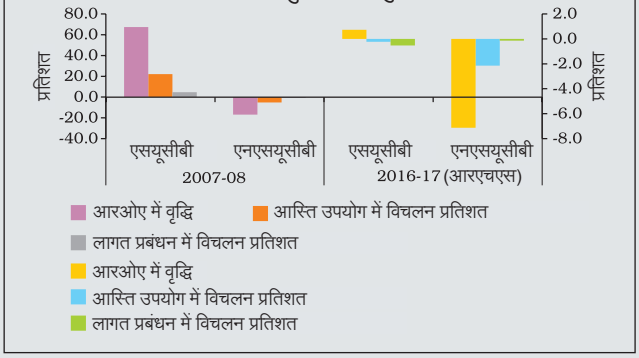

संक्षेप में, समेकन के आरंभिक चरण के दौरान एसयूसीबी की लाभप्रदता में वृद्धि केवल उनकी आस्तियों से उच्चतर आय के कारण हुई थी जबकि दूसरे चरण के दौरान उनकी लाभप्रदता में वृद्धि बेहतर लागत प्रबंधन से हुई चूंकि उच्चतर लीवरेज से आस्तियों में विस्तार के कारण पर्याप्त प्रतिलाभ प्राप्त नहीं हो सका। दूसरी ओर एनएसयूसीबी की लाभप्रदता समेकन के चरण से निरपेक्ष आस्तियों के अप्रभावी उपयोग से ग्रसित रही।

[8] जुलाई 2008 में यूसीबी को बेमियादी असंचयी अधिमान शेयर (पीएनसीपीएस) और दीर्घावधि (गौण) जमा (एलटीडी) के माध्यम से पूंजी जुटाने की अनुमति प्रदान की गई थी। जुलाई 2016 में वित्तीय रूप से सुदृढ़ यूसीबी को एलटीडी के माध्यम निश्चित मात्रा तक पूंजी जुटाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त करने से छूट प्रदान की गई थी। इसलिए, सफलतापूर्वक पूंजी जुटाने के संबंध में यूसीबी के लिए जो लाभप्रदता मेट्रिक सबसे महत्वपूर्ण है वह इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) है।

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम

VI.27 प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार यूसीबी[9] की समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का कम से कम 40 प्रतिशत स्तर पर होना चाहिए। उनके शहरी क्षेत्र में फोकस को देखते हुए एससीबी की तरह की यूसीबी को कृषि क्षेत्र को उधार देने की अनिवार्यता नहीं है। सूक्ष्म और लघु उद्योगों, आवास, सूक्ष्म-ऋण और अन्य घटक उनके द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले अग्रिमों का प्रमुख हिस्सा होते हैं। (सारणी VI.10) [10, 11]

सारणी VI.10 : यूसीबी द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण का संघटन (मार्च 2017 समाप्ति की स्थिति)

(राशि बिलियन ₹ में)

मद	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम	
	राशि	कुल अग्रिमों में शेयर (प्रतिशत)
1	2	3
1. कृषि ऋण	**76**	**3.0**
1.1 प्रत्यक्ष कृषि ऋण	32	1.2
1.2 अप्रत्यक्ष कृषि ऋण	44	1.7
2. सूक्ष्म एवं लघु उद्योग	**732**	**28.0**
2.1 सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को प्रत्यक्ष ऋण	576	22.1
2.2 सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को अप्रत्यक्ष ऋण	156	6.0
3. सूक्ष्म ऋण	**108**	**4.1**
4. एससी/एसटी के लिए राज्य द्वारा प्रायोजित संगठन	**2**	**0.1**
5. शिक्षा ऋण	**22**	**0.8**
6. आवास ऋण	**253**	**9.7**
7. कुल (1 से 6)	**1192**	**45.6**
में से कमजोर वर्ग को अग्रिम	**271**	**10.4**

नोट: 1. 2017 के लिए आंकड़े अनंतिम है।
2. प्रतिशत यूसीबी के कुल ऋण के संबंध में है।
3. पूर्णांकित करने के लिए कुल योग में घटकों को नहीं जोड़ा गया है।

VI.28 ऐतिहासिक रूप से यूसीबी द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिया जाने वाला उधार पीएसबी की तुलना में अधिक रहा, लेकिन 2016-17 में यूसीबी द्वारा दिए गए कुल अग्रिम में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए अग्रिम की भागीदारी में गिरावट दर्ज की गई। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के भीतर, सूक्ष्म और लघु उद्योगों, सूक्ष्म ऋण और कृषि क्षेत्र को दिए ऋण में वृद्धि हुई है जबकि अन्य क्षेत्रों को दिए जाने वाले उधार में तेजी से कमी आई है। (चार्ट VI.24)

VI.29 यूसीबी को उनके प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की कुल राशि का एक हिस्सा समाज के कमजोर वर्गों को देने के अधिदेश को देखते हुए कि यह इस प्रकार प्रदान किया जाए कि यह औसत आधार पर उनकी एएनबीसी[12] का कम से कम 10 प्रतिशत हो,

चार्ट VI.24: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण – यूसीबी
(कुल अग्रिम का शेयर)

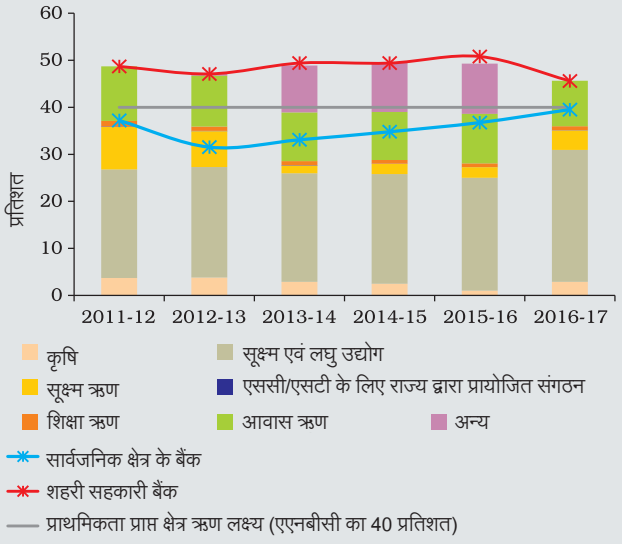

[9] समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) (कुल ऋण और अग्रिम में से रिज़र्व बैंक और अन्य अनुमोदित वित्तीय संस्थानों के पास पुनः भुनाए गए बिलों सहित परिपक्वता तक धारिता (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत गैर-एसएलआर बांड में 30 अगस्त 2007 के बाद किए गए निवेश)

[10] प्रति उधारकर्ता ₹50,000/- तक अथवा प्रतिभूति रहित अग्रिमों की अधिकतम अनुमेय सीमा जो भी कम हो की राशि के ऋण और वित्तीय सेवाओं और उत्पादों के लिए प्रावधान।

[11] अन्य घटकों में बैंकों द्वारा व्यक्तियों को सीधे प्रदान किए गए ₹50,000/- तक के प्रति उधारकर्ता ऋण; पहले से ही आपदाग्रस्त व्यक्तियों (किसानों के अलावा जो पहले ही कृषि श्रेणी के अंतर्गत शामिल है) को गैर संस्थागत उधारदाताओं का कर्जा चुकाने के लिए प्रति उधारकर्ता ₹50,000/- तक के ऋण; कृषि और अन्य अनुषंगी गतिविधियों के लिए स्वयं सहायता समूह/ संयुक्त देयता समूह को दिए गए ऋण को भी प्राथमिकता- प्राप्त ऋण के अंतर्गत ऋण माना जाएगा। एसएचजी/ जेएलजी को ₹50,000/- के अन्य ऋणों को सूक्ष्म ऋण के रूप में माना जाएगा एवं इस प्रकार इसे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम के रूप में माना जाएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के राज्य द्वारा प्रयोजित संगठनों को निविष्टियों की खरीद और आपूर्ति अथवा / और इन संगठनों केलाभार्थियों के उत्पादों के विपणन के विशेष उद्देश्य के लिए प्रदान किए गए ऋण शामिल हैं।

[12] निम्नलिखित उधारकर्ताओं को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण 'कमजोर वर्ग' के अंतर्गत ऋण माना जाएगा : छोटे ओर सीमान्त किसान, कारीगर, ग्रामीण और कुटीर उद्योग जहां एकल ऋण सीमा ₹50,000/- से अधिक नहीं हो, महिलाएं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, विकलांग व्यक्ति, ₹5,000/- से कम मासिक आय वाले व्यक्तियों को शिक्षा ऋण, स्वयं सहायता समूह को ऋण, गैर-संस्थागत उधारदाताओं के ऋणी आपदाग्रस्त किसानों को ऋण, गैर-संस्थागत उधारदाताओं के ऋण के पूर्व भुगतान के लिए किसानों से इतर आपदाग्रस्त व्यक्तियों को प्रति उधारकर्ता ₹50,000/- तक के ऋण, और अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को ऋण जिनके विषय में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है।

तथापि विशेष रूप से उनके प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण का औसतन 26 प्रतिशत समाज के कमजोर वर्ग में आबंटित किया गया है। वर्ष 2016-17 में इसमें गिरावट दर्ज की गई है (चार्ट VI.25)।

VI.30 अप्रैल 2016 से, उनके समग्र ऋणों में कम से कम 90 प्रतिशत तक प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र पोर्टफोलियों वाले 'वित्तीय रूप से सुदृढ़' यूसीबी[13] को वित्तीय समावेशन को अतिरिक्त संवेग प्रदान करने के लिए उनकी कुल आस्तियों (पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च की तारीख तक लेखा-परीक्षित तुलन-पत्रों के अनुसार कुल आस्तियों के 10 प्रतिशत की मौजूदा सीमा से अधिक) के 35 प्रतिशत तक प्रतिभूति रहित अग्रिम प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई है। इसकी शर्त यह है कि प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र सहित सामान्य अनुमति प्राप्त 10 प्रतिशत की सीमा से अधिक समग्र प्रतिभूति रहित ऋण पोर्टफोलियो और किसी एक उधारकर्ता के प्रति एक्सपोजर रू.40,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

चार्ट VI.25: यूसीबी द्वारा कमजोर वर्गों को अग्रिम

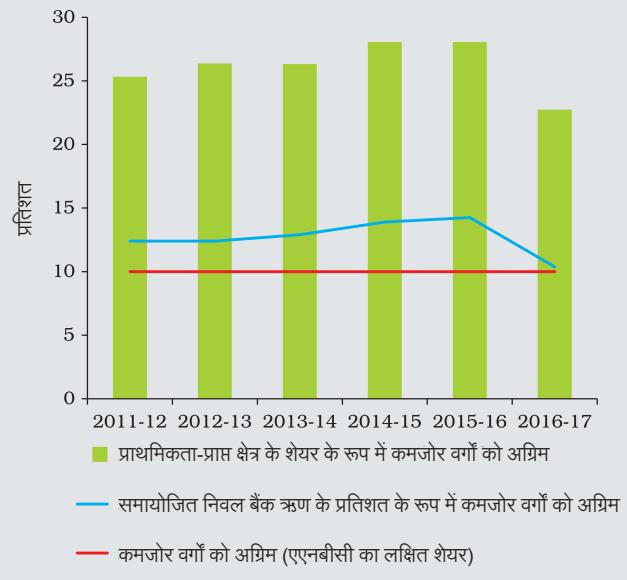

VI.31 संक्षेप में, समेकन के लिए जारी प्रयास वर्ष के दौरान यूसीबी के विभिन्न निष्पादन संकेतकों में देखे जा सकते हैं। बढ़ते जमा और उच्चतर निवेश से शहरी सहकारी बैंकों के तुलन-पत्र के आकार में अत्यधिक वृद्धि हुई है। अग्रानुक्रम में यूसीबी ने लाभप्रदता के संबंध में बेहतर निष्पादन किया है जो आंशिक रूप से सुधरती पूंजी स्थिति द्वारा आसान बनाई गई विविधीकरण कार्यनीतियों के कारण संभव हुआ है। परन्तु उनकी आस्ति गुणवत्ता में कुछ अवनति हुई है जो आंशिक रूप से विमुद्रीकरण के तत्काल प्रभाव के बाद छोटे उधारकर्ताओं द्वारा पुनर्भुगतान में आई अस्थायी समस्याओं के कारण हुआ है।

III. ग्रामीण सहकारी संस्थाएं[14]

VI.32 भारत में ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं में दो अलग-अलग सेट शामिल हैं – अल्पावधि और दीर्घावधि संस्थाएं और प्रत्येक के विशेष उद्देश्य होते हैं। अल्पावधि सहकारी संस्थाएं मुख्यतः किसानों और ग्रामीण कारीगरों को अल्पावधि[15] फसल ऋण और कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध करवाते हैं जबकि दीर्घावधि सहकारी संस्थाएं विशेष तौर पर कृषि में निवेश के लिए मध्यम से दीर्घावधि ऋण प्रदान करती हैं जिसमें भूमि का विकास, फार्म मशीनीकरण और लघु सिंचाई ; ग्रामीण उद्योग; और हाल ही में आवास ऋण को भी शामिल किया गया है। सारणी VI.11 में ग्रामीण सहकारी संस्थाओं का प्रोफाइल प्रस्तुत किया गया है।

VI.33 कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले कुल संस्थागत ऋण में ग्रामीण सहकारी संस्थाओं का हिस्सा वर्ष 1992-93 के 64 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2015-16 में 17 प्रतिशत रह गया है। इसी के अनुरूप कृषि सकल पूंजी निर्माण में दीर्घावधि ग्रामीण ऋण सहकारी संस्थाओं के शेयर में भी गिरावट दर्ज की गई । (सारणी VI.12) ।

VI.34 अल्पावधि ग्रामीण संस्थाओं के ढांचे की कार्यप्रणाली और निष्पादन को सुधारने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक और

[13] 'वित्तीय रूप से सुदृढ़' शहरी सहकारी बैंक का तात्पर्य उन बैंकों से है जो नवीनतम निरीक्षण रिपोर्ट और लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करते हैं : (क) सीआरएआर 9 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए, (ख) सकल एनपीए 7 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

[14] ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के आंकड़ें विलंब से उपलब्ध होने के कारण यह खंड वर्ष 2015-16 के आंकड़ों पर आधारित है।

[15] पिछले कुछ समय के दौरान उनको भी कृषि और सामान्य तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए मध्यमावधि ऋण प्रदा करने के लिए विशाखीकृत किया गया है और ऐसा प्राय नाबार्ड के पुनर्वित की सहायता से किया गया है।

सारणी VI.11: ग्रामीण सहकारी संस्थाओं का प्रोफाइल
(31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार)

(राशि बिलियन ₹ में)

मद	अल्पावधि			दीर्घावधि	
	एससीबी	डीसीसीबी	पीएसीएस	एससीएआरडीबी	पीसीएआरडीबी
1	2	3	4	5	6
ए. सहकारी संस्थाओं की संख्या	33#	370	93367	13	601
बी. तुलन-पत्र संकेतक					
i स्वयं की निधियां (पूंजी + आरक्षित निधियां)	151	340	244	50	36
ii. जमा	1,093	2,982	1,011	24	14
iii. उधार	688	836	1,127	146	143
iv. ऋण एवं अग्रिम	1,229	2,427	1,808	204	127
v. कुल देयताएं / आस्तियां	2,067	4,582	2,013*	275	241
सी. वित्तीय निष्पादन					
i. लाभ में चल रहे संस्थान					
ए. संख्या	28	319	45,241	9	306
बी. लाभ की राशि	7	17	41	0.98	0.18
ii. हानि में चल रहे संस्थान					
ए. संख्या	5	51	36,695	4	295
बी. हानि की राशि	1	6	65	0.95	3.63
iii. समग्र लाभ (+) हानि (-)	6	11	-24	0.03	-3.45
डी. अनर्जक आस्तियां					
i. राशि	56	227	299**	34	47
ii. बकाया ऋण में शेयर (प्रतिशत में)	4.5	9.3	18.9	16.6	37.0
ई. मांग अनुपात की तुलना में ऋण की वसूली * (प्रतिशत)**	91.7	79.6	82.4	63.6	51.5

नोटः एससीबी - राज्य सहकारी बैंक, डीसीसीबी : जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, पीएसीएस : प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी, एससीएआरडीबी : राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक,पीसीएआरडीबी : प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
#: आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अंतर्गत आंध्र प्रदेश का दो राज्यों में विभाजित हो गया जिसके परिणामस्वरूप आंध्र प्रदेश राज्य के सहकारी बैंकों को दो भागों आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक और तेलंगाना राज्य सहकारी शीर्ष बैंक में विभाजित कर दिया गया
* कार्यशील पूंजी, **कुल उपरिदेय ***यह अनुपात बकाया अनर्जक ऋण राशि के उस शेयर को दर्शाता है जिसकी वसूली की गई है।
स्रोत: नाबार्ड और एनएएफएससीओबी[16]

नाबार्ड ने पिछले एक दशक[17] के दौरान विभिन्न विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों के आधार पर कई उपाय किए हैं। ये उपाय मुख्यतः अल्पावधि ऋण ढांचे की खामियों को दूर करने का प्रयास करते हैं।

सारणी VI.12 : ऋण प्रवाह में शेयर – ग्रामीण सहकारी संस्थाएं

(आंकड़े प्रतिशत में)

	कृषि क्षेत्र को ऋण प्रवाह में शेयर		कृषि क्षेत्र के सकल पूंजी निर्माण में दीर्घावधि ग्रामीण ऋण सहकारी संस्थाओं से ऋण का शेयर
	सहकारी बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	
2012-13	18.0	11.0	12.5
2013-14	17.0	12.0	12.0
2014-15	17.0	12.0	13.0
2015-16	17.0	13.0	12.6

स्रोत : नाबार्ड

[16] नाबार्ड : राष्ट्रीय कृषिएवं ग्रामीण विकास बैंक, एनएएफएससीओबी: राज्य सहकारी बैंकों को राष्ट्रीय परिसंघ लिमिटेड।

[17] सहकारी ऋण ढांचे के पुनरूद्धार पर गठित कार्यबल 2004 (अध्यक्ष श्री ए वैद्यनाथन); ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थानों(दीर्घावधि) के पुनरूद्धार पर गठित कार्यबल 2006 (अध्यक्ष श्री ए वैद्यनाथन); वित्तीय क्षेत्र आकलन समिति, 2009 (अध्यक्ष श्री राकेश मोहन); त्रिस्तरीय अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे (एसटी सीसीएस) की जांच के लिए गठित विशेषज्ञ समिति, 2013 (अध्यक्ष श्री प्रकाश बक्शी)

VI.35 कृषि क्षेत्र के संस्थागत ऋण प्रवाह में अल्पावधि सहकारी ऋण संस्थाओं की लगातार एक महत्वपूर्ण स्थिति रही है और वाणिज्यिक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों[18] के आगमन और विस्तार के बाद भी वित्तीय समावेशन के एजेंडें को आगे बढ़ाने में एक सशक्त साधन रहे हैं। मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार पीएसबी, स्थानीय क्षेत्र बैंकों (एलएबी) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की कुल मिलाकर 110,361 शाखाओं की तुलना में अल्पावधि सहकारी संस्थाओं का कुल 108,776 शाखाओं का नेटवर्क है।[19]

VI.36 इन अल्पावधि ऋण संस्थाओं के पुनरूद्धार पर केंद्रित अनेक उपायों के परिणामस्वरूप पिछले कुछ समय में उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार देखा गया है। मार्च 2016 के अंत तक राज्य सहकारी बैंक, डीसीसीबी और पीएसीएस को मिलाकर अल्पावधि ऋण सहकारी संस्थाओं के पास मार्च 2015[20] के 92.8 प्रतिशत की तुलना में ग्रामीण सहकारी ऋण ढांचे की कुल 94.4 प्रतिशत आस्तियां थी । उसी दौरान सभी क्षेत्रों में पीएसीएस की संख्या में वृद्धि के साथ ही इनकी संख्या में भी वृद्धि हुई।

VI.37 कृषि ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन अल्पावधि ऋण सहकारी संस्थाओं को एक बड़ी भूमिका अदा करनी होगी। इसके बावजूद उनकी समग्र लाभप्रदता वर्ष 2015-16 में नकारात्मक हो गई जो पीएसीएस को हुई हानि में वृद्धि से संचालित थी। तथापि, पिछले कुछ समय में अल्पावधि सहकारी संस्थाओं के निष्पादन में समग्र रूप से सुधार आया है जिसके लिए *अन्य बातों के साथ-साथ* अनिवार्य लाइसेंस,

चार्ट VI.26: ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की कुल आस्तियों में अल्पावधि बनाम दीर्घावधि सहकारी संस्थाओं का शेयर

मार्च अंत की स्थिति

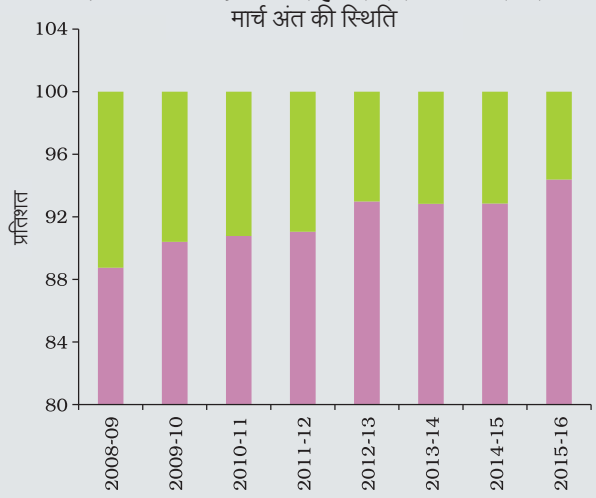

स्रोत: नाबार्ड

चरणबद्ध तरीके से न्यूनतम पूंजी आवश्यकता निर्धारित करना, समेकन, प्रौद्योगिकी का बढ़ता उपयोग और अभिशासन में सुधार के प्रयास शामिल हैं।[21]

VI.38 दीर्घावधि सहकारी ऋण ढांचे में सुधार के लिए की गई सिफारिशों को लागू किया जाना शेष है और सभी ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की कुल आस्तियों में इनके शेयर में लगातार कमी आ रही है। (चार्ट VI.26)

VI.39 दीर्घावधि संस्थाओं – एससीएआरडी और पीसीएआरडी की संख्या में भी लगातार गिरावट जारी है (चार्ट VI.27)। सीमित पहुंच, ऋण उत्पादों की सीमित रेंज और

[18] अल्पावधि ग्रामीण ऋण सहकारी ढांचे में राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक (एससीबी) जिला स्तर पर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) और गांव स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी (पीएसीएस) शामिल होते हैं। मार्च 2017 तक तीन स्तरीय अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचा जिसमें एससीबी, डीसीसीबी और पीएसीएस शामिल है, कुल 20 राज्यों में मौजूद था जिसमें से पूर्वोत्तर के राज्यों सहित 16 राज्यों में 2 स्तरीय अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचा परिचालन में था।

[19] एससीबी 1168, डीसीसीबी-14241 और पीएसीएस-93367

[20] राज्य सहकारी बैंक / डीसीसीबी संबंधित राज्य के राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित होते हैं। बैंकिंग विनियमन अधिनियम (जैसा कि सहकारी सोसायटी पर लागू होता है) की धारा 35ए के अंतर्गत राज्य एवं केंद्रीय सहकारी बैंकों के निरीक्षण की शक्तियां राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को प्रत्यायोजित कर दी गई है। पीएसीएस और दीर्घावधि ऋण सहकारी संस्थाएं बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अधिकार-क्षेत्र से बाहर है और इसलिए रिज़र्व बैंक द्वारा इनका विनियमन नहीं किया जाता है। नाबार्ड एसीएआरडीबी , उच्च स्तरीय सहकारी सोसायटी और परिसंघों का स्वैच्छिक आधार पर निरीक्षण करता है।

[21] नाबार्ड की वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार वर्ष 2015-16 के दौरान महाराष्ट्र में तीन बैंकों और पश्चिमी बंगाल के एक बैंक में सीबीएस का कार्यान्वयन किया गया है; उत्तर प्रदेश के 16 डीसीसीबी सीबीएस अपनाने की प्रक्रिया में है। उत्तरप्रदेश के 16 डीसीसीबी और महाराष्ट्र के तीन डीसीसीबी ने कारपोरेट अभिशासन फ्रेमवर्क लागू किया है।

चार्ट VI.27: मार्च 2015 से मार्च 2016 के बीच ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की संख्या में परिवर्तन

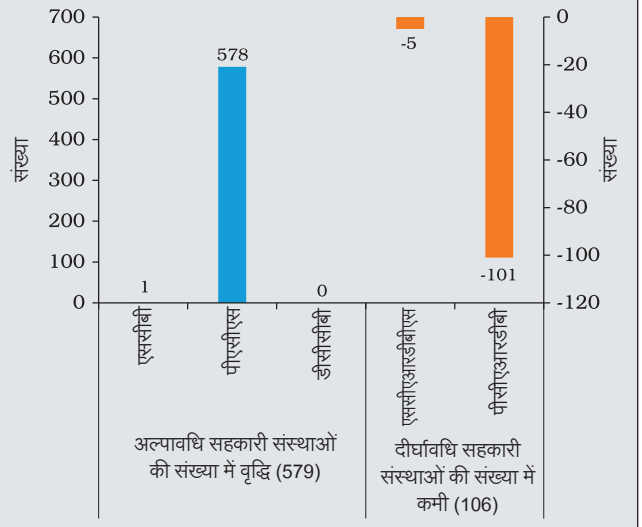

स्रोत: नाबार्ड

संसाधनों की बाधा ने इन संस्थाओं के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इसके अतिरिक्त, इनके डिजाइन में अंतर्निहित खामियों- गैर संसाधनों पर आधारित विशेषीकृत टर्म उधार देने वाले संस्थानों ने इनकी भूमिका को प्रभावी तरीके से पूरा करने को गंभीर रूप से सीमित कर दिया है।

अल्पावधि ग्रामीण ऋण सहकारी संस्थाएं

VI.40 अल्पावधि ग्रामीण ऋण सहकारी संस्थाएं अधिकतर राज्यों में तीन-स्तरीय ढांचे में परिचालन करती है जिसमें राज्य सहकारी बैंक शीर्ष स्तर पर और डीसीसीबी इसका प्रमुख सदस्य, डीसीसीबी मध्यवर्ती संघीय ढांचे के साथ पीएसीएस इसकी प्रमुख संबद्ध सदस्यों के रूप में कार्य करते हैं, और पीएसीएस में आधारभूत स्तर पर (गांव) किसान इसके सदस्य होते हैं। सैद्धान्तिक तौर पर पीएसीएस से किसान सदस्यों से जमा एकत्रित करने और उसको सदस्यों को कृषि ऋण प्रदान करने के लिए उपयोग करने की अपेक्षा रहती है। जब उधारकर्ता सदस्यों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जमा पर्याप्त नहीं होते हैं तो पीएसीएस उच्चतर स्तर संस्थानों, एससीबी / डीसीसीबी से सहायता प्राप्त करती है। डीसीसीबी का गठन छोटे कस्बों में जनता से जमा एकत्रित करने और पीएसीएस और उसके सदस्यों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक बैंक के रूप में किया गया था।

राज्य सहकारी बैंक

VI.41 राज्य सहकारी बैंक अल्पावधि ग्रामीण सहकारी ढांचे का शीर्ष संस्थान है जो जमा एकत्रित करता है और इस प्रकार डीसीसीबी और पीएसीएस को उनके किसान सदस्यों के प्रति प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक चलनिधि और तकनीकी सहायता / मार्गदर्शन प्रदान करता है। राज्य सहकारी बैंकों से अपने संबद्ध डीसीसीबी और पीएसीएस की फसल ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता के लिए उच्चतर पुनर्वित्त संस्थानों जैसे कि नाबार्ड से चलनिधि और पुनर्वित्त प्राप्त करने की भी अपेक्षा की जाती है। नाबार्ड से पुनर्वित्त के साथ-साथ पिछले कुछ समय में राज्य सहकारी बैंकों ने कृषि में निवेश और ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य तौर पर मध्यमावधि ऋण प्रदान करके अपने परिचालन का विविधीकरण किया है।

तुलन-पत्र परिचालन

VI.42 अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे में शीर्ष संस्थान, राज्य सहकारी बैंकों के तुलन-पत्र में वर्ष 2015-16 में सामान्य विस्तार हुआ है। देयता पक्ष की ओर वर्ष 2014-15[22] में संकुचन से जमा में परिवर्तन आया है और आस्ति पक्ष में लगातार दो वर्षों तक कम कृषि वृद्धि के कारण ऋण और अग्रिम में कम दर से बढ़ोतरी हुई है। उनके ऋण पोर्टफोलियो में कृषि ऋण का 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है (सारणी VI.13)

VI.43 वर्ष 2016-17 के लिए धारा 42 (2) की विवरणी में उपलब्ध अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों संबंधी सूचना (कुल 33 एससीबी में 17) यह दर्शाती है कि उनकी जमा दर और अधिक हो सकती है। सहकारी बैंकों के लिए उदारीकरण जो उन्हें गैर एसएलआर लिखतों तक पहुंच की अनुमति प्रदान करता है, के बावजूद वर्ष 2016-17 में पिछले वर्ष की तुलना में उनके एसएलआर निवेशों में तीव्र वृद्धि हुई है (सारणी VI.14)।

[22] वर्ष 2014-15 में संकुचन जुलाई 2014 में जारी दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन के कारण आया था जिसमें 31 मार्च 2015 तकडीसीसीबी को अपने जमा का पांच प्रतिशत सरकारी प्रतिभूतियों में रखना था।

सारणी VI.13: राज्य सहकारी बैंकों की देयताएं एवं आस्तियां

(राशि बिलियन ₹ में)

मद	मार्च समाप्ति की स्थिति		विचलन (%)	
	2015	2016	2014-15	2015-16
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	54 (2.7)	56 (2.73)	45.1	5.0
2. आरक्षित निधियां	88 (4.4)	94 (4.6)	-5.2	7.1
3. जमा	1,028 (51.7)	1,093 (52.9)	-1.5	6.3
4. उधार	687 (34.6)	688 (33.3)	12.7	0.1
5. अन्य देयताएं	131 (6.6)	136 (6.58)	9.1	3.5
आस्तियां				
1. हाथ में नकदी	66 (3.3)	64 (3.1)	-50.6	-3.8
2. निवेश	699 (35.2)	690 (33.4)	5.1	-1.2
3. ऋण एवं अग्रिम	1,145 (57.6)	1,229 (59.4)	11.1	7.3
4. अन्य आस्तियां	78 (3.9)	85 (4.1)	5.0	8.5
कुल देयताएं / आस्तियां	**1,989 (100)**	**2,067 (100)**	**4.4**	**4.0**

नोट : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं / आस्तियों का प्रतिशत है
2. वर्ष-दर-वर्ष विचलन थोड़ा भिन्न हो सकता है क्योंकि सारणी में पूर्ण संख्याओं को रू.1 बिलियन में पूर्णांकित किया गया है।
3. पूर्णांक के कारण घटक समग्र में नहीं जोड़े गए है।

स्रोत : नाबार्ड

लाभप्रदता

VI.44 आय की तुलना में व्यय में उच्च वृद्धि के कारण वर्ष 2015-16 में राज्य सहकारी बैंकों के निवल लाभ में 44.5 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि संशोधनों के लगातार दो दौर के बाद पुनर्वित की ब्याज दर 7.85 प्रतिशत से घटकर 6.20 प्रतिशत रहने के साथ व्यय पर ब्याज में कमी आई है परन्तु प्रावधान में तेजी से वृद्धि और आकस्मिकताओं के कारण गैर ब्याज व्यय मे तेजी से बढ़ोतरी हुई है। ऋण में धीमी गति से वृद्धि के साथ-साथ निवेश में कमी के संयोजन से ब्याज से आय में मंद गति से वृद्धि हुई है जो राज्य सहकारी बैंकों की कुल आय का लगभग 95 प्रतिशत है। (सारणी VI.15)।

सारणी VI.14: अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के चयनित बैंकिंग संकेतक

(राशि बिलियन ₹ में,वृद्धि दर प्रतिशत में)

मद	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1	2	3	4	5
जमा	777 (8.7)	772 (-0.6)	796 (3.0)	903 (13.5)
ऋण	939 (10.0)	1038 (10.6)	1074 (3.4)	1109 (3.3)
एसएलआर निवेश	240 (7.0)	233 (-3.1)	242 (4.0)	262 (8.3)
ऋण और एसएलआर निवेश का योग	1179 (9.4)	1271 (7.8)	1316 (3.5)	1371 (4.2)

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत में वृद्धि दर है।
स्रोत: आरबीआई अधिनियम की धारा 42 के अंतर्गत बी फार्म।

सारणी VI.15: राज्य सहकारी बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि बिलियन ₹ में)

मद	**के दौरान**		**विचलन** (%)	
	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16
1	2	3	4	5
ए. आय (i+ii)	**149 (100.0)**	**153 (100.0)**	**5.6**	**2.6**
i. ब्याज से आय	143 (95.9)	145 (95)	6.3	1.6
ii. अन्य आय	6 (4.1)	8 (5.0)	-6.9	27
बी. व्यय (i+ii+iii)	**139 (100.0)**	**147 (100.0)**	**4.1**	**6.3**
i. ब्याज पर व्यय	116 (83.4)	119 (80.8)	5.4	3
ii. प्रावधान और आकस्मिकताएं	7 (5.2)	12 (8.0)	-19.9	61.8
iii. परिचालन पर व्यय	16 (11.3)	16 (11.2)	9.3	4.8
जिसमें से मजदूरी बिल	10 (6.9)	11 (7.3)	1.5	11.6
सी. लाभ				
i. परिचालन लाभ	18	18	**4**	**-1.8**
ii. निवल लाभ	11	6	**29.9**	**-44.5**

नोट: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल आय/ व्यय का प्रतिशत में समानुपात है।
2. वर्ष-दर-वर्ष विचलन थोड़ा भिन्न हो सकता है क्योंकि सारणी में पूर्ण संख्याओं को रू.1 बिलियन में पूर्णांकित किया गया है।
3. घटकों को पूर्णांकित करने के लिए कुल योग में नहीं जोड़ा गया है।

स्रोत : नाबार्ड।

आस्ति गुणवत्ता

VI 45 वर्ष 2015-16 के दौरान नाबार्ड ने राज्य सहकारी बैंकों के संचित हानियों और अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के प्रबंधन की निगरानी पर फोकस बढ़ाया है जिससे राज्य सहकारी बैंकों के एनपीए में समग्र तथा अग्रिम और ऋण के भाग के रूप दोनों प्रकार से कमी आई है। (सारणीVI.16 एवं चार्ट VI.28) ।

सारणी VI.16: राज्य सहकारी बैंकों के सुदृढता संकेतक

(राशि बिलियन ₹ में)

मद	मार्च समाप्ति की स्थिति		विचलन (%)	
	2015	2016	2014-15	2015-16
1	2	3	4	5
ए. कुल एनपीए (i+ii+iii)	57	56	0.4	-2.8
i. अवमानक	21	19	0.5	-9.1
	(36.3)	(33.9)		
ii. संदिग्ध	25	25	-5.4	0.9
	(43.2)	(44.9)		
iii. हानि	12	12	15.0	0.6
	(20.5)	(21.2)		
बी. एनपीए- कुल ऋण अनुपात (%)	**5.0**	**4.5**	-	-
सी. वसूली – मांग अनुपात (%)	**94.9**	**91.7**	-	-

नोट: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल एनपीए प्रतिशत में शेयर है।
2. वर्ष-दर-वर्ष विचलन थोड़ा भिन्न हो सकता है क्योंकि सारणी में पूर्ण संख्याओं को रू.1 बिलियन में पूर्णांकित किया गया है।
3. घटकों को पूर्णांकित करने के लिए कुल योग में नहीं जोड़ा गया है।

स्रोत: नाबार्ड।

VI.46 राज्य सहकारी बैंकों के लिए नाबार्ड से पुनर्वित्त प्राप्त करने की पात्रता और पुनर्वित्त की मात्रा निर्धारण को पिछले कुछ समय से विभिन्न वित्तीय पैरामीटरों से सहबद्ध किया गया है। निवल एनपीए उनमें से एक है। इसने इन संस्थानों को अपनी आस्ति गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मजबूर किया है।

VI 47 हालिया वर्षों में एनपीए अनुपात में लगातार सुधार हुआ है परन्तु केवल मध्य क्षेत्र इसका अपवाद है। उत्तरी क्षेत्र, केंद्रीय, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में वसूली अनुपात कमोबेश उच्च स्तर पर स्थिर रहा है। दूसरी ओर पूर्वी क्षेत्र में आस्ति गुणवत्ता में सुधार के बावजूद पिछले चार वर्षों में यह 90 प्रतिशत से 55 प्रतिशत की बीच अस्थिर रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में वसूलियों में वृद्धि हुई है। (चार्ट VI.29)।

VI.48 विभिन्न क्षेत्रों के बीच राज्य सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति में सदैव असमानता मौजूद रही है। तथापि पिछले कुछ समय में सभी क्षेत्रों में उच्चतम और न्यूनतम एनपीए अनुपातों के बीच अंतर में कमी आई है (चार्ट VI.30)।

VI.49 मार्च 2016 की समाप्ति पर भी एनपीए की रेंज पूर्वोत्तर क्षेत्र के 13.1 प्रतिशत से लेकर उत्तरी क्षेत्र में 1.7 प्रतिशत के बीच थी। (सारणी VI.17)

जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

VI.50 त्रिस्तरीय अल्पावधि ग्रामीण सहकारी संरचना में जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी) द्वितीय स्तर का निर्माण करते हैं। मार्च 2016 के अंत में जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के संसाधन आधार में जमाराशियां (65.1 प्रतिशत) और

चार्ट VI.28: राज्य सहकारी बैंकों के सुदृढ़ता संकेतक

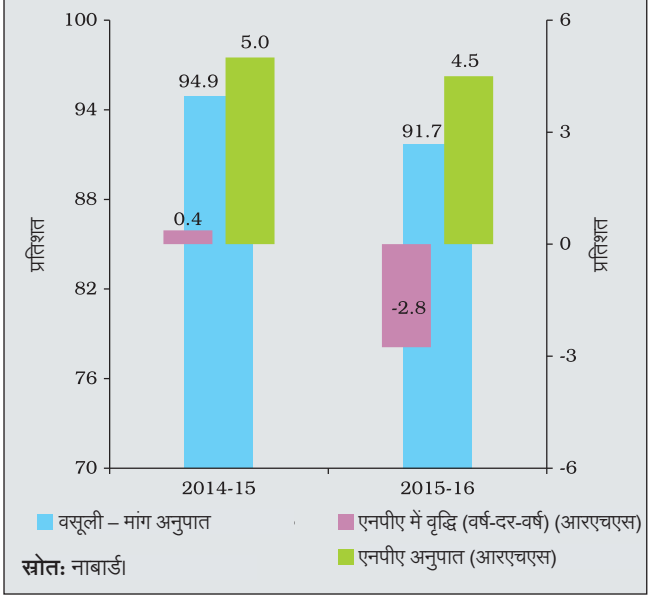

स्रोत: नाबार्ड।

चार्ट VI.29: एनपीए और वसूली में क्षेत्रीय प्रवृत्ति

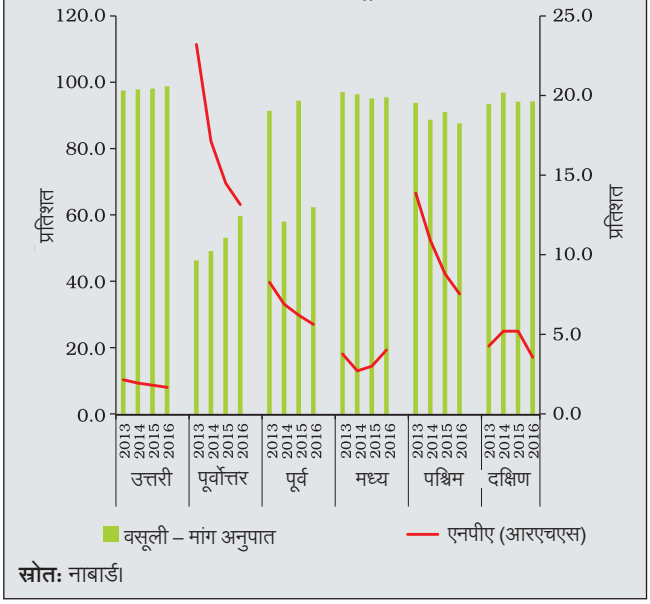

स्रोत: नाबार्ड।

चार्ट VI.30: राज्य सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति में क्षेत्रीय असमानता

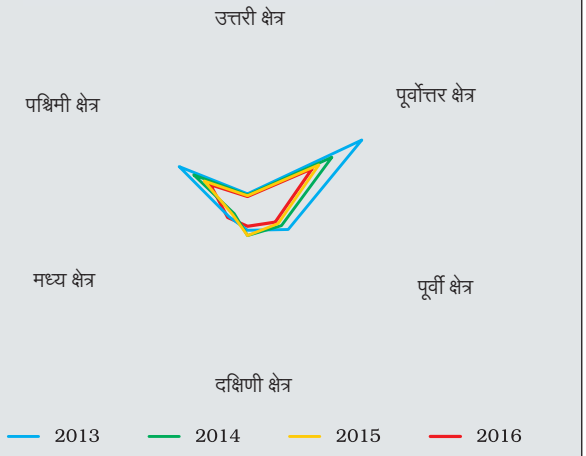

नोट: रिंग में संकुचन राज्य सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति में क्षेत्रीय असमानता में गिरावट को दर्शाता है, वित्तीय स्थिति को एनपीए अनुपात द्वारा दर्शाया गया है।
स्रोत: नाबार्ड।

चार्ट VI.31: ऋण में वृद्धि - राज्य सहकारी बैंक बनाम जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

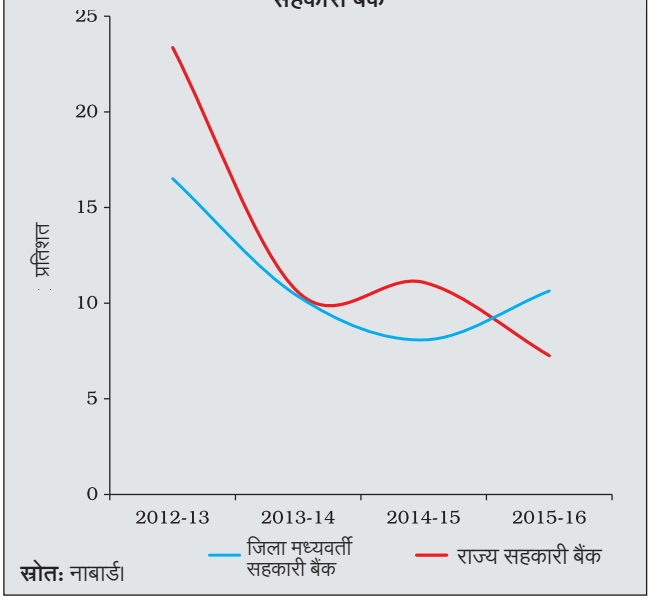

स्रोत: नाबार्ड।

उधारराशियां (18.2 प्रतिशत) शामिल हैं। कुल उधारराशियों में से, 98 प्रतिशत राज्य सहकारी बैंकों और नाबार्ड से लिए गए ऋणों के रूप में हैं। परिणामस्वरूप, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के ऋण और अग्रिम में हुई वृद्धि की गति राज्य सहकारी बैंकों जैसी ही रही (चार्ट VI.31)। तथापि, समग्र रूप से, राज्य सहकारी बैंकों के मुकाबले अधिक ऋण संवितरण करने के बावजूद, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का ऋण-जमा अनुपात जमाराशि आधार में उनके विस्तार के कारण राज्य सहकारी बैंकों के मुकाबले कम रहा (चार्ट VI.32)।

तुलन-पत्र परिचालन

VI.51 सन 2015-16 के दौरान, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के तुलन-पत्र में पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक तेजी से वृद्धि हुई। देयता पक्ष में जमाराशियों, पूंजी और आरक्षित निधियों में तेज वृद्धि आस्ति पक्ष में निवेश में हुई वृद्धि और ऋण एवं अग्रिम में हुई त्वरित वृद्धि से अनुकूलित हो गई (सारणी VI.18)। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों में विशिष्ट रूप से गैर-कृषि ऋणों के रूप में मध्यम अवधि के ऋण संविभाग की अधिक भागीदारी होती है। इसके परिणामस्वरूप, 2014-15 और 2015-16 में कृषि क्षेत्र में आई मंदी से उनका ऋण विस्तार उतना प्रभावित नहीं हुआ था जितना कि राज्य सहकारी बैंकों के मामले में हुआ था। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की

सारणी VI.17 राज्य सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति में क्षेत्रीय असमानता

	उच्चतम एनपीए अनुपात	न्यूनतम एनपीए अनुपात	रेंज
2012-13	23.2	2.1	21.1
2013-14	17.1	1.9	15.2
2014-15	14.5	1.8	12.7
2015-16	13.1	1.7	11.4

स्रोत: नाबार्ड

चार्ट VI.32: ऋण-जमा अनुपात

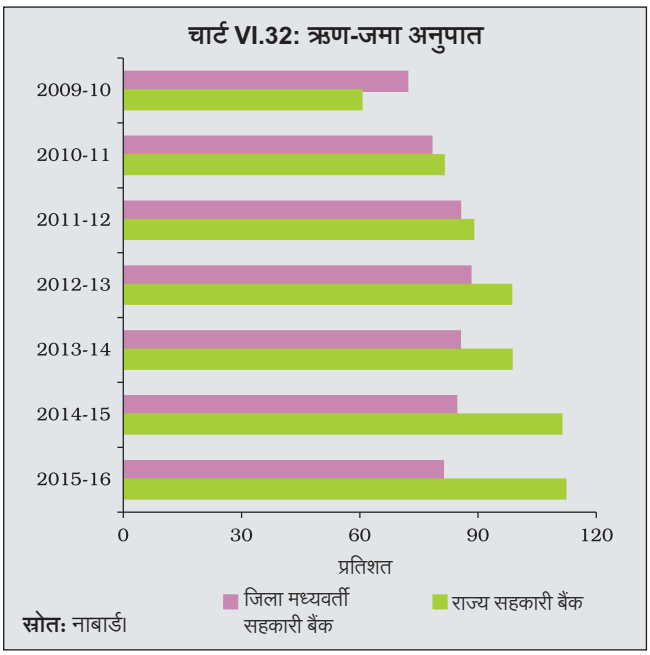

स्रोत: नाबार्ड।

सारणी VI.18: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि ₹ बिलियन)

मद	मार्च समाप्ति की स्थिति		अंतर (%)	
	2015	2016	2014-15	2015-16
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	131 (3.2)	165 (3.6)	14.2	25.6
2. आरक्षित निधियां	163 (4.0)	175 (3.8)	2.3	7.9
3. जमाराशियां	2,588 (63.5)	2,982 (65.1)	9.3	15.2
4. उधारराशियां	800 (19.6)	836 (18.2)	10.1	4.5
5. अन्य देयताएं	395 (9.7)	424 (9.3)	8.2	7.3
आस्तियां				
1. नकद एवं बैंक शेष	220 (5.4)	233 (5.1)	9.5	5.7
2. निवेश	1,385 (34.0)	1,615 (35.3)	-33.3	16.7
3. ऋण एवं अग्रिम	2,194 (53.8)	2,427 (53.0)	8.1	10.6
4. अन्य आस्तियां	278 (6.8)	307 (6.7)	9.3	10.5
कुल देयताएं/आस्तियां	**4,077 (100.0)**	**4,582 (100.0)**	**9.2**	**12.4**

नोट: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों के प्रतिशत हैं।
2. वर्ष-दर-वर्ष विचलन थोड़ा भिन्न हो सकता है क्योंकि सारणी में पूर्ण संख्याओं को रू.1 बिलियन में पूर्णांकित किया गया है।
3. राउंड ऑफ किए जाने के कारण घटक पूरे में जोड़े नहीं हो सकते हैं।

स्रोत: नाबार्ड।

निधियों के स्रोत में एक बड़ा भाग स्थिर मीयादी जमाराशि का होता है, जो जमाराशि के जरिए संसाधन जुटाने के उनके प्रयास को परिलक्षित करता है, ताकि वे क्रेडिट की उच्च मांग को पूरा कर सकें।

लाभप्रदता

VI.52 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के निवल लाभ में 2015-16 में तेज वृद्धि हुई, जबकि 2014-15 में इसमें गिरावट हुई थी। इस सुधार का श्रेय प्रावधान एवं आकस्मिक निधियों के स्तर में पूर्ण गिरावट के चलते खर्च में हुई निम्न वृद्धि और साथ ही उच्चतर वेतन बिल के बावजूद ब्याज एवं परिचालनगत खर्च में हुई निम्न वृद्धि को जाता है। राज्य सहकारी बैंकों के मामले में, आय पक्ष में, अन्य आय में अधिक वृद्धि दर्ज हुई, जबकि ब्याज आय में गिरावट हुई (सारणी VI.19)।

सारणी VI.19: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	के दौरान		अंतर (%)	
	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16
1	2	3	4	5
क. आय (i+ii)	**338 (100.0)**	**367 (100.0)**	**9.3**	**8.4**
i. ब्याज आय	323 (95.4)	347 (94.8)	9.5	7.7
ii. अन्य आय	16 (4.6)	19 (5.2)	4.0	23.2
ख. खर्च (i+ii+iii)	**331 (100.0)**	**355 (100.0)**	**12.2**	**7.3**
i. ब्याज पर व्यय	230 (69.4)	250 (70.4)	11.8	8.8
ii. प्रावधान एवं आकस्मिताएं	30 (9.1)	29 (8.1)	26.8	-4.0
iii. परिचालन खर्च	71 (21.5)	76 (21.5)	7.4	6.9
जिनमें से वेतन बिल	43 (13.1)	48 (13.5)	4.6	10.7
ग. लाभ				
i. परिचालन लाभ	37	40	-1.4	8.4
ii. निवल लाभ	7	11	-49.9	62.5

नोट: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल आय/खर्च का प्रतिशत दर्शाते हैं।
2. वर्ष-दर-वर्ष विचलन थोड़ा भिन्न हो सकता है क्योंकि सारणी में पूर्ण संख्याओं को रू.1 बिलियन में पूर्णांकित किया गया है।
3. राउंड ऑफ करने के चलते घटकों को पूरे के साथ जोड़ा नहीं गया है।

स्रोत: नाबार्ड।

आस्ति गुणवत्ता

VI.53 सन 2015-16 के दौरान जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ, जैसाकि अवमानक एवं संदिग्ध श्रेणी में आस्तियों की बढ़ती मात्रा के बावजूद उनके एनपीए अनुपात में गिरावट से परिलक्षित होता है (सारणी VI.20)।

VI.54 सन 2014-15 में गिरावट के बाद, 2015-16 में रिकवरी-मांग अनुपात में सुधार हुआ, यद्यपि यह राज्य सहकारी बैंकों की तुलना में काफी कम रहा (चार्ट VI.33)।

VI.55 न्यूनतर टियर वाली संस्थाओं का कमजोर प्रदर्शन शीर्ष संस्थाओं हेतु जोखिम बन सकता है। ग्रामीण सहकारी क्षेत्र में हुए सुधार में सहकारी संरचना के सभी स्तरों पर फोकस किया गया है। अल्पावधि ऋण संस्थाओं के मामलों में, राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों दोनों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार लाने पर फोकस रहा है। तथापि,

सारणी VI. 20: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के सुदृढ़ता के संकेतक

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	मार्च अंत में		अंतर (%)	
	2015	2016	2014-15	2015-16
1	2	3	4	5
क. कुल एनपीए (i+ii+iii)	208	227	-0.5	9.0
i. अवमानक	93	95	-7.0	1.6
	(44.8)	(41.7)		
ii. संदिग्ध	91	109	4.8	19.6
	(43.8)	(48.1)		
iii. हानि	24	23	8.3	-2.2
	(11.4)	(10.2)		
ख. एनपीए-ऋण अनुपात (%)	**9.5**	**9.3**	-	-
ग. रिकवरी-मांग अनुपात (%)	**77.3**	**79.6**	-	-

नोट: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल एनपीए में प्रतिशत दर्शाते हैं।
2. वर्ष-दर-वर्ष विचलन थोड़ा भिन्न हो सकता है क्योंकि सारणी में पूर्ण संख्याओं को रू.1 बिलियन में पूर्णांकित किया गया है।
3. राउंड ऑफ करने के चलते घटकों को पूरे के साथ जोड़ा नहीं गया है।

स्रोत : नाबार्ड।

चार्ट VI.34: एनपीए और रिकवरी - राज्य सहकारी बैंक बनाम जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

(मार्च समाप्ती की स्थिति)

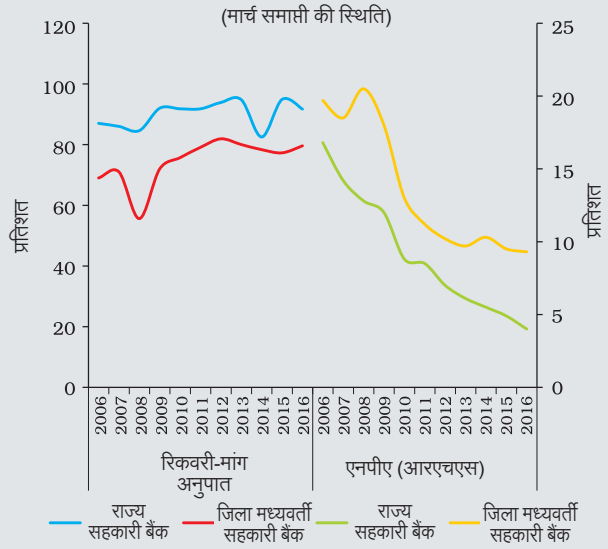

स्रोत: नाबार्ड।

चूंकि जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक कृषि उपज से जुड़े भौगोलिक तथा मौसमी जोखिमों से सीधे प्रभावित होते हैं, इसलिए राज्य सहकारी बैंकों के मुकाबले वे लगातार उच्चतर एनपीए और निम्नतर रिकवरी-मांग अनुपात दर्शाते रहे हैं (चार्ट VI.34)। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का जिला स्तर पर बड़ा सेटअप होता है और टेक्नॉलजी को अपनाने में भी वे पीछे हैं, इसलिए राज्य सहकारी बैंकों के मुकाबले स्टाफ और अन्य शीर्ष पर होने वाला उनका परिचालनगत व्यय उनके कुल खर्चे में परिचालनगत खर्च की भागीदारी को बढ़ा देता है चार्ट (VI.35)[23]। साथ ही साथ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों

चार्ट VI.33: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के सुदृढ़ता संकेतक

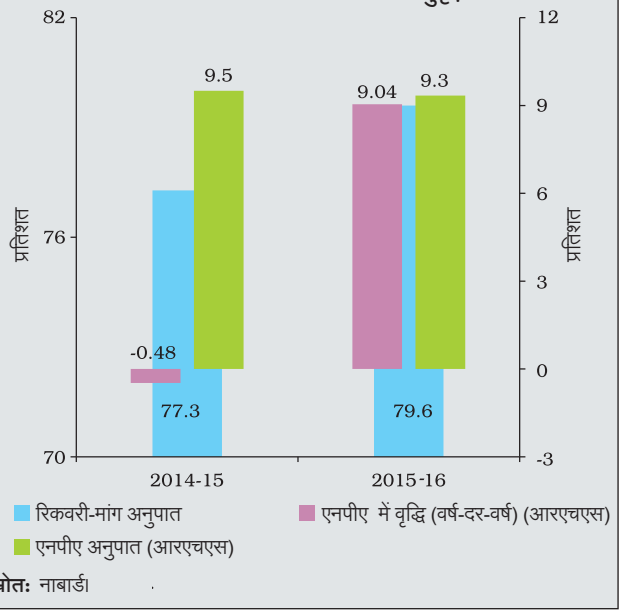

स्रोत: नाबार्ड।

चार्ट VI.35: कुल खर्च में परिचालनगत खर्च की भागीदारी

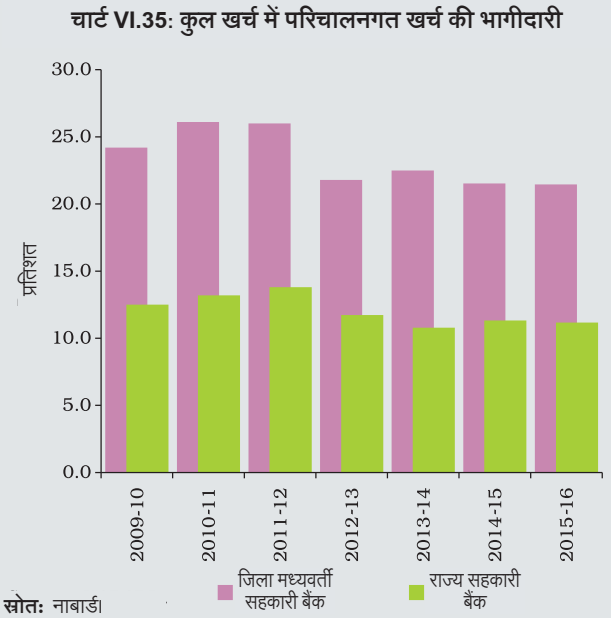

स्रोत: नाबार्ड।

[23] अंतिम उधारकर्ताओं के लिए लागत को कम करने के प्रयोजन से, 01 अप्रैल 2017 से झारखंड में सात जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को झारखंड राज्य सहकारी बैंक (जेएससीबी) के साथ समामेलन किया गया है और इस प्रकार राज्य में ग्रामीण सहकारी बैंकों की मौजूदा 3 टियर संरचना के स्थान पर 2-टियर ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना निर्मित की गई है। इससेअद्यतन तारीख तक जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की संख्या कम होकर 364 तक हो गई है।

चार्ट VI.36: एनपीए और रिकवरी में क्षेत्रीय रुझान – जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

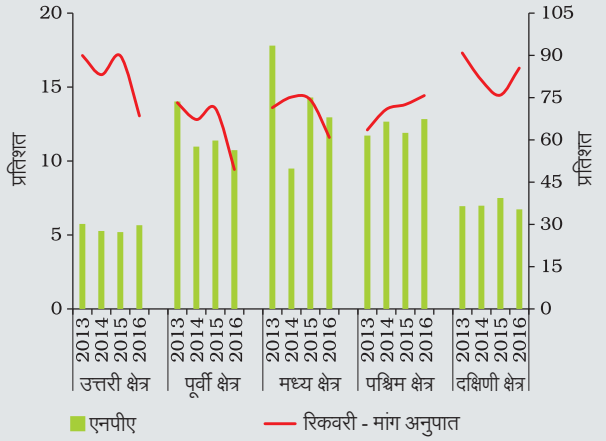

नोट: राज्य सहकारी बैंक और पीएसीएस वाले द्विस्तरीय अल्पावधि सहकारी ऋण प्रणाली होने के कारण उत्तरपूर्वी क्षेत्र में जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक मौजूद नहीं है।

स्रोत: नाबार्ड आंकड़ों से परिकलित।

चार्ट VI.37: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति में क्षेत्रीय असमानता

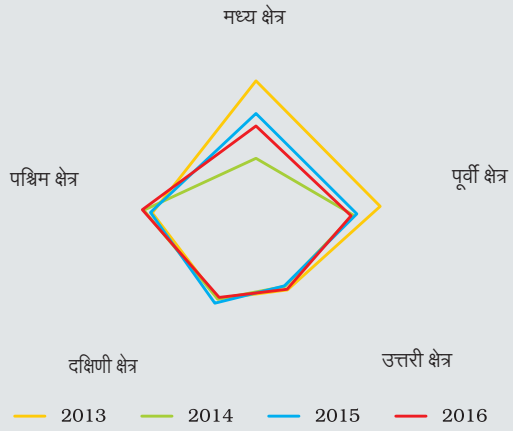

नोट: रिंग संकेतक में संकुचन जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य की क्षेत्रीय असमानता में कमी दर्शाता है। वित्तीय हालत एनपीए अनुपात द्वारा दर्शाए गए हैं।

स्रोत: नाबार्ड।

की तुलना में राज्य सहकारी बैंकों के पास चलनिधि के अधिक सुनिश्चित स्रोत हैं।[24]

VI.56 सन 2015-16 के दौरान मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के अखिल भारतीय स्तर पर समग्र रिकवरी-मांग अनुपात में सुधार हुआ और दक्षिणी क्षेत्र में रिकवरी में हुआ सुधार और साथ ही पश्चिम क्षेत्र में स्थिर वृद्धि इसकी मुख्य वजह रही। सन 2015-16 में उत्तरी और पश्चिमी दोनों क्षेत्र में सहकारी संस्थाओं के जिला-वार प्रदर्शन में गिरावट आई और उनके एनपीए अनुपात में वृद्धि हुई (चार्ट VI.36)।

VI .57 तब भी कुछ अवधि से क्षेत्रीय असमानता कम हुई है (चार्ट VI.37 और सारणी VI.21)।

सारणी VI.21: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति में क्षेत्रीय असमानता

(प्रतिशत)

	उच्चतम एनपीए अनुपात	न्यूनतम एपीए अनुपात	दायरा
2013	17.8	5.7	12.1
2014	12.7	5.3	7.4
2015	14.3	5.2	9.1
2016	12.9	5.6	7.3

स्रोत: नाबार्ड।

प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी (पीएसीएस)

VI.58 प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना में आधारभूत स्तर है जो वैयक्तिक उधारकर्ताओं से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ती है और उन्हें अल्प एवं मध्यम अवधि का ऋण मुहैया कराती है। सहकारी संस्कृति दर्शाते हुए, प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी केवल अपने सदस्यों[25] को ही ऋण प्रदान करती है। प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी की निधियों का बड़ा भाग उच्च स्तरीय सहकारी ऋण संस्थाओं की उधारराशियों से आता है जिससे वे कई अन्य संबद्ध गतिविधियां भी करती हैं। वे कृषि इनपुट की आपूर्ति, उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण और सहकारी विपणन समितियों के जरिए अपने सदस्यों के उत्पाद के विपणन की व्यवस्था करती हैं।

तुलन-पत्र परिचालन

VI.59 पिछले वर्ष की तुलना में 2015-16 में प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी की ऋण वृद्धि में सुस्ती देखी गई (सारणी VI.22 और चार्ट VI.38)। प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी मुख्य रूप से कृषि उधारदाताओं को साधन मुहैया कराती है। कृषि क्षेत्र में मंद वृद्धि के चलते कमजोर मांग हालातों के परिणामस्वरूप उनकी ऋण वृद्धि धीमी रही।

[24] नाबार्ड के अलावा, राज्य सहकारी बैंक एससीबी और रिज़र्व बैंक से उधार ले सकते हैं।

[25] सहकारी संस्थाओं में, सदस्य शेयरधारक होते हैं।

सारणी VI.22: प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी - चुनिंदा तुलन-पत्र संकेतक

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	मार्च अंत में		अंतर (%)	
	2015	2016	2014-15	2015-16
1	2	3	4	5
क. देयताएं				
1. कुल संसाधन (2+3+4)	2,063	2,382	4.9	15.5
2. स्वाधिकृत निधि (अ+ब)	217	244	14.7	12.8
अ. चुकता पूंजी	111	123	12.9	11.0
जिनमें से सरकारी योगदान	8	8	19.1	-4.3
ब. कुल आरक्षित निधियां	106	122	16.5	14.7
3. जमाराशियां	846	1,011	3.3	19.4
4. उधारराशियां	1,000	1,127	4.4	12.7
5. कार्यशील पूंजी	2,237	2,013	5.3	-10.0
ख. आस्तियां				
2. कुल ऋण बकाया (अ+ब)	1,472	1,585	13.2	7.7
अ) अल्पावधि	1,036	1,171	7.3	13.0
ब) मध्यम अवधि	437	414	30.0	-5.1

नोट: वर्ष-दर-वर्ष विचलन थोड़ा भिन्न हो सकता है क्योंकि सारणी में पूर्ण संख्याओं को रू.1 बिलियन में पूर्णांकित किया गया है।
स्रोत: एनएएफएससीओबी।

VI.60 तीन अल्पावधि ग्रामीण ऋण संस्थाओं में से, प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी अपने प्रमुख निधीयन स्रोत के रूप में उधारीकृत संसाधनों और स्वयं की निधि (पूंजी एवं आरक्षित निधि) पर सबसे अधिक निर्भर है, जबकि जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक मुख्य रूप से स्थिर जमाराशियों पर भरोसा करते

चार्ट V.38: प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी के ऋण बकाया में वृद्धि

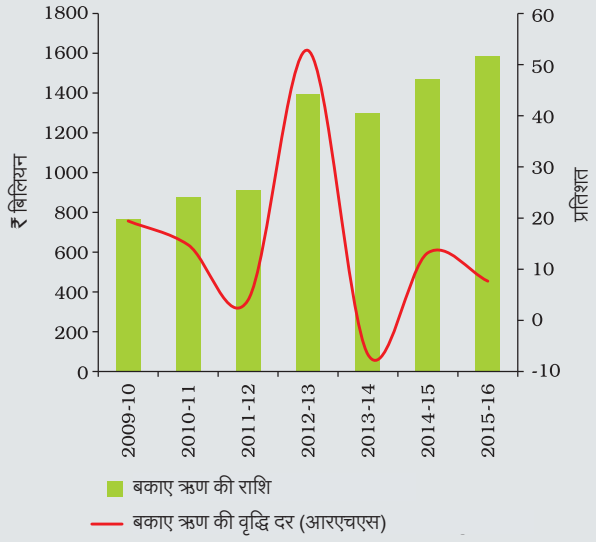

स्रोत: एनएएफएससीओबी।

चार्ट VI.39: संसाधन घटक - अल्प अवधि सहकारी संस्थाएं

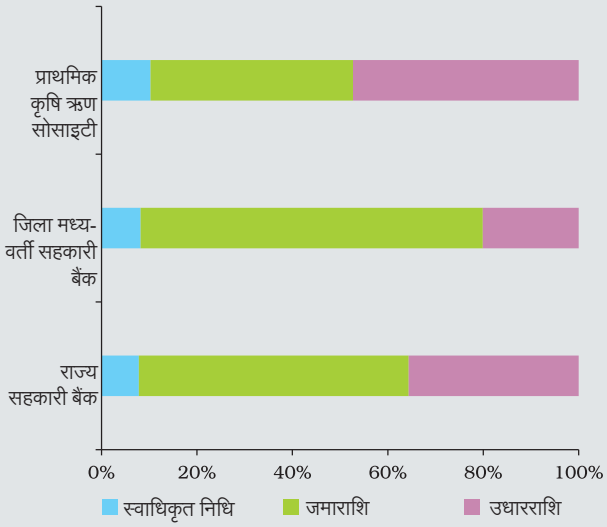

स्रोत: नाबार्ड और एनएएफएससीओबी।

हैं (चार्ट VI.39)। इसका परिणाम उनके प्रदर्शन पर भी परिलक्षित होता है।

ऋण विनियोजन

VI.61 प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी केवल अपने सदस्यों को ही ऋण सुविधा देती है। इसलिए उधारकर्ता-सदस्य अनुपात, पीएसीएस तक ऋण की पहुंच और मांग दोनों के लिए उपयोगी संकेतक है। सामान्यतया यह अनुपात 50 प्रतिशत के नीचे रहा है, जो यह दर्शाता है कि पीएसीएस के आधे से भी कम सदस्यों ने स्वयं ही संस्थान से ऋण लिया है। पीएसीएस के अधिकांश सदस्यों में सबसे बड़ा भाग सीमांत किसानों और फिर छोटे किसानों का होता है, और सदस्यता में उनकी भागीदारी में 2015-16 के दौरान वृद्धि हुई, जबकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों और ग्रामीण कारीगर समूह में गिरावट हुई (VI.40)। सभी श्रेणियों में उधारकर्ता-सदस्य अनुपात में गिरावट आई, जिसके चलते उधारकर्ता-सदस्य अनुपात में समग्र गिरावट हुई (VI.41)।

VI.62 ऋण तक पहुंच की 50 प्रतिशत के वांछित स्तर से कम की स्थिति का विश्लेषण दर्शाता है कि 2015-16 के दौरान ऋण संवितरण में सबसे अधिक कमी ग्रामीण कारीगरों और छोटे एवं सीमांत किसानों के मामले में रही (VI.42)। इस प्रकार

चार्ट VI.40: श्रेणीवार सदस्य भागीदारी

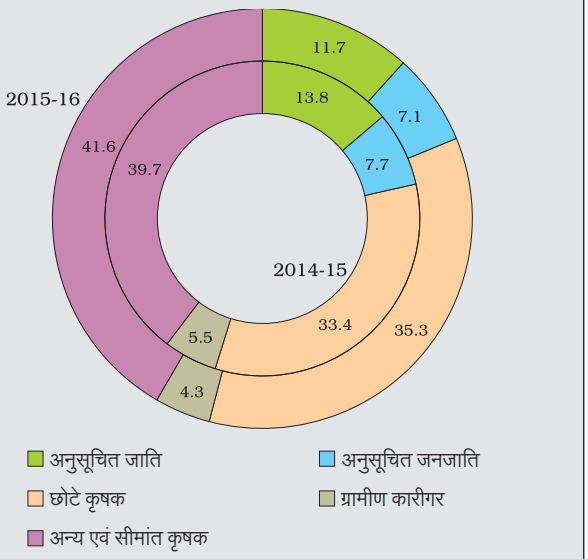

स्रोत: एनएएफएससीओबी।

चार्ट VI.42: उधारकर्ता-सदस्य अनुपात – 50 प्रतिशत पहुंच से कमी

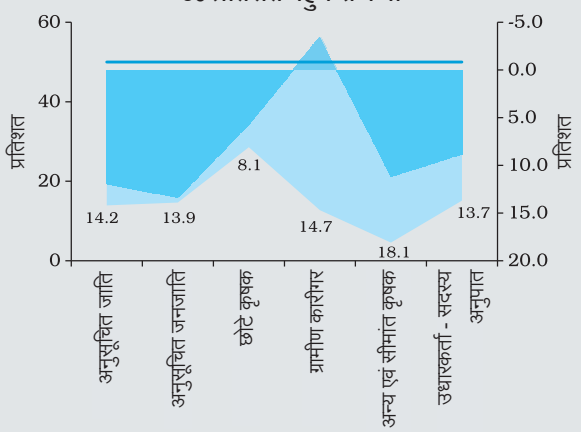

स्रोत: एनएएफएससीओबी।

2015-16 में पीएसीएस में बड़े समूहों की सदस्यता भागीदारी में वृद्धि के बावजूद, समग्र ऋण वृद्धि धीमी रही।

VI.63 यह मानने के बावजूद कि प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य कृषि ऋण प्रदान करना है, 2010 से कृषि ऋण में उनकी भागीदारी की कीमत पर गैर-कृषि ऋण में उनकी भागीदारी में लगातार इजाफा हुआ है। तथापि हाल की अवधि में कृषि ऋण में उनकी भागीदारी स्थिर हुई है और अल्पावधि ऋण का संवितरण जो कि पीएसीएस का मुख्य कार्यकलाप है, में तेजी आई है (VI.43)।

VI.64 प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी के वित्तीय प्रदर्शन में एक सुनिश्चित पैटर्न देखा गया है। हाल के वर्षों में, लाभ दर्ज करने वाली पीएसीएस की भागीदारी में स्थिर वृद्धि होने के

चार्ट VI.41: श्रेणीवार उधारकर्ता-सदस्य अनुपात

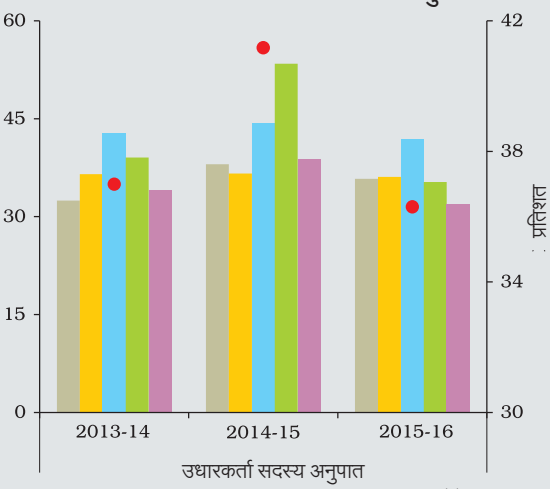

स्रोत: एनएएफएससीओबी।

चार्ट VI.43: प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी द्वारा संवितरित ऋण में वृद्धि

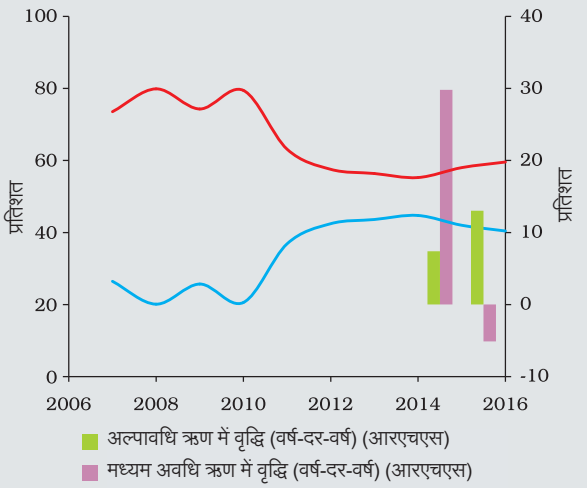

स्रोत: एनएएफएससीओबी।

चार्ट VI.44: लाभ एवं हानि में प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी का प्रतिशत

स्रोत: एनएएफएससीओबी।

चार्ट VI.45: अल्पावधि ऋण संस्थाओं ऋण-निवल लाभ और अग्रिम अनुपात

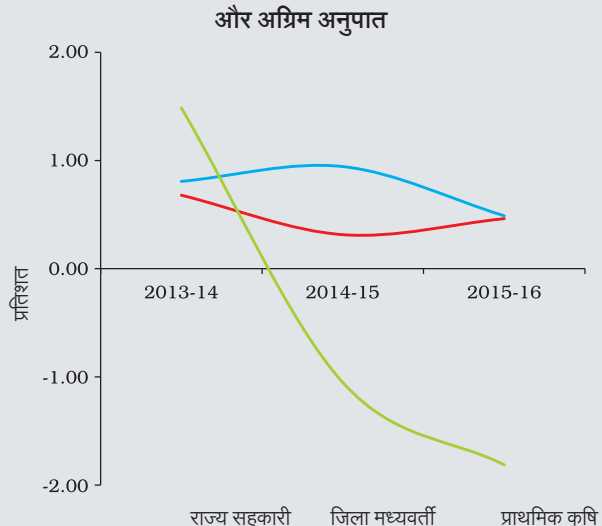

स्रोत: नाबार्ड और एनएएफएससीओबी।

विपरीत हानि में रही पीएसीएस की संख्या स्थिर रही है। मार्च 2016 के अंत में, पीएसीएस की कुल संख्या में हानि दर्ज करनेवाली पीएसीएस का भाग 39.7 प्रतिशत रहा (2012-13 में 40.6 प्रतिशत से मामूली कम), जबकि लाभ दर्ज करने वाली पीएसीएस का भाग 48.1 प्रतिशत रहा जो कि 2012-13 में 45.6 प्रतिशत से अधिक है (चार्ट VI.44)[26] । तथापि पिछले तीन वर्षों में, उच्च स्तरीय अल्पावधि ऋण संस्थाओं के मुकाबले, पीएसीएस की लाभप्रदता बिगड़ी है (चार्ट VI.45)।

VI.65 क्षेत्रीय दृष्टिकोण से भी, अधिकांश क्षेत्रों में लाभ दर्ज करने वाली पीएसीएस का भाग हानि दर्ज करने वाली पीएसीएस से अधिक रहा, लेकिन पश्चिम क्षेत्र को छोड़कर पूरे क्षेत्र में समग्र रूप से निवल लाभ ऋणात्मक रहा(चार्ट VI.46)। यह दर्शाता है कि इन क्षेत्रों में मुख्यता बड़ी आकार की ऋण संस्थाएं हैं जिनका प्रदर्शन खराब रहा है। वहीं दूसरी ओर, पूर्वी और उत्तर-पूर्व क्षेत्रों में हानि दर्ज करने वाली पीएसीएस की भागीदारी लाभ अर्जित करने वाली पीएसीएस से अधिक रही। दोनों क्षेत्रों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था स्थलाकृतिक अवरोधों और अपर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर के कारण पीछे रही है, जिसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादकता अस्थिर हुई। इसके अलावा, सहकारी संरचना का स्वदेशी रूप में विकसित न हो पाने, लोगों में सहकारी ऋण व्यवस्था के लाभों बारे में जागरूकता न होने, सहकारी कार्मिकों

चार्ट VI.46: प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी का क्षेत्रवार निवल लाभ

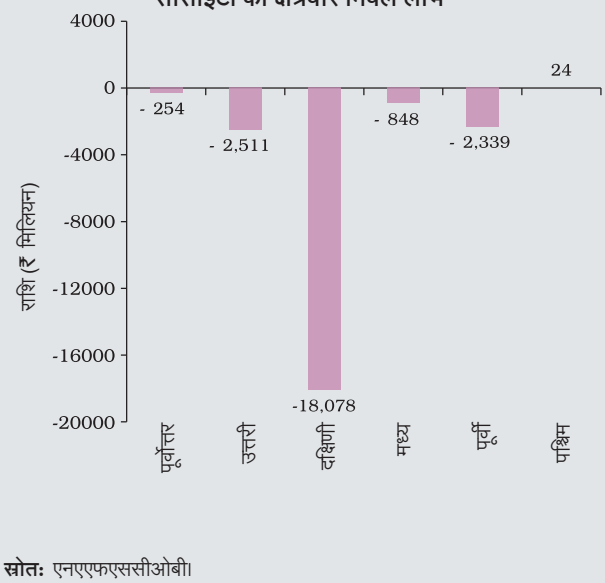

स्रोत: एनएएफएससीओबी।

[26] बाकी बचे पीएसीएस के संबंध में, या तो न उन्होंने लाभ या हानि रिपोर्ट किया, या उनकी वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी नहीं है।

चार्ट VI.47: लाभ एवं हानि में प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी का प्रतिशत – क्षेत्रीय स्तर (मार्च 2016 अंत में)

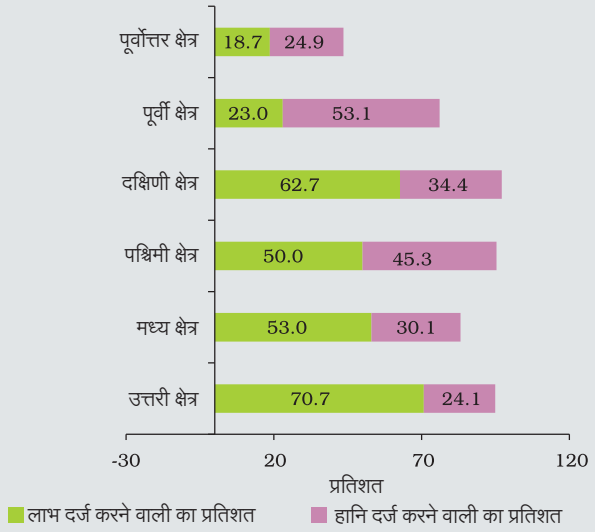

स्रोत: एनएएफएससीओबी।

को तकनीकी ज्ञान एवं प्रशिक्षित न होने के कारण संगठनात्मक और वित्तीय रूप से कुछ वर्षों से इन क्षेत्रों में कमजोर आधार वाली संस्थाएं पनपी हैं।

अल्पावधि ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की लाइसेंसिंग की स्थिति

VI.66 वित्तीय क्षेत्र आकलन पर गठित समिति, 2009 (अध्यक्ष: राकेश मोहन) द्वारा सहकारी बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित जिन दो मुद्दों की पहचान की गई थी, वे सहकारी संस्थाओं में पूंजी पर्याप्तता और उनकी लाइसेंसिंग हैं। समिति ने पाया कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 7 सहकारी बैंक को छोड़कर किसी अन्य सहकारी सोसाइटी को अपने नाम के भाग के रूप में 'बैंक', 'बैंकर' या 'बैंकिंग' शब्द का प्रयोग करने से रोकती है, तथापि यह प्रावधान किसी पीएसीएस या किसी अन्य प्राथमिक ऋण सोसाइटी (पीसीएस) पर लागू नहीं होता है। इस अधिनियम के अनुसार, कोई प्राथमिक ऋण सोसाइटी स्वतः ही एक सहकारी बैंक में बदल सकती है, यदि इसकी मुख्य गतिविधियों के रूप में बैंकिंग एक गतिविधि हो। इससे यह अपेक्षित है कि यह बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 22 के तहत लाइसेंस लेने हेतु 1 लाख रुपए की पूंजी और आरक्षित निधि प्राप्त करने के तीन महीनों के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक के पास आवेदन करे, लेकिन यह तब तक बैंकिंग कार्यकलाप कर सकती है जब तक कि उसका लाइसेंस हेतु आवेदन अस्वीकृत न हो जाए। ऐसी स्थिति की वजह से एक समय गैर-लाइसेंसी बैंकों की उपस्थिति काफी बड़ी संख्या में बढ़ गई। ऐसे गैर-लाइसेंसी सहकारी संस्थाओं की लगातार उपस्थिति से जमाकर्ताओं के हितों को जोखिम हो सकता है और इसके अलावा ये संस्थाएं ऐसे कार्यकलाप कर सकती हैं जो स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। इसलिए यह सिफारिश की गई थी कि एक ऐसा रोडमैप तैयार किया जाए जिसके अनुसार ऐसे बैंक जो मार्च 2012 तक लाइसेंस प्राप्त करने में असफल रहते हैं, उन्हें परिचालन करने की अनुमति न दी जाए। इस प्रक्रिया से सहकारी क्षेत्र में अलाभकारी संस्थाएं समाप्त होतीं और सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया तेज होती। दिनांक 16 अप्रैल 2016 की स्थिति के अनुसार, सभी राज्य सहकारी बैंकों को लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं। तुलनात्मक रूप से, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की लाइसेंसिंग की प्रक्रिया धीमी रही। मार्च 2011 तक 371 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों में से, 221 को लाइसेंस प्रदान किया गया। जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऐसे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को नई जमाराशि स्वीकार करने पर रोक लगा दी जो मार्च 2012 के बाद बगैर लाइसेंस के रह गए थे। अद्यतन तारीख तक तीन जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लाइसेंस रहित हैं (चार्ट VI.48)[27]।

VI.67 बढ़ते हुए प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल में जोखिम का सामना करने के लिए बैंकों की तैयारी में सुधार लाने के प्रयोजन से, रिज़र्व बैंक ने लाइसेंस हेतु पात्र होने के लिए बैंकों द्वारा न्यूनतम 4 प्रतिशत सीआरएआर बनाए रखना निर्धारित कर दिया। इसके अलावा, सभी सहकारी बैंकों में पूंजी विनियमन में समरूपता लाने के प्रयास के रूप में, जनवरी 2014 में राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे 31 मार्च 2015 से निरंतर आधार पर 7 प्रतिशत और 31 मार्च 2017 से 9 प्रतिशत सीआरएआर प्राप्त

[27] जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की संख्या 371 है क्योंकि इसमें तमिलनाडु इंडस्ट्रियल कॉपरेटिव बैंक लि. (टैको बैंक) भी शामिल है।

चार्ट VI.48: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लाइसेंसिंग की स्थिति

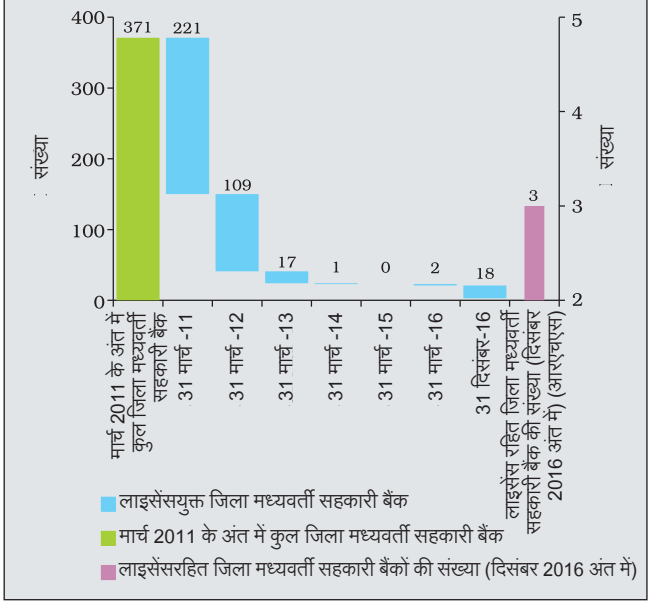

चार्ट VI.49: पूंजी-आस्ति अनुपात

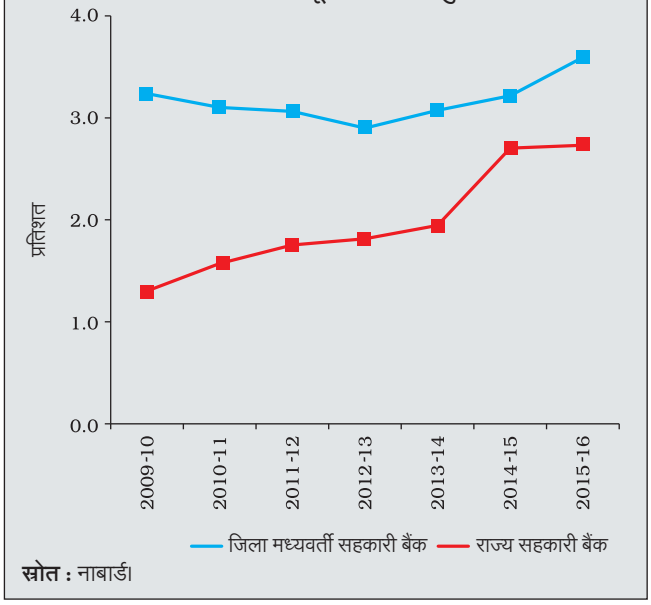

स्रोत : नाबार्ड।

करें और इसे बनाए रखें। सन 2012-13 में राज्य सरकारों द्वारा पूंजी डालने के बाद जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के लीवरेज (पूंजी-आस्ति) अनुपात में सुधार हुआ।[28] जनवरी 2014 में राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों दोनों को पूंजी-आस्ति अनुपात में गति प्रदान की गई, जब रिज़र्व बैंक ने निर्धारित सीआरएआर मानदंड का अनुपालन करने के प्रयोजन से उन्हें पूंजीगत निधि (टियर I और टियर II) उगाही की सुविधा देते हुए दीर्घावधि (गौण) जमाराशि (एलटीडी) और नवोन्मेषी स्थायी कर्ज लिखत (आईपीडीआई) जारी करने की अनुमति प्रदान की (चार्ट VI.49)। इसके परिणामस्वरूप, 2015-16 में 9 प्रतिशत से अधिक सीआरएआर वाली राज्य सहकारी बैंकों की हिस्सेदारी में तेजी से वृद्धि हुई। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों में भी इसी प्रकार की स्थिति देखी गई लेकिन सीआरएआर मामले में अधिक मंद उतार-चढ़ाव रहा (VI.50)।

दीर्घावधि ग्रामीण सहकारी संस्थाएं

VI.68 दीर्घावधि ग्रामीण सहकारी संस्थाओं में राज्य-स्तर पर परिचालन करने वाले राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी) और जिला/ब्लॉक स्तर पर परिचालन करने वाले प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी) शामिल हैं। कुछ समय से, कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एआरडीबी) के वित्तीय स्वास्थ्य में गिरावट होने के बावजूद, उन्होंने लघु सिंचाई और खेती प्रक्रिया में विकास के जरिए ऐतिहासिक रूप से जमीन की उत्पादकता

चार्ट VI.50: सीआरएआर: राज्य सहकारी बैंक और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

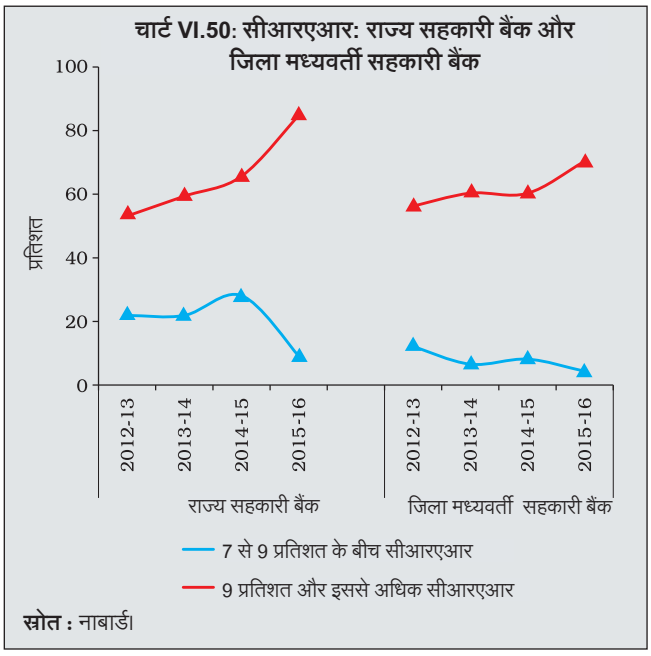

स्रोत : नाबार्ड।

[28] राज्य सहकारी बैंकों/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को इस हेतु सक्षम बनाने के लिए कि आदेशित सीआरएआर प्राप्त कर सकें, कई राज्य सरकारों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार बैंकों को निधि उपलब्ध कराना जारी रखा।

में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और कृषि में पूंजी निर्माण का संवर्धन किया है तथा ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र की परियोजनाओं में निधीयन उपलब्ध कराया है।

राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी)

VI.69 असम और त्रिपुरा को छोड़कर अधिकांश पूर्वोत्तर राज्यों में, दीर्घावधि ग्रामीण सहकारी-संस्थाओं की अलग से कोई संरचना नहीं है। असम और त्रिपुरा और साथ ही बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू एवं काश्मीर तथा गुजरात में एकल संरचना है, जिसमें एससीएआरडीबी जिला-स्तर पर अपनी शाखाओं के जरिए परिचालन कर रहे हैं और पीसीएआरडीबी कोई अलग संस्था नहीं है। इसके विपरीत, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल को छोड़कर, अन्य राज्यों में संघीय ढांचा है जहां एससीएआरडीबी पीसीएआरडीबी के जरिए परिचालन कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में मिश्रित संरचना है, जहां एससीएआरडीबी पीसीएआरडीबी के जरिए और साथ ही अपनी शाखाओं के जरिए भी परिचालन कर रहे हैं।

तुलन-पत्र परिचालन

VI.70 सन 2015-16 में एससीएआरडीबी का समेकित तुलन-पत्र संकुचित हुआ क्योंकि, देयता पक्ष में जमाराशि और आस्ति पक्ष में नकद एवं बैंक शेष को छोड़कर सभी घटकों में गिरावट रही। (सारणी VI.23) ।[29]

VI.71 सन 2015-16 में आंतरिक संसाधनों जैसे पूंजी और आरक्षित निधि (व्यापक रूप से इसे यहां निवल मालियत के रूप में परिभाषित किया गया है) में कमी होने के चलते आस्ति पक्ष में, ऋण संवितरण में कमी आई (चार्ट VI.51)। वर्ष के दौरान एससीएआरडीबी के तुलन-पत्र के सभी प्रमुख घटकों में कमी मुख्य रूप से हानि दर्ज करने वाली एससीएआरडीबी के परिसमापन के कारण रही।

सारणी VI.23: राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की देयताएं तथा आस्तियां

(राशि ₹ बिलियन में))

मद	मार्च के अंत में		अंतर (%)	
	2015	2016	2014-15	2015-16
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	10 (2.9)	9 (3.3)	4.8	-6.8
2. आरक्षित निधियां	65 (19.5)	41 (14.9)	6.3	-37
3. जमा राशियां	18 (5.5)	24 (8.7)	18.4	29.8
4. उधार राशियां	161 (48.4)	146 (53)	5.3	-9.5
5. अन्य देयताएं	79 (23.6)	55 (20.2)	11.6	-29.5
आस्तियां				
1. नकद और बैंक शेष	4.3 (1.3)	4.4 (1.6)	43.4	4
2. निवेश	30 (9.0)	29.6 (10.8)	9.9	-1.3
3. ऋण एवं अग्रिम	212 (63.7)	204 (74.2)	5.2	-3.7
4. अन्य आस्तियां	87 (26.0)	37 (13.4)	11.5	-57.3
कुल देयताएं/आस्तियां	**333 (100)**	**275 (100)**	**7.6**	**-17.3**

नोट : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयता/आस्ति का प्रतिशत दर्शाते हैं।
2. वर्ष-दर-वर्ष विचलन थोड़ा भिन्न हो सकता है क्योंकि सारणी में पूर्ण संख्याओं को रू.1 बिलियन में पूर्णांकित किया गया है।
3. राउंड ऑफ के चलते घटक को पूरे में नहीं जोड़ा गया है।

स्रोत : नाबार्ड।

लाभप्रदता

VI.72 एससीएआरडीबी का वित्तीय प्रदर्शन कमजोर रहा, जो अन्य स्रोतों से आय में तेज गिरावट और साथ ही ब्याज आय में 11.4 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है। तथापि, प्रावधानों एवं आकस्मिताओं और ब्याज खर्च में गिरावट से खर्चे में हुई कमी के परिणामस्वरूप इन संस्थाओं के लाभ में सुधार देखा गया (सारणी VI.24)।

[29] दीर्घावधि ऋण सहकारी संस्थाओं की रूपरेखा मुख्य रूप से गैर-संसाधन आधारित विशेषीकृत मीयादी उधार एजेंसी के रूप में की गई है। इन संस्थाओं को बैंककारी विनियमन अधिनियम के तहत बैंक के रूप में कार्य करने हेतु लाइसेंस नहीं दिया गया है। इस प्रकार उन्हें जनता से जमाराशि लेने की अनुमति नहीं है। परिणास्वरूप, ऋण देने के लिए वे मुख्य रूप से उधारीकृत निधि पर आश्रित हैं। तथापि, वे संबंधित बैंकों के प्रबंधन बोर्ड से अनुमोदित जमाराशि योजना के अनुसार अपने सदस्यों से जमाराशि जुटा सकते हैं। एससीएआरडीबी को कुछ शर्तों के अधीन नाबार्ड द्वारा वर्ष 1997 मेंजारी दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे लोगों से भी जमाराशि जुटाने की अनुमति दी गई है जो बैंकों के सदस्य नहीं हैं।

चार्ट VI.51: एससीएआरडीबी का तुलन पत्र विश्लेषण

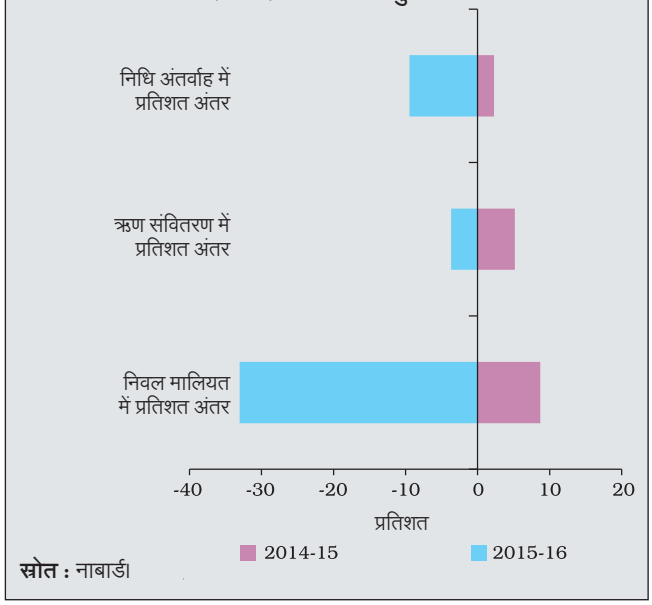

स्रोत : नाबार्ड।

आस्ति गुणवत्ता

VI.73 एससीएआरडीबी की आस्ति गुणवत्ता में 2012-13 से उल्लेखनीय सुधार देखा गया है, जैसाकि 2013-14 से उनके एनपीए में निरंतर गिरावट और रिकवरी-मांग अनुपात में हुई वृद्धि से परिलक्षित होता है (चार्ट VI.52 और सारणी VI.25)।

VI.74 इस गिरावट का कारण सम्मिलित नीतिगत प्रयास है। सन 2015 में, राष्ट्रीय सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक परिसंघ लिमिटेड के प्रबंधन बोर्ड ने मौजूदा चुकौती एवं रिकवरी प्रणाली को दुरुस्त करने और एससीएआरडीबी के वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार लाने के प्रयोजन से एक त्वरित रिकवरी एवं एनपीए प्रबंधन मुहिम की घोषणा की। इस मुहिम का उद्देश्य सकल एनपीए को दो वर्ष में 10 प्रतिशत के नीचे लाने पर केंद्रित था।

सारणी VI.24: राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का वित्तीय प्रदर्शन

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	के दौरान		अंतर (%)	
	2015	2016	2014-15	2015-16
1	2	3	4	5
क. आय (i+ii)	**25 (100.0)**	**22 (100.0)**	**-0.2**	**-12.1**
i. ब्याज आय	24 (96.4)	22 (97.2)	-1.2	-11.4
ii. अन्य आय	0.9 (3.6)	0.6 (2.8)	42.2	-30.8
ख. खर्च (i+ii+iii)	**29 (100.0)**	**22 (100.0)**	**-0.9**	**-23.9**
i. ब्याज खपत	18 (62.0)	14 (63.9)	5.3	-21.6
ii. प्रावधान एवं आकस्मिताएं	6 (21.1)	4 (17.3)	-28.9	-37.7
iii. परिचालन खर्च	5 (16.9)	4 (18.8)	36.7	-15.5
ग. लाभ				
i. परिचालन लाभ	2	4	-50.2	71.1
ii. निवल लाभ/हानि	-3.88	0.03	-5.4	100.8

नोट: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल आय/खर्च का प्रतिशत दर्शाते हैं।
2. वर्ष-दर-वर्ष विचलन थोड़ा भिन्न हो सकता है क्योंकि सारणी में पूर्ण संख्याओं को रू.1 बिलियन में पूर्णांकित किया गया है।
3. राउंड ऑफ करने के चलते घटकों को पूरे के साथ जोड़ा नहीं गया है।

स्रोत: नाबार्ड।

VI.75 इसके अलावा, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनकी कृषि मीयादी ऋण परिचालन के लिए पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराने के प्रयोजन से नवंबर 2014 में नाबार्ड द्वारा एक नई "दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि (एलटीआरसीएफ)" स्थापित की गई।[30] यह पुनर्वित्त सुविधा पाँच वर्ष की चुकौती अवधि के साथ ऐसे रियायती दर पर उपलब्ध कराई गई कि बैंक इस लाभ को उधारकर्ता कृषकों तक पहुंचा सकें (नाबार्ड समय-समय पर इसमें संशोधन करता रहता है)[31]। सन 2015-16 में, पूरी तरह से परिचालित एससीएआरडीबी की संख्या पिछले वर्ष के 18 से कम होकर 13 हो गई।[32] ऐसे एससीएआरडीबी

[30] 2014-15 के दौरान इस निधि में आरंभिक मूल निधि ₹5,000 करोड़ थी, जो एससीबी द्वारा प्राथमिकता प्राप्त उधार (पीएसएल) के लक्ष्य को प्राप्त करने में कमी के वजह से योगदान के रूप में थी। 2015-16 और 2016-17 में इस निधि को किए गए आबंटन में ₹15,000 करोड़ की वृद्धि हुई।

[31] 2014-15 के लिए पुनर्वित्त पर ब्याज दर 7.85 प्रतिशत निर्धारित की गई है। 23 दिसंबर 2016 से पुनर्वित्त पर ब्याज दर संशोधित की गई और कम करते हुए प्रति वर्ष 5.15 प्रतिशत निर्धारित की गई। बैंकों से यह अपेक्षित है कि इस फायदे को उधारकर्ता कृषकों तक पहुंचाएं।

[32] 18 एससीएआरडीबी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं काश्मीर, पंजाब, राजस्थान, असम, त्रिपुरा, बिहार, ओड़िशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी राज्यों में स्थित हैं। इन 18 में से, असम, बिहार, ओड़िशा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में एससीएआरडीबी परिचालन में नहीं हैं।

चार्ट VI.52: एनपीए एवं रिकवरी - एससीएआरडीबी

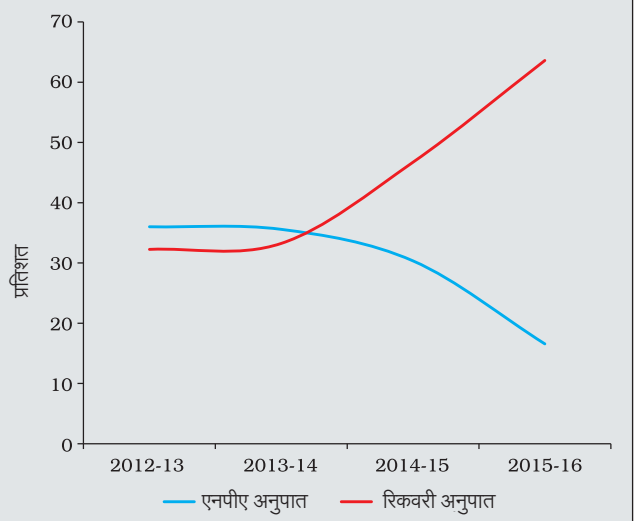

स्रोत : नाबार्ड और भारत में बैंकिंग की प्रवृति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट के पूर्व संस्करण।

जिनका संचित हानि में सबसे अधिक योगदान है, वे परिसमापन के तहत हैं और वे अब वे आगे परिचालन में नहीं हैं (नाबार्ड वार्षिक रिपोर्ट, 2016-17)। इन गतिविधियों के फलस्वरूप 2015-16 में एनपीए अनुपात कम होकर 16.6 प्रतिशत हो गया, जबकि 2013-14 में यह 35.6 प्रतिशत था, जबकि इसी अवधि में रिकवरी-मांग अनुपात में 33.3 प्रतिशत से 63.6 प्रतिशत का स्थिर सुधार हुआ। राज्य सहकारी बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों के साथ एससीएआरडीबी की तुलना से यह

सारणी VI. 25: राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की आस्ति गुणवत्ता

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	मार्च अंत में		अंतर (%)	
	2015	2016	2014-15	2015-16
1	2	3	4	5
क. कुल एनपीए (i+ii+iii)	64	34	-11.3	-47.3
i. अवमानक	25	19	-20.9	-22.2
	(38.1)	(56.4)		
ii. संदिग्ध	39	15	-5.2	-62.5
	(60.9)	(43.4)		
iii. हानि	0.6	0.1	445.5	-86.7
	(0.93)	(0.24)		
ख. एनपीए-ऋण अनुपात (%)	**30.3**	**16.6**	-	-
ग. रिकवरी-मांग अनुपात (%)	**46.7**	**63.6**	-	-

नोट: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल एनपीए में प्रतिशत दर्शाते हैं।
2. वर्ष-दर-वर्ष विचलन थोड़ा भिन्न हो सकता है क्योंकि सारणी में पूर्ण संख्याओं को रू.1 बिलियन में पूर्णांकित किया गया है।
3. राउंड ऑफ करने के चलते घटकों को पूरे के साथ जोड़ा नहीं गया है।

स्रोत: नाबार्ड।

दृष्टिकोण सामने आता है कि इन गतिविधियों का एससीएआरडीबी की आस्ति गुणवत्ता में सुधार लाने में कितना असर रहा है। ऐसे राज्य सहकारी बैंक जो लगभग समान आर्थिक परिस्थितियों में कार्य करते हैं, के एनपीए अनुपात में गिरावट एससीएआरडीबी के साथ तुलना करने में मुश्किल से दृष्टिगोचर होता है (चार्ट VI.53)।

राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की आस्ति गुणवत्ता: क्षेत्रीय नजरिया

VI.76 क्षेत्रीय नजरिए से, 2015-16 में, राज्य सहकारी और कृषि ग्रामीण विकास बैंकों की वित्तीय हालत बिखरी सी रही है। मार्च 2015 के अंत में, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में रिकवरी-मांग अनुपात उच्च और एनपीए अनुपात निम्न (अखिल भारतीय औसत की तुलना में) रही और इस प्रकार सबसे मजबूत वित्तीय हालत की चतुष्कोण स्थिति परिलक्षित होती है। केवल दो क्षेत्र – मध्य एवं पश्चिम - उच्च एनपीए अनुपात और निम्न रिकवरी-मांग अनुपात (अखिल भारतीय औसत की तुलना में) के साथ सबसे कमजोर वित्तीय हालत के चतुष्कोण में परिलक्षित हुए (चार्ट VI.54क)। तथापि मार्च 2016 के अंत में, केवल दक्षिणी क्षेत्र ही मजबूत प्रदर्शन (अखिल भारतीय औसत की तुलना में) करने वाले चतुष्कोण में रहा, जबकि चारों क्षेत्र (उत्तर; उत्तर-पूर्व; मध्य; और पश्चिम) सबसे कमजोर वित्तीय हालत वाले चतुष्कोण में परिलक्षित हुए। सबसे कमजोर चतुष्कोण में, पश्चिम

चार्ट VI.53: एनपीए अनुपात: एक तुलना

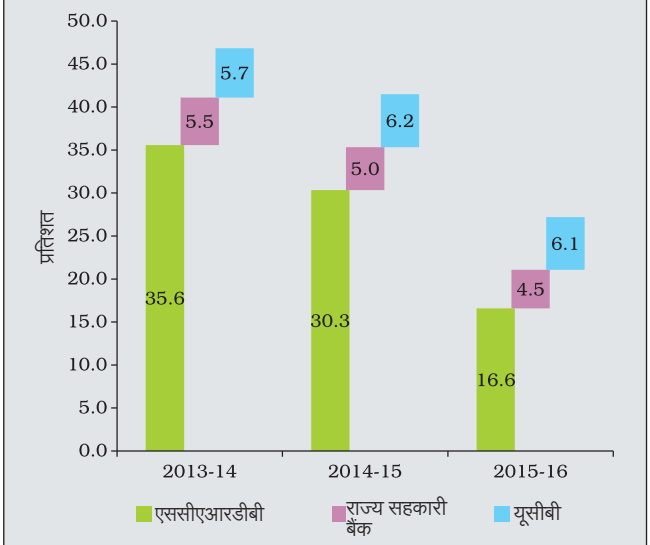

स्रोत : नाबार्ड और आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां।

चार्ट VI.54: एससीएआरडीबी की क्षेत्रवार वित्तीय स्थिति

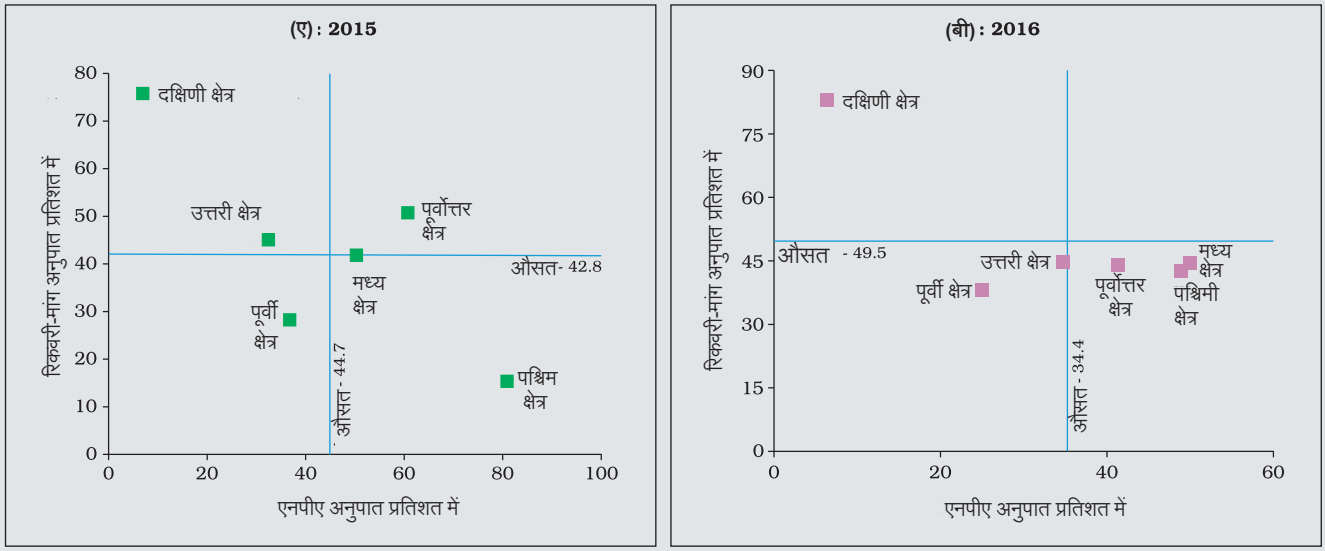

स्रोत: नाबार्ड के डेटा पर आधारित गणना

क्षेत्र की वित्तीय हालत में सुधार हुआ, जबकि मध्य क्षेत्र में एससीएआरडीबी की वित्तीय हालत में आगे गिरावट हुई और यह इस क्षेत्र में राज्य सहकारी बैंकों के खराब प्रदर्शन को समानांतर कर देता है(चार्ट VI.54ख)।

प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी)

VI.77 प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, दीर्घावधि ऋण सहकारी संस्थाओं के सबसे निम्नतम स्तर पर है। पीसीएआरडीबी अपने उधारकर्ताओं – किसानों, कारीगरों, शिल्पकारों और अन्य योग्य व्यक्तियों के साथ नजदीकी संपर्क के साथ कार्य करता है, ताकि उनके आर्थिक हालात में स्थायी रूप से सुधार हो सके। एससीएआरडीबी की तरह ही, पीसीएआरडीबी भी ऋण देने के प्रयोजनों हेतु मुख्य रूप से उधारराशियों पर निर्भर रहता है।

तुलन-पत्र परिचालन

VI.78 सन 2015-16 में पीसीएआरडीबी के समेकित तुलन-पत्र में सारभूत संकुचन देखा गया। निधि प्रयोग के सभी घटकों जिसमें ऋण एवं अग्रिम और अन्य आस्तियां के प्रमुख घटक शामिल हैं, में 2014-15 के उनके स्तर से गिरावट देखी गई। निधि के स्रोतों में भी 2014-15 के उनके स्तर से गिरावट दर्ज हुई जिसमें केवल जमाराशि ही अपवाद रही (सारणी VI.26)।

सारणी VI.26: राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की देयताएं एवं आस्तियां

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	मार्च के अंत में		अंतर (%)	
	2015	2016	2014-15	2015-16
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	13 (4.3)	11 (4.5)	3.7	-17.8
2. आरक्षित निधियां	40 (13.1)	25 (10.3)	-0.5	-38.4
3. जमाराशियां	10 (3.3)	14 (5.6)	15.9	33.2
4. उधारराशियां	164 (53.3)	143 (59.3)	5.6	-12.8
5. अन्य देयताएं	79 (25.9)	49 (20.2)	4.4	-38.7
आस्तियां				
1. नकद और बैंक शेष	3.9 (1.3)	3.6 (1.5)	10.4	-9.4
2. निवेश	20 (6.6)	15 (6.2)	-1.3	-25.9
3. ऋण एवं अग्रिम	148 (48.3)	127 (52.7)	7.2	-14.4
4. अन्य आस्तियां	135 (43.9)	95 (39.6)	2.8	-29.2
कुल देयताएं/आस्तियां	**307 (100.0)**	**241 (100.0)**	**4.7**	**-21.6**

नोट: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयता/आस्ति का प्रतिशत दर्शाते हैं।
2. वर्ष-दर-वर्ष विचलन थोड़ा भिन्न हो सकता है क्योंकि सारणी में पूर्ण संख्याओं को रू.1 बिलियन में पूर्णांकित किया गया है।
3. राउंड ऑफ के चलते घटक को पूरे में नहीं जोड़ा गया है।

स्रोत: नाबार्ड।

लाभप्रदता

VI.79 सन 2015-16 में पीसीएआरडीबी के वित्तीय निष्पादन में उतनी गिरावट नहीं आई जितनी 2014-15 में आई थी, जो कि लाभ-अर्जक पीसीएआरडीबी के अनुपात में बढ़ोतरी को प्रकट करता है (सारणी VI.27 एवं चार्ट VI.55)।

पीसीएआरडीबी बनाम एससीएआरडीबी की वित्तीय हालत

VI.80 सन 2015-16 के दौरान, उच्च-स्तरीय दीर्घावधि सहकारी संरचना में पुनरुद्धार के कुछ संकेत दिखे। सन 2015-16 में पीसीएआरडीबी की वित्तीय हालत में कुछ ह्रास हुआ, यद्यपि पीसीएआरडीबी के एनपीए परिशुद्ध स्तर में कमी रही, क्योंकि इनकी हानियों में अधिकांश योगदान करने वाली संस्थाओं का परिसमापन हो गया था (सारणी VI.28)।

सारणी V.27: प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का वित्तीय प्रदर्शन

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	के दौरान		अंतर (%)	
	2015	2016	2014-15	2015-16
1	2	3	4	5
क. आय (i+ii)	**24 (100.0)**	**21 (100.0)**	**3.8**	**-13.4**
i. ब्याज आय	20 (79.9)	18 (83.7)	2.4	-9.3
ii. अन्य आय	5 (20.1)	3 (16.3)	9.8	-29.9
ख. खर्च (i+ii+iii)	**28 (100.0)**	**25 (100.0)**	**7.8**	**-12.4**
i. ब्याज खपत	17 (60.2)	15 (60.9)	8.3	-11.4
ii. प्रावधान एवं आकस्मिताएं	6 (21.3)	5 (18.5)	9.9	-23.9
iii. परिचालन खर्च	5.2 (18.5)	5.1 (20.6)	4.0	-2.5
ग. लाभ				
i. परिचालन लाभ	2	1	-20.5	-52.4
ii. निवल लाभ	-3.66	-3.45	-45.2	-5.7

नोट: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल आय/खर्च का प्रतिशत दर्शाते हैं।
2. वर्ष-दर-वर्ष विचलन थोड़ा भिन्न हो सकता है क्योंकि सारणी में पूर्ण संख्याओं को रू.1 बिलियन में पूर्णांकित किया गया है।
3. राउंड ऑफ करने के चलते घटकों को पूरे के साथ जोड़ा नहीं गया है।

स्रोत: नाबार्ड।

चार्ट VI.55: पीसीएआरडीबी के लाभप्रदता संकेतक

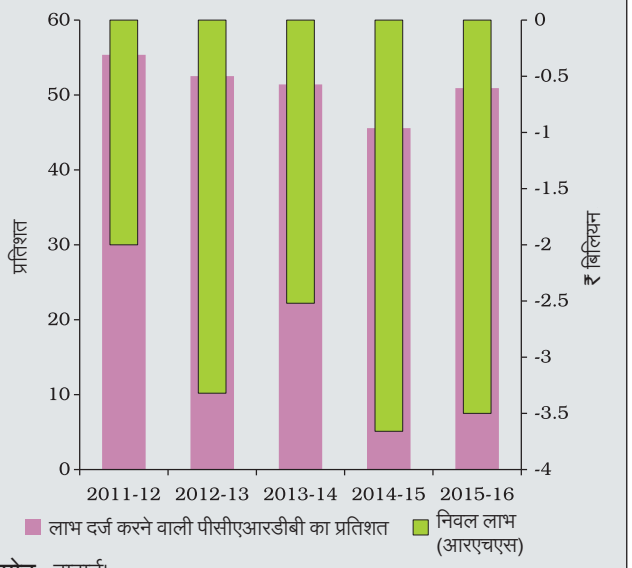

स्रोत : नाबार्ड।

VI.81 सन 2015-16 में, पीसीएआरडीबी का एनपीए अनुपात एससीएआरडीबी के मुकाबले काफी अधिक बना रहा, जबकि उनका रिकवरी अनुपात एससीएआरडीबी के मुकाबले कम रहा (चार्ट VI.56)।

सारणी VI. 28: प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की आस्ति गुणवत्ता

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	मार्च के अंत में		अंतर (%)	
	2015	2016	2014-15	2015-16
1	2	3	4	5
क. कुल एनपीए (i+ii+iii)	54	47	11.5	-12.4
i. अवमानक	27 (50.9)	25 (52.8)	23.6	-9.3
ii. संदिग्ध	26 (48.5)	22 (46.6)	1.4	-15.7
iii. हानि	0.32 (0.60)	0.29 (0.62)	-13.5	-9.4
ख. एनपीए-ऋण अनुपात (%)	**36.2**	**37.0**	-	-
ग. रिकवरी-मांग अनुपात (%)	**44.6**	**43.6**	-	-

नोट: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल एनपीए में प्रतिशत दर्शाते हैं।
2. वर्ष-दर-वर्ष विचलन थोड़ा भिन्न हो सकता है क्योंकि सारणी में पूर्ण संख्याओं को रू.1 बिलियन में पूर्णांकित किया गया है।
3. राउंड ऑफ करने के चलते घटकों को पूरे के साथ जोड़ा नहीं गया है।

स्रोत: नाबार्ड।

चार्ट VI.56: एससीएआरडीबी के प्रति पीसीएआरडीबी की वित्तीय स्थिति

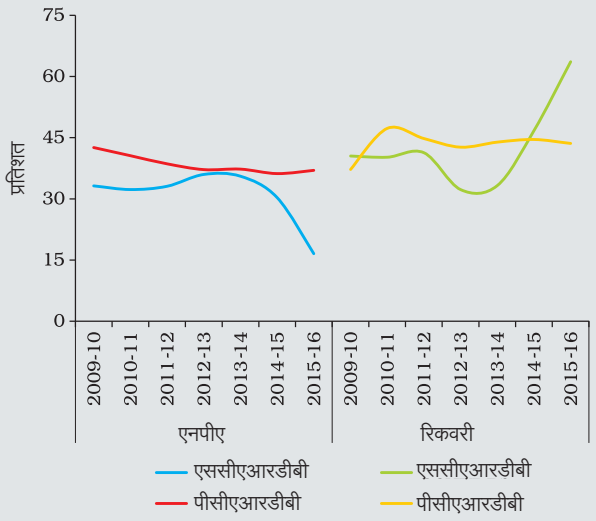

स्रोत : नाबार्ड।

IV. अल्पावधि और दीर्घावधि ग्रामीण ऋण सहकारी संस्थाओं का तुलनात्मक मूल्यांकन

VI.82 सन 2015-16 में दीर्घावधि ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं की वित्तीय हालत में सुधार शुभ संकेत है, क्योंकि ये संस्थाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दीर्घावधि वित्तीय जरूरतों को पूरा करती हैं। अल्पावधि और दीर्घावधि शीर्ष स्तर की सहकारी संस्थाओं, राज्य सहकारी बैंक और एससीएआरडीबी की तुलना से दीर्घावधि बनाम अल्पावधि ऋण संस्थाओं की क्षीण होती आस्ति एवं ऋण आकार और कमजोर होती पूंजीगत स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। पिछले कुछ वर्षों से राज्य सहकारी बैंकों की कुल आस्ति/ऋण/पूंजी के प्रत्येक ₹100 पर एससीएआरडीबी की सापेक्षिक आस्ति/ऋण/पूंजी में लगातार गिरावट उन समस्याओं के स्तर को दर्शाती है जिनका सामना ये दीर्घावधि क्रेडिट संस्थाएं कर रही हैं (सारणी VI.29)।

VI.83 अलाभकारी संस्थाओं के परिसमापन के साथ ही, अब कुछ समय से दीर्घावधि क्रेडिट संस्थाओं की संख्या में गिरावट आ रही है। इसके अलावा, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, जनवरी 2014 में, राज्य सहकारी बैंकों/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को भी निर्धारित सीआरएआर का अनुपालन करने के प्रयोजन से पूंजीगत निधि (टियर I एवं

सारणी VI.29: एससीएआरडीबी और राज्य सहकारी बैंकों की आस्तियों, ऋण और पूंजी की तुलना

वर्ष	राज्य सहकारी बैंकों की आस्ति के प्रति ₹ 100 में एससीएआरडीबी की आस्ति की राशि	राज्य सहकारी बैंकों के ऋण के प्रति ₹ 100 में एससीएआरडीबी की ऋण की राशि	राज्य सहकारी बैंकों की पूंजी के प्रति ₹ 100 में एससीएआरडीबी की पूंजी की राशि
2012-13	18.3	20.1	29.0
2013-14	16.3	19.5	25.1
2014-15	16.7	18.5	18.2
2015-16	13.3	16.6	16.1

स्रोत: नाबार्ड।

टियर II) जुटाने की सुविधा देने के लिए एलटीडी तथा आईपीडीआई जारी करने की अनुमति दी गई। परिणामस्वरूप, 2014-15 से राज्य सहकारी बैंकों के पूंजी आधार में एससीएआरडीबी के मुकाबले बड़े स्तर पर विस्तार हुआ। जुलाई 2016 में, शहरी और अल्पावधि ग्रामीण सहकारी बैंकों को पूंजी जुटाने में अधिक स्वतंत्रता दी गई। ऐसे सहकारी बैंक जो कुछ वित्तीय सुदृढ़ता मानदंड को पूरा करते हैं, उन्हें रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बगैर एलटीडी जुटाने की अनुमति दी गई और यह अनुमति इस शर्त के अधीन थी कि बकाया एलटीडी राशि जो टियर II पूंजी के रूप में गणना हेतु पात्र होगी, वह टियर I पूंजी के 50 प्रतिशत तक सीमित होगी।

VI.84 राज्य सहकारी बैंक और एससीएआरडीबी के बीच कार्यनिष्पादन के कई अन्य संकेतकों के अनुसार काफी अंतर है। सहकारी संरचना में एससीएआरडीबी के विपरीत राज्य सहकारी बैंक लाभप्रद रहे (यद्यपि 2015-16 में लाभ थोड़ी संयमित रही) और उनका एनपीए अनुपात सबसे निम्न तथा रिकवरी अनुपात सबसे उच्च रहा, जबकि एससीएआरडीबी काफी नुकसान में रही और उनकी आस्ति गुणवत्ता ह्रासित रही। हालांकि, एससीएआरडीबी के आस्ति पर प्रतिलाभ में 2015-16 में सुधार हुआ, जबकि पिछले वर्ष इसमें ऋणात्मक प्रतिलाभ दर्ज हुआ था, तथापि राज्य सहकारी बैंक आस्ति पर धनात्मक प्रतिलाभ दर्ज कराते रहे (चार्ट VI.57)। राज्य सहकारी बैंकों का अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन विभिन्न सुधारों को कार्यान्वित करने हेतु केंद्र सरकार, राज्य सरकार और रिज़र्व बैंक तथा नाबार्ड द्वारा किए गए सम्मिलित प्रयासों को दर्शाता है जो अल्पावधि ऋण संस्थाओं को मजबूत करने पर केंद्रित थे।

चार्ट VI.57: राज्य सहकारी बैंक बनाम एससीएआरडीबी-आरओए के अनुसार

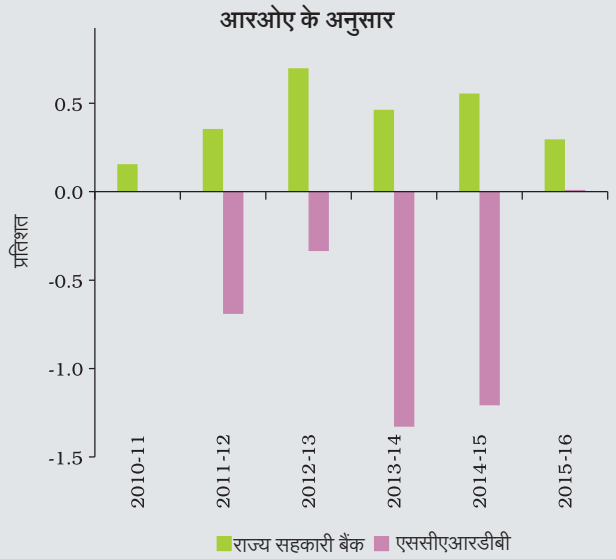

स्रोत : नाबार्ड।

VI.85 कारोबारी नजरिए से, 2015-16 में राज्य सहकारी बैंकों में धीमी ऋण वृद्धि देखी गई, जबकि इसी अवधि में जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के ऋण वृद्धि में तेजी आई। नाबार्ड ने 2012-13 में बेहतर जवाबदेही तय करने के प्रयोजन से राज्य सहकारी बैंकों की पुनर्वित्त पात्रता को उनके सीआरएआर से लिंक करने के मानदंड की शुरुआत की थी। परिणामस्वरूप, 2014-15 में राज्य सहकारी बैंकों की पूंजी स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ और नाबार्ड द्वारा उनको संवितरित की गई पुनर्वित्त में 12.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इससे 2014-15 में राज्य सहकारी बैंकों के ऋण एवं अग्रिम की वृद्धि में तेजी आई, जिसके चलते 2015-16 में जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के ऋण एवं अग्रिम में अधिक वृद्धि देखी गई। पीएसीएस की संख्या में वृद्धि के बावजूद उनके क्रेडिट वितरण में धीमी वृद्धि हुई।

VI.86 यद्यपि दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि के जरिए पुनर्वित्तपोषण और अलाभकारी संस्थाओं के सक्रिय परिसमापन ने दीर्घावधि ऋण सहकारी संस्थाओं के वित्तीय हालत में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी, तथापि अल्पावधि सहकारी संस्थाओं के एनपीए अनुपात और रिकवरी प्रदर्शन में आम सुधार का श्रेय नाबार्ड द्वारा की गई सघन निगरानी को भी जाता है। इसके अलावा, अल्पावधि फसली ऋण हेतु जारी ब्याज अनुदान के भाग के रूप में किसानों को फसल ऋण की त्वरित चुकौती के लिए दी गई 3 प्रतिशत की अतिरिक्त रियायत ने भी अहम भूमिका निभाई।[33]

VI.87 वर्ष 2015-16 में राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की पूंजी स्थिति में सुधार हुआ है। रिज़र्व बैंक एक ऐसे वातावरण के निर्माण के लिए जहां बैंकिंग क्षेत्र में केवल लाइसेंस प्राप्त ग्रामीण सहकारी बैंक ही परिचालन करें, सरकार द्वारा अनुमोदित पुनर्वास योजना के तहत जम्मू एवं काश्मीर में तीन जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के पुनर्पूंजीकरण और लाइसेंसिंग की प्रक्रिया का अनुशीलन करेगी। इस बढ़ते हुए प्रतिस्पर्धी कारोबारी वातावरण में बैंकों द्वारा जोखिम का सामना करने की तैयारी में सुधार लाने की आवश्यकता के मद्देनजर, 2015-16 में नाबार्ड ने सहकारी बैंकों की पूंजीगत निधि को मजबूत करने और सीआरएआर में सुधार लाने के प्रयोजन से एक मार्गदर्शी नोट जारी किया और इस प्रक्रिया के बार में बताने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया। पिछले कुछ वर्षों के दौरान, सहकारी बैंक कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के प्रयास आगे बढ़े हैं। यह उम्मीद की जाती है कि अधिक सुव्यवस्थित प्रशिक्षण के साथ सहकारी संस्थाओं द्वारा बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की प्रभावी सुपुर्दगी होगी, जिससे सभी टियरों में उनके परिचालनगत कार्यक्षमता में सुधार होगा।

V. समग्र मूल्यांकन

VI.88 जमाराशियों में विमुद्रीकरण से हुई वृद्धि से शहरी सहकारी बैंकों के तुलन-पत्र में 2016-17 में विस्तार हुआ, जो बाद में ऋण की बजाय अधिक निवेश में परिणत हुआ। शहरी सहकारी बैंकों के सुदृढ़ीकरण के निरंतर प्रयासों से उनके

[33] ग्रामीण विकास बैंकर संस्थान (बीआईआरडी) द्वारा मई 2015 में रिपोर्ट किए गए अनुसार उत्तर प्रदेश और हरियाणा दो राज्यों में राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के एक अध्ययन से पता चलता है कि इस योजना विशेषकर त्वरित चुकौती के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन की शुरुआत के बाद इन दो राज्यों में ऋण वितरण में काफी वृद्धि हुई है।

वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात और लाभप्रदता के मामले में उनके प्रदर्शन में सुधार हुआ, तथापि उनकी आस्ति गुणवत्ता मंदित आर्थिक हालातों से प्रभावित हुई।

VI.89 शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय हालत में आगे सुधार लाने के लिए सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा कई पहल की जा रही हैं। केंद्रीय बजट 2017-18 का प्रस्ताव कि शहरी सहकारी बैंकों की अनर्जक आस्तियों के ब्याज आय के कराधान हेतु उपचित आधार प्रक्रिया को वास्तविक आधार में बदलने, जैसाकि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के मामले में है, सभी बैंकों के लिए डूबंत कर्ज के प्रावधान के संदर्भ में कर कटौती की सीमा को पहले के 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.5 प्रतिशत कर देना महत्वपूर्ण पहल है। शहरी सहकारी बैंकों पर गठित उच्च स्तरीय समिति ने शहरी सहकारी बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और अन्य विशेषीकृत बैंकिंग संस्थाओं में बदलते हुए इस प्रयोजन से ऐसा नया रास्ता सुझाया कि वे एक समान सुसंगत विनियमन के अधीन आ सकें। इसी समय, रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों को लघु वित्त बैंक जो समान ऋण संविभाग के साथ लेकिन अधिक कड़े विनियामकीय मानदंड के साथ परिचालन करते हैं, से सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करने के लिए बेजमानती अग्रिम पर एक्सपोजर सीमा में ढील दी और यह ढील प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अधिक उधार देने के अधीन होगी। सन 2016-17 में, रिज़र्व बैंक ने सभी वेतनभोगियों के बैंकों को गैर-सदस्यों की मीयादी जमाओं के बदले अग्रिम मंजूर करने की अनुमति भी दी। इसके साथ ही, रिज़र्व बैंक 2014 में शहरी सहकारी बैंकों के लिए निर्मित पर्यवेक्षी कार्रवाई फ्रेमवर्क की समीक्षा की भी योजना बना रहा है, ताकि संबंधित बैंकों में प्रारंभिक स्तर पर ही सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा, अन्य क्षेत्रों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा से एक ओर जहां शहरी सहकारी बैंकों को गतिशील प्रतिस्पर्धी माहौल में अनुकूलित करने और वहीं दूसरी ओर विनियामकीय सुधारों को जारी रखने के प्रयास आवश्यक होंगे।

VI.90 शहरी सहकारी बैंकों के समेकन के कारण उनके आकार में हुए विस्तार और पूंजी में सुधार की स्थिति से इन बैंकों को गैर-परंपरागत क्षेत्रों में लाने से इनके कारोबार में विविधता आई है। समेकन की प्रक्रिया जारी रहने के साथ ही, ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि उनकी परिचालनगत क्षमता में सुधार हो। शहरी सहकारी बैंकों में कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) के कार्यान्वयन हेतु उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के रूप में रिजर्व बैंक द्वारा पहले से ही कदम उठाए गए हैं और उनके सभी उत्पादों और सेवाओं को एटीएम के जरिए प्रदान करने की अनुमति तथा साथ ही मई 2017 में सभी सहकारी संस्थाओं को बिक्री केंद्र (पीओएस) टर्मिनल एवं प्रीपेड साधन स्थापित करने की अनुमति डिजिटाइजेशन को बढ़ाएगी।

VI.91 ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की अल्पावधि ऋण संरचना में हाल के वर्षों में किए गए विभिन्न विनियामकीय सुधारों के कारण लगातार सुधार देखा गया। इसके विपरीत, पीएसीएस जो कि निम्नतम टियर पर है, लगातार संरचनागत खामियों से त्रस्त होती रहीं, जिसके चलते उनका प्रदर्शन कमजोर रहा। इस संबंध में, यद्यपि वैद्यनाथन समिति (2004) की कुछ सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया गया है, तथापि अभिशासन संबंधी मुद्दों और सदस्य जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए पीएसीएस की जमाओं का बीमा करने से संबंधित सिफारिशें दीर्घावधि में लाभकारी रहेंगी। उदाहरण के लिए, पीएसीएस के लिए ऋण का नया रास्ता खोलना, जैसे 2016-17 में उनकी चलनिधि समस्याओं पर काबू पाने में उनकी सहायता हेतु नाबार्ड द्वारा अतिरिक्त अल्पावधि (मौसमी कृषि परिचालन) [एसटी-एसएओ] की शुरुआत और पीएसीएस के वित्तपोषण के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तक इसका ऐसे क्षेत्रों में विस्तार जहां जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक वित्तीय रूप से कमजोर हैं या पर्याप्त रूप से पीएसीएस को वित्त प्रदान करने में असमर्थ हैं, इन सबसे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि किसानों को ऋण मिल पा रहा है। साथ ही साथ, पीएसीएस को बहुसेवा केंद्र (एमएससी) के रूप में विकसित करने के प्रयोजन से ताकि वे अपना कारोबारी संविभाग तथा राजस्व अर्जित करने के मार्गों का विस्तार कर सकें और स्व-वहनीय संस्था बन जाएं, नाबार्ड द्वारा आस्ति पक्ष में, राज्य सहकारी बैंकों/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों/पीएसीएस को वित्तीय सहायता मुहैया कराई गई है। पीएसीएस को डिजिटल बैंकिंग से जोड़ने के लिए केंद्रीय बजट 2017-18 में तीन वर्षों

में ₹1,900 करोड़ का आबंटन किया गया है। इससे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की 63,000 समितियां सीबीएस से जुड़ जाएंगी और छोटे एवं सीमांत किसान जो पहली बार इन सहकारी समितियों के सदस्य बने हैं, के लिए नई पीढ़ी की बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध हो पाएंगी। इन सभी उपायों से आने वाले समय में पीएसीएस के प्रदर्शन में सुधार होने की उम्मीद है।

VI.92 हाल ही में हुए सुधार के बावजूद, दीर्घावधि ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना में उनकी अंतर्निहित कमजोरियों के कारण आशा से निम्न प्रदर्शन जारी रहा। इस संबंध में ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं (दीर्घावधि) के पुनरुद्धार पर गठित कार्य बल, 2006 (अध्यक्षः श्री ए. वैद्यनाथन) द्वारा इन संस्थाओं की जमा, पूंजी और उत्पाद आधार के विस्तार से संबंधित सिफारिशें उचित रूप से विचारणीय हैं। साथ ही साथ, दीर्घावधि ऋण सहकारी संस्थाओं के आंतरिक संसाधनों में वृद्धि से इन्हें अपने ऋण संवितरण में सुधार लाने में मदद मिल सकती है। कृषि क्षेत्र की निवेश आवश्यकताओं को पूरा करने और इस क्षेत्र में पूंजी निर्माण में दीर्घावधि ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के महत्व को देखते हुए, यह आवश्यक है कि सम्मिलित नीतिगत प्रयासों के जरिए इन संस्थाओं का पुनरुत्थान किया जाए।